खण्ड-254, अंक-3
बुधवार, 5 फाल्गुन, शक संवत् 1886
(24 फरवरी, 1965 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 254 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | .. १९९–२०३ |
| प्रश्नोत्तर (जारी) .. .. .. .. | .. २०३–२१० |
| गृह मंत्री द्वारा प्रयुक्त शब्दों पर आपत्ति (जारी) .. | .. २१०–२१३ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. | .. २१४–२३६ |
| गृह मंत्री द्वारा प्रयुक्त शब्दों पर आपत्ति .. .. | .. २३६–२४१ |
| रेवन्यू रिकवरी (उत्तर प्रदेश संशोधन ) विधेयक, १९६५ (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक मेज पर रखा गया ) .. | .. २४१–२४२ |
| उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक विवरण-पत्र, १९६५–६६ (मेज पर रखा गया) .. .. .. .. | २४२ |
| श्री भूपसिंह की जेल से रिहाई के संबंध में सचना .. | .. २४२–२४३ |
| विद्युत उप मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना .. | २४३–२४५ |
| श्री सूबेदारसिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट) .. | २४५ |
| कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा निअम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं .. | २४५ |
| सदन में अंग्रेज़ी शब्दों के प्रयोग के संबंध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था का स्पष्टीकरण | २४५–२४६ |
| आय-व्ययक की मांगों के परिवर्तित कार्य-क्रम के संबंध में सूचना .. | २४६–२४८ |
| १९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या ५५–ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) .. | २४८–२९० |
| नत्थियां .. .. .. .. | .. २९१–३०१ |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २४ फरवरी, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

---

## उपस्थित सदस्य—३५१

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेश प्रताप, राजा
अवधेशनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रसिंह नरसिंह, श्री
इरफान हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमराव, श्री
उमाकर, श्री
उमाकर तिवारी, श्री
उर्वशीसिंह यादव, श्री
ऊदल श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
एल० ग्राइस, श्री
कंछेदीलाल, श्री
कंगालाल, श्री
कन्हैयासिंह यादव, श्री
कमरानी मिश्रा, श्रीमती
कमलनाथसिंह, श्री

कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपाल सिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी,काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम,श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री

बद्रीप्रसाद, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बर्नासिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारी लाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुबीरसहाय कैथवार, श्री
रघुबीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री

रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह,कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
बिक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद श्री,
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री

सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश, गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

---

## प्रश्नोत्तर

---

बुधवार, २४ फरवरी, १९६५

---

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### गुलावठी थाने में हरिजन दम्पत्ति की हत्या

**१--श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी हाल में गांव सैदानपुर, थाना गुलावठी, जिला बुलन्दशहर में एक हरिजन पुरुष और उसकी पत्नी को बल्लम से छेदकर मार डाला गया ? क्या यह जातीय वर्ग विद्वेष के कारण कत्ल हुए हैं ?

गृह उप मंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)--

सैदानपुर नहीं बल्कि ग्राम सधारनपुर में एक हरिजन दम्पति की हत्या किये जाने व सामान चुरा ले जाने की एक रिपोर्ट २८ दिसम्बर, ६४ को थाना गुलावठी पर दर्ज कराई गई जिस पर एक मुकदमा कायम कर विवेचना प्रारम्भ हुई। अब तक की विवेचना से हत्या का कारण जातीय विद्वेष नहीं पाया गया।

**२--श्री जसरामसिंह--

क्या उपरोक्त घटना में कोई गिरफ्तारी हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों, ? कारण बताया जाय ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

कोई गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी अभियुक्त का नाम व देखा जाना नहीं बताया गया। कुछ दिनों बाद कुछ व्यक्तियों को मौके पर देखने व सामान चोरी करके ले जाने की सूचना दी गई जो अब तक की जांच से पुरानी रंजिश व पार्टीबन्दी के ही कारण प्रतीत हुई।

श्री जसरामसिंह---

क्या मंत्री जी दूसरी रिपोर्ट पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

दूसरी रिपोर्ट ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यह दरख्वास्त ननुआ सिंह ने दी है जो इस प्रकार है : श्रीमान् एस० पी० महोदय, बुलन्दशहर।

सेवा में सविनय निवेदन यह है कि २७, २८-१२-६४ ई० की रात को करीब ढाई बजे पूरन पुत्र चेतराम, बिज्जी पुत्र हबूब, धन्नी पुत्र रिसाल, तेजा पुत्र बनसा ग्राम, निवासी तथा ८ या १० आदमी और तेजराम के मकान में घुस आये और तेजराम के लड़के रामजीलाल व राजी लाल की बहू धन्नो को वे लाठी, वल्लमों से घायल कर गये। उपरोक्त मुलजिमान को प्रार्थी व रामजीलाल के बाप तेजराम, रामफल, गंगाराम डालू बाबू आदि पड़ोसियों ने बैटरियों की रोशनी में पहिचान लिया। जो आदमी बाहर के थे उनको सामने आने पर पहिचान सकते है और इनको रामजी लाल के घर से सामान ले जाते हुए भी देखा है। धन्नों गांव में ही मर गयी और रामजीलाल थाने जाते समय रास्ते में ही मर गया। हम लोग जिस वक्त थाने पहुंचे तो फतहसिंह प्रधान व पूरन थाने में मौजूद थे इनका पुलिस से बहुत मेल-जोल है। प्रार्थी ने थाने में भी इसी प्रकार बयान दिया था परन्तु पुलिस ने रिपोर्ट गलत लिख दी और रिपोर्ट की नकल भी प्रार्थी को नहीं दी। जब सुबह दरोगा जी गांव में गये तब भी यही बयान उनको दिया गया मगर हमको मालूम हुआ है कि पुलिस ने उपरोक्त मुलजिमान के नाम नहीं लिखे। जो सामान बदमाश जेवर आदि लूट कर ले गये और हमने लूट कर ले जाते हुए भी देखा था उसकी लिस्ट थाने में दे दी गयी। दरोगा जी ने अब तक मुलजिमान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। मालूम हुआ है कि रिपोर्ट मनमानी लिख कर प्रार्थी का अंगूठा लगवा लिया है।

श्रीमान् जी पुलिस ने हमारे साथ धोखा किया है और दो खून करने के बाद भी मुलजिमान आजाद घूम रहे हैं। अतः प्रार्थना है कि मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अति शीघ्र की जावे। चूंकि गुलावठी पुलिस मुलजिमान के साथ मिली हुयी है तथा कोई दीगर थानेदार वास्ते तहकीकात रवाना फरमाया जावे बड़ी कृपा होगी।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

मंत्री जी बतायेंगे इस गांव में २८ दिसम्बर को २ कत्ल हुए और उसका बड़ा आतंक है आज तक कोई गजटेड अफसर डी० एस० पी० या एस० पी० इस दौरान में मौके पर जांच करने के लिये गये हैं ?

गृह मंत्री ( श्री हरगोविन्दसिंह)---

जांच तो स्टेशन अफसर करता है। डी० एस० पी० और एस० पी० को खास तरीके से कहा जाय तभी वह जांच करते हैं वरना वह जांच नहीं किया करते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, इनके रिश्तेदार रामसूरतसिंह को छुड़ाने के लिये खुद जा सकते हैं....

श्री अध्यक्ष---

आप बीच में न बोलिये । कृपया बैठ जायं ।

श्री धर्मसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इस इलाके के एम० एल० एज० एस० पी० के पास कई बार डेपुटेशन लेकर मिले कि आप या डी० एस० पी० मौके पर जाकर जांच करें, उसके बाद भी एस० पी० मौके पर गये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

श्रीमन्, इसकी तो कोई सूचना नहीं है कि कोई डेप्युटेशन एस० पी० से मिला ।

श्री जसरामसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी को यह बात ज्ञात है कि ये जो हत्यायें हुई हैं उसका कारण यह भी है कि खेत में मुल्जिमानों ने हरिजनों को गाली दी और जब हरिजनों ने गाली के उत्तर में गाली दी तो वहां खेत में यह चैलेन्ज किया गया कि आज रात को बता देंगे कि गाली कैसे देते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

इस प्रश्न में आपने कहा है कि "क्या यह जातीय वर्ग विद्वेष के कारण कत्ल हुए हैं । अगर आपसी झगड़े के कारण हुए है तो आप दूसरा सवाल करें । हरिजनों और उच्च वर्ग के बीच में कोई वैमनस्य है, उसके परिणाम स्वरूप झगड़ा हुआ ऐसा आपका संकेत इस प्रश्न से है । आप अब व्यक्तिगत दुश्मनी ला रहे है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस पुलिस इन्सपेक्टर ने सही रिपोर्ट नहीं लिखी, जिसके खिलाफ यह दरख्वास्त दी गयी, उसके खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी, दरख्वास्त के बाद ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

उस इंस्पेक्टर से इसकी विवेचना ले ली गयी है और एस० आई० एस० दूसरे को दे दी है । जो स्पेशल इनवेस्टीगेशन स्क्वायड होता है उसके दरोगा को दी है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसकी जांच वहां के इन्चार्ज कर रहे हैं । एस० पी० और डी० एस० पी० इस प्रकार की जांच नहीं किया करते हैं । पहली रिपोर्ट में कत्ल करने वालों का कोई नाम नहीं दिया गया है। लेकिन दूसरी रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस ने रिपोर्ट गलत लिख दी और रिपोर्ट की नकल भी प्रार्थी को नहीं दी । जब वे दरोगा जी गांव में गये तब भी उपरोक्त मुलजिमान के नाम नहीं लिखे जो सामान बदमाश जेवर लूट ले गये थे दारोगा जी उनसे मिले हुए थे, वे छुपाना चाहते थे तो ऐसी परिस्थिति में क्यों सरकार ने मुनासिब नहीं समझा कि एस० पी० या डी० एस० पी० से जांच करवायी जाय ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

श्रीमन्, इस बात की जांच कि दारोगा ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी, एक डी० एस० पी० कर रहे हैं ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि मर्डर या डकैती, जब होती है उसमें एस०-पी० या डी० एस० पी० का मौके पर जाना आवश्यक है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

श्रीमन्, हां अमूमन जाते हैं और मुमकिन है इसमें भी गये हों पर इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि इस घटना की जांच एस० आई० कर रहे हैं और एस० ओ० के विरुद्ध जो शिकायत है उसकी जांच डी० एस० पी० कर रहे हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष---

मैं यह समझता हूं कि कोई स्क्वायड कर रहा है। वह इन्सपेक्टर नहीं कर रहा है।

श्री मैनेजरसिंह---

कत्ल की जांच कौन कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष---

कत्ल के बारे में उन्होंने कहा है कि इसकी इन्क्वायरी स्क्वायड कर रहा है और जो दरोगा के खिलाफ शिकायत है उसकी जांच डी० एस० पी० कर रहे हैं ।

श्री जसरामसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी, चूंकि कत्ल होने के कारण हरिजनों में आतंक फैल गया है, इस बात का प्रयत्न करेंगे कि वहां के एस० पी० महोदय मौके पर जायं और उनकी रिपोर्ट १५ दिन के अन्दर सदन के सम्मुख पेश हो जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

किस बात की रिपोर्ट ?

श्री अध्यक्ष---

वे चाहते हैं कि जो दो कत्ल हुए है, उनके परिणामस्वरूप हरिजनों में आतंक फैला हुआ है तो क्या सरकार उचित समझेगी कि एस० पी० को हिदायत करें कि वे मौके पर जाकर जांच कर लें ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

श्रीमन्, यह तो मैं कर सकता हूं कि अगर एस० पी० मौके पर नहीं गये होंगे तो कह सकता हूं कि वह मौके पर जायं। लेकिन चूंकि इस मामले की जांच स्पेशल इनवेस्टी-गेशन स्क्वाड कर रहा है लिहाजा उससे जांच लेकर एस० पी० को नहीं दूंगा।

(माननीय जसरामसिंह का नाम बुलाने पर ।)

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि....

श्री अध्यक्ष---

अगर आप बीच में इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे, बीच में बोलेंगे, तो मैं आपको नहीं बुला सकता हूं ।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने व्यवस्था दी थी कि कोई भी अंग्रेजी का शब्द नहीं कहा जायगा। आपने "डिस्टर्व" कहा।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसको उसी समय ठीक कर दिया था।

श्री जसरामसिंह—

श्रीमन्, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर गृह मंत्री जी मौके पर पहुंचेंगे तो वह पायेंगे कि मेरा कथन सत्य है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय मैनेजर सिंह को अपना नाम प्रबन्धक रखना चाहिये।

श्री मैनेजरसिंह—

अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार अंग्रेजी बन्द कर दे तो मैं अपना नाम बदलने को तैयार हूं।

## सहकारी बैंक व जिला सहकारी संघ, बलिया में गबन की शिकायत

**३—श्री मैनेजरसिंह तथा श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री एवं सहकारिता मंत्री को जिला बलिया के कोआपरेटिव बैंक एवं जिला सहकारी संघ द्वारा गबन के संबंध में प्रार्थना-पत्र दिया गया था? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

जी हां, उन पर कार्यवाही हो रही है।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो आवेदन-पत्र मुख्य मंत्री और सहकारिता मंत्री को दिया गया है उसमें मुख्य शिकायतें क्या है?

श्री बनारसीदास—

वहां के भूतपूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर के विरुद्ध एक शिकायत भेजी थी ७-९-६४ को, जिसमें जिला सहकारी बैंक बलिया में अनियमितायें और गबन की शिकायतें थीं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस शिकायती-पत्र में किन-किन के खिलाफ शिकायत थी और किस ढंग के गबन के आरोप हैं तथा खास-खास विवरण क्या है?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मुख्यतः शिकायत वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में थी।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, आपने जो व्यवस्था दी है कि जब कोई शब्द अंग्रेजी का प्रयोग न किया जाय, उस पर पुनः विचार करने की कृपा करें क्योंकि उससे अव्यवस्था हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—

यदि आप कृपा करके मेरी व्यवस्था पढ़ लें तो कोई ऐसा शब्द नहीं कहा गया। मैंने अपने लिये कहा है कि मैं अंग्रेजी शब्द प्रयोग में नहीं लाऊंगा। मैंने यह नहीं कहा कि सदन में इसका प्रयोग नहीं होगा। मैंने कल कहा और अब फिर दुहराता हूं कि मैंने कल कहा था कि इस सदन में सहिष्णुता होनी चाहिये। हो सकता है कि बातचीत में या भाषण देते हुए किसी के मुंह से अंग्रेजी शब्द का प्रयोग हो जाय तो उसके ऊपर इतनी आपत्ति नहीं उठानी चाहिये। हमारे लिये यही शोभाजनक है। लेकिन आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि यथाशक्ति वह हिंदी का प्रयोग करें। मैंने आज समाचार-पत्रों में पढ़ा कि मेरी मंशा यह थी कि यहां किसी पुस्तक से अंग्रेजी का उद्धरण न पढ़ा जाय। मेरा मंशा यह नहीं था। अंग्रेजी की पुस्तक है तो उसका उद्धरण पढ़ा जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

आपका मंशा यही था।

श्री अध्यक्ष—

यह मैंने नहीं कहा। उद्धरण का सार हिंदी में देना चाहिए। हो सकता है कि मैं अंग्रेजी पुस्तक में जो लिखा हुआ है अपनी भाषा में कहूं और मूल ग्रंथ का अर्थ कुछ और हो। तो यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन यह कहना कि किसी अंग्रेजी ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है उसको न पढ़ा जाय यह ठीक नहीं है। उसको पढ़ा जायगा।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, आपने यही कहा था कि मैं हिन्दी के सिवा अंग्रेजी का कोई शब्द प्रयोग नहीं करूंगा और आपने अभी "डिस्टर्ब" शब्द अंग्रेजी का कहा है।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा आप बैठिए, मैंने तो स्पष्ट कर दिया है।

श्री बनारसीदास—

जैसाकि मैंने पहले बताया भूतपूर्व वहां के जो मैनेजिंग डाइरेक्टर थे श्री शिवशंकर उनके विरुद्ध शिकायत भेजी गयी थी। उनमें यह था कि मैनेजिंग डाइरेक्टर बहुत सी अनियमितता करते हैं, दूसरे जो वहां पर पर्यवेक्षक और जो अधिकारी हैं वह वहां पर अनियमितता पूर्वक काम करते हैं। तीसरी बात यह है कि वहां जो कर्जा वसूल किया जाता है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर गलत ढंग पर ट्रांसफर एन्ट्री की जाती हैं और मैनेजिंग डाइरेक्टर तथा दूसरे अधिकारी भत्ता लेकर उसे अपने निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं तथा वह अपने पद व स्थिति का दुरुपयोग भी अपने कार्यों के लिए करते हैं।

श्री मैनेजरसिंह—

जिन शिकायतों का माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया, क्या उनके अतिरिक्त यह भी शिकायत है कि जिला सहकारी संघ की जो बड़ी कपड़े की दुकान है, उससे ४–६ हजार का कपड़ा मैनेजिंग डाइरेक्टर और दूसरे अधिकारी उपाध्यक्ष ने वहां से ले लिया और पैसा बचाने के लिए उनसे संबंधित कागज फुंकवा दिए और कह दिया कि वह आग से जल गये।

**श्री बनारसीदास—**

जिस शिकायत का माननीय सदस्य ने जिक्र किया, उसका उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है । लेकिन उसके पहले एक शिकायती-पत्र वहां के डी० एम० को भेजा गया था और जिस की कापी यहां सरकार को भी भेजी गई थी, उसमें इस तरह का आरोप लगाया गया था ।

**श्री मैनेजरसिंह—**

माननीय मंत्री जी ने जिन गंभीर आरोपों का अपने उत्तर में जिक्र किया और जो पहले दरख्वास्तें आई हैं जिसमें दूसरी शिकायतों का जिक्र किया गया है जिनके बारे में विभाग ने पहले छानबीन की है उनको देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी ऐसे लोगों के विरुद्ध शासकीय कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

**श्री बनारसीदास—**

जहां तक पहली शिकायतों का जिक्र किया है और उनका संबंध है, जो कि शिकायती-पत्र बलिया के डी० एम० को दिया गया था और जिसकी कापी यहां भेजी गई थी । उसकी कापी भेजकर विभागीय जांच कराई गई, लेकिन वह नाकाफी समझी गई और इस पर फिर इसको वहां के डिप्टी रजिस्ट्रार के पास विस्तार से जांच करने के लिए भेजा गया था । और मुख्य मंत्री को सितम्बर में जो शिकायती पत्र भेजा गया था उसमें उन्होंने यह आदेश दिये हैं कि इसके लिए स्पेशल आडिट कराया जाये और हमने उसके लिए आर्डर दे दिये हैं और उसे चीफ आडिटर जो प्रदेश के हैं उनके पास भेजा गया है आवश्यक कार्यवाही के हेतु और उन्होंने उसे रीजनल आडिटर के पास भेज दिया है कि विशेष आडिट किया जाये । यह वर्ष ६३–६४ का पुराना हिसाब है इसमें कुछ समय लगेगा ।

**श्री मैनेजरसिंह—**

माननीय मंत्री जी ने कहा कि डिप्टी रजिस्ट्रार भी जांच करने जा रहे हैं तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय मातहती में हैं और क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि आपके जो रजिस्ट्रार हैं और जो बलिया सहकारी बैंक के मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं, उन दोनों की अन्तरंग दोस्ती है और जब वहां वह गये थे मैनेजिंग डाइरेक्टर ने उनके लिए बनारस से कीमती शराब मंगवाई थी ? तो इस बात को देखते हुए क्या आप चीफ आडिटर की रिपोर्ट पर ही विचार करने की कृपा करेंगे ?

**श्री बनारसीदास—**

माननीय मैनेजरसिंह जी ने जो सूचना दी है उसके लिए मैं नहीं जानता कि किससे किसकी दोस्ती है और कैसे स्वागत किया गया । लेकिन मैंने बताया कि विशेष आडिट रिपोर्ट मंगायी गयी है और उसके आधार पर कार्यवाही की जायगी ।

**श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—**

क्या सरकार इन दोनों कोआपरेटिव बैंक और जिला सहकारी संघ, के विरुद्ध शिकायतों का निराकरण शीघ्र से शीघ्र करा देंगे जिससे सहकारिता में लोगों का विश्वास दृढ़ रहे ?

**श्री बनारसीदास—**

मैं कह चुका हूं कि आडिट रिपोर्ट के आने पर उसके आधार पर मुनासिब कार्यवाही अवश्य की जायगी ।

**श्री काशीनाथ मिश्र—**

जिन लोगों के खिलाफ गबन और भ्रष्टाचार के आरोप शिकायती-पत्र में लगायें गये हैं वे लोग जिला कांग्रेस के गण्यमान्य नेता हैं और एक एम० एल० ए० भी हैं और उनके कारण

जो भी अधिकारी जांच के लिये जाता है वह उनके प्रभाव में आ जाता है और सही जांच नहीं कर पाता, जिलाधीश भी उसका कुछ नहीं कर पाते । यदि वे हैं तो कौन हैं ?

श्री अध्यक्ष—

कौन का सवाल नहीं है, जांच में क्या प्रभाव पड़ता है यह बता दीजिए ।

श्री बनारसीदास—

सहकारिता में कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी का सवाल नहीं है, उसमें मैनेजर सिंह जी भी हैं और दूसरे लोग भी हैं . . .

श्री काशीनाथ मिश्र—

जिनके खिलाफ गबन और भ्रष्टाचार की शिकायत है क्या वे कांग्रेसी एम० एल० ए० हैं और वे कौन हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जो यहां कह रहे हैं बाहर चलकर कहिए तो देखें ।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मैंने अर्ज किया कि उसमें कांग्रेस और गैर कांग्रेसी सभी हैं, लेकिन जो अभियोग है उनको सत्य नहीं माना जा सकता जब तक जांच न हो जाय ।

श्री भानुप्रतापसिंह—

सहकारिता आन्दोलन में भ्रष्टाचार बहुत विस्तार से फैला हुआ है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय कौंसिल के सदस्य अपने विभाग के अलावा दूसरी कार्यवाहियों में डिस्टर्ब कर सकते हैं ?

## गृह मन्त्री द्वारा प्रयुक्त शब्दों पर आपत्ति

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, जब मैं आपकी आज्ञा से सवाल कर रहा था तब हरगोविन्दसिंह, माननीय गृह मंत्री, हमको धमकी देकर कहते हैं कि बाहर चल कर कहो तब देख लेंगे ।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

अब भी कहता हूं ।

अनेक सदस्य—

शेम, शेम (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं आपसे निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि ठाकुर हरगोविन्दसिंह [× × ×] आपकी अध्यक्षता में हम से इस तरह की बातें कहते हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप फैसला करें । मैं आप से पूछता हूं . .

---

[× × ×] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

मैं कैसे निर्णय दे सकता हूं अगर आप शोर मचाते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या यह किसी मंत्री के लिए शोभा देता है ?

श्री अध्यक्ष—

आप मुझे बोलने नहीं देंगे। शोर मचायेंगे तो बोलना मुश्किल है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

सचमुच इस सदन में जो माननीय गृह मंत्री ने कहा है उसको सुनकर हमें दुःख है। वह कहते हैं कि-"बाहर निकलकर कहिए तो हम देखें"। मेरा निवेदन यह है कि अधिक कटुता न बढ़े वे इस शब्द को वापस ले लें तो अच्छा है।

श्री हरगोविंदसिंह—

अगर हमारी नीयत पर कोई आक्षेप करता है तो मैं उससे जरूर यह कहूंगा कि वह सदन के बाहर कहे जिससे उसके ऊपर कार्यवाही कर सकूं। इस सदन में जो बात कही जाती है वह मुकदमें में नहीं कही जा सकती। अगर बाहर चलकर कहें तो मैं उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे सदन का यह नियम है कि अगर कोई नीयत पर आक्षेप करता है तो आपत्ति की जा सकती है और नीयत पर आक्षेप करने पर हम उस माननीय सदस्य से कह सकते हैं कि यह बात आप न कहें लेकिन यह कहना कि बाहर चलें तो देखें, यह शोभनीय नहीं है (शोर)

श्री हरगोविंदसिंह—

मैंने यह नहीं कहा कि बाहर चलें तो देखेंगे। यह कहना उनका गलत है। मैंने यह कहा है कि यह जो आपने कहा है बाहर चलकर कहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने अगर गलत सुना और अगर माननीय मंत्री जी ने यह बात कही कि बाहर चलकर कहिए... (शोर)

श्री उग्रसेन—

हम तो यह कहेंगे कि एक-एक मंत्री को डंडा दे दीजिए और वह हम लोगों को पीटें। (व्यवधान और शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। अगर आप मुझे सुनना नहीं चाहते तो बाहर जाइये। (व्यवधान) मैं बोल रहा हूं। आप इस समय बैठ जायं।

श्री उग्रसेन—

मंत्रियों को एक-एक डंडा दे दिया जाय ताकि वह हमें पीटें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अगर मुझे सुनना नहीं चाहते हैं तो सदन से बाहर जायं। आप बैठ जाएं। मैं अगर यह बात मान लूं कि माननीय मंत्री ने केवल यह कहा है कि बाहर कहिए, तो देखेंगे तब भी मैं यह कहूंगा कि किसी प्रकार से मंत्रिमंडल द्वारा ऐसी भाषा में किसी को उत्तर न दिया जाय। जो प्रश्न यहां पर होते हैं उनके उत्तर में कोई बात ऐसी न हो, जिससे किसी के ऊपर यह प्रभाव पड़े कि हम किसी के प्रश्न करने में अड़चन डालना चाहते हैं। मैं सब से निवेदन करूंगा कि यह कहने की क्या आवश्यकता है कि बाहर कहिए।

श्री हरगोविंदसिंह—

अगर हमारी नीयत पर कोई आक्षेप करेगा तो हम कहेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप मुझ से कहिए। अगर आपकी नीयत पर आक्षेप है तो पीठासीन व्यक्ति से आप निवेदन कर सकते हैं।

श्री हरगोविंदसिंह—

मैंने उनसे निवेदन किया कि बाहर चलकर कहें।

श्री अध्यक्ष—

आपको मुझसे कहना था।

श्री हरगोविंदसिंह—

चूंकि यहां पर परिपाटी हो गई है। इसलिए मैंने उनसे यह कहा।

श्री अध्यक्ष—

परिपाटी हो गई हो लेकिन..

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इन शब्दों को वापस लें लें तो बड़ी कृपा होगी। मैंने पहले भी निवेदन किया किंतु अगर वे वापस नहीं लेते हैं तो हम सदन का त्याग करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

सवाल हो रहा था अध्यक्ष महोदय, सहकारिता मंत्री जी से और जवाब उन्होंने दिया। यह बात सही है कि उनका संयुक्त उत्तर दायित्व है, किंतु यहां हुकुमसिंह जी, राममूर्ति जी, मुजफ्फर हसन साहब, कैलाश प्रकाश जी और दूसरे मंत्रिगण बैठे हैं, बीच में हरगोविंद सिंह जी को बोलने की क्या आवश्यकता पड़ गयी? इसमें जरूर कुछ बात थी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के शब्दों का व्यवहार करना असंसदीय है और जब तक इस प्रकार की प्रणाली सदन में चलती रहेगी और हर व्यक्ति को ऐसे शब्दों में अपनी बात कहने की छूट रहेगी, काम चलना मुश्किल हो जायगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन से इन शब्दों को वापस लेने के लिए कहिए और अगर यह नहीं हो सकता तो मैं मजबूर हूं कि आप के इस तरह के निर्णय के खिलाफ ५ मिनट के लिए हाउस का त्याग करूं।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री काशीनाथ मिश्र—

गलत बात को ठाकुर हरगोविंद सिंह जी ने कहा है और यह सदन की व्यवस्था के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष—

काशीनाथ जी, जो मुझे कहना था वह मैंने कह दिया ।

श्री हरगोविंदसिंह—

यदि आज्ञा हो तो मैं स्पष्टीकरण कर दूं (व्यवधान)

[× × ×]

श्री भगवानदास यादवेंदु (जिला आगरा)—

यह बातें बहुत निन्दनीय हैं और इसलिए मैं भी वाक आउट करता हूं ।

(श्री भगवानदास यादवेंदु ने सदन का परित्याग किया।)

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

मैं एक निवेदन करना चाहता था अगर आप सुनने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

एक प्रश्न उठा था उस पर मैंने व्यवस्था दे दी । इस पर आप कुछ न कहें ।

श्री जे० पी० मिश्र—

एक निवेदन आपसे यह करना है कि आपकी अध्यक्षता में विरोधी दल के माननीय सदस्य तरह-तरह के गलत लांछन मंत्रिवर्ग पर और कांग्रेस के असेम्बली के मेम्बरों पर लगाते हैं और यह उनका रोज का काम है अगर इस क़िस्म की उनको इजाजत हो और सब तरह के सही ग़लत झूठ गबन वगैरह के इल्जामात वह लगाते रहें....

श्री अध्यक्ष—

आप यह बात न कहिये । अगर आप यह बातें कहने लग जायंगे तो यहां कोई बोल भी नहीं पायेगा । जो माननीय सदस्य खड़े होकर बोलते हैं उनके सम्बन्ध में यह बात समझ लेनी चाहिये कि वह अपनी सूचना के अनुरूप सही बात ही कह रहे हैं । अगर आप इस तरह से कहने लगें कि गलत-सलत बोलते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि कोई बोल नहीं सकेगा ।

श्री जे० पी० मिश्र—

जो गलत इल्जाम लगाते हैं उनके मुताल्लिक क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष—

अगर गलत लांछन लगाते हैं तो उनका आप जवाब दें ।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

आप खुद अपोजीशन को इन्करेज करते हैं कि वे तरह-तरह की बातें कहें ।

श्री अध्यक्ष—

आप इन शब्दों को वापस लें ।

श्री एस० जी० दत्त—

मैं वापस लेता हूं ।

---

[× × ×] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया ।

## प्रश्नोत्तर—(क्रमागत)

**श्री गंगाप्रसाद (जिला बलिया)—**

यह जो तीसरा प्रश्न है इसके सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है।

**श्री अध्यक्ष—**

प्रश्न कीजिये।

**श्री गंगाप्रसाद—**

माननीय सहकारिता मत्री जी ने बताया कि आंशिक जांच हो चुकी है। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस आंशिक जांच में कितने का गबन पाया गया है और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

**श्री बनारसीदास—**

मैंने कहा कि विभागीय जांच की रिपोर्ट आयी थी और उसे फिर से जांच के लिये भेजा है। जहां तक आडिट रिपोर्ट का सवाल है वह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जब आडिट रिपोर्ट आ जायगी तो उसके बाद उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी और कितना गबन हुआ या क्या हुआ इस बारे में भी सरकार तभी कुछ निश्चित कर के फैसला कर सकेगी। इसलिये विशेष आडिट रिपोर्ट का अभी इंतजार है।

**श्री गंगाप्रसाद—**

क्या सरकार बतायेगी कि यह जांच कब तक सरकार के पास आ जायगी?

**श्री बनारसीदास—**

प्रदेश में काफी आडिट पार्टीज हैं, समय लगता है। १९६३-६४ के पूरे साल की पूरी रिपोर्ट हमने मंगवाई है और हमने लिखा है कि जल्द से जल्द भेजें कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता।

## लखनऊ विश्वविद्यालय कर्मचारियों का वेतन

****४—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने, सन् १९४९ से प्रचलित अपने गैर अध्यापक कर्मचारियों के ४५ प्रकार के वेतन क्रमों का अभिनवीकरण कर, निम्नलिखित आठ प्रकार के वेतन-क्रमों का एक मंसौदा सरकार के पास आवश्यक धन की स्वीकृति हेतु फरवरी, १९६४ में ही भेज दिया था जिसको लागू करने पर केवल ९०,००० रुपया का ही अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार बढ़ेगा? यदि हां तो आवश्यक धन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई?

(१) २५०—५००
(२) २००—४५०
(३) १६०—३५०
(४) १२०—२५०
(५) ८०—२००
(६) ६०—१२०
(७) ४०—७०
(८) २५—४०

**वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—**

जी हां।

प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

## लखनऊ में टोण्ड दूध की बिक्री

**५—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ प्रोडयूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन लि० ने १७ फरवरी, १९६५ से टोण्ड दूध देना आरम्भ कर दिया है और अब तक जो शुद्ध दूध दिया जाता था वह बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

श्री बनारसीदास—

जी हां, लखनऊ प्रोडयूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन ने १७-२-१९६५ से टोन्ड दूध की बिक्री प्रारम्भ कर दी है।

पशुओं के चारा दाना इत्यादि के मूल्य बढ़ने तथा दूध के बने पदार्थों के विक्रय मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप व्यापारिक प्रतियोगिता बढ़ जाने से सहकारी दुग्ध संघ को अपने सदस्यों से दूध खरीदने का भाव बढ़ाना पड़ा।

दूध के क्रय मूल्य में वृद्धि होने के कारण सामान्यतया दुग्ध संघ को अपनी बिक्रय मूल्य में वृद्धि कर देनी चाहिये थी। परन्तु संघ ने यह उचित नहीं समझा और टोन्ड दूध की बिक्री पुराने ही भाव पर जारी रखी।

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

### सुल्तानपुर जिले में ग्रामीण जन शक्ति योजनान्तर्गत कार्य

*१—सर्वश्री रामबली मिश्र, उमादत्त, रमाकान्तसिंह तथा इन्द्रपाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले के किन-किन विकास खण्डों में जन-शक्ति उपयोग योजनान्तर्गत सन् १९६३-६४ तथा १९६४-६५ में कितने गांव ऊंचा करने तथा कितनी सड़कों के बनाने की स्कीम स्वीकृत की गई थी और उनमें कितना कार्य सम्पन्न हुआ ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

वांछित सूचना विवरण (क) में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २९१-२९२ पर)

*२—सर्वश्री रामबली मिश्र, उमादत्त, रमाकान्तसिंह तथा इन्द्रपाल—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उसी स्कीम के अन्तर्गत बल्दीराय विकास क्षेत्र के अन्तर्गत महमूदपुर का बांध भी रखा गया था ? यदि हां तो उसके बनाने की क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां, इसका सर्वेक्षण हो रहा है। सम्भवतः इस पर अगले वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ हो सकेगा ?

*३—सर्वश्री रामबली मिश्र, उमादत्त, रमाकान्त सिंह तथा इन्द्रपाल—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६२ से अब तक कितना रुपया सुल्तानपुर जिले में लघु सिंचाई योजना के लिये दिया गया और उसमें से कितना व्यय हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वित्तीय वर्ष सन् १९६२–६३ से १९६४–६५ (दिसम्बर) तक लघु सिंचाई योजना के लिये कुल ३६,४४,४०० रु० ऋण के रूप में वितरित करने हेतु दिया गया जिसमें से ३१ दिसम्बर, सन् १९६४ तक १७,५३,६०७ रु० वितरित किया गया।

श्री रामबली मिश्र—

यह जो कार्य इसमें नहीं हुआ उसके क्या कारण हैं और क्या वह उसे १९६५ में पूरा कराने के आदेश देंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

ग्रामीण जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत जो कार्य है वह जिले के स्तर पर किये जायंगे कार्य न होने का मुख्य कारण टीम लीडरों का अभाव और प्राविधिक लोगों–इंजीनियर, ओवर-सीयरों की कमी थी। अब सिंचाई और पी० डब्ल्यू० डी० विभाग ने अलग से डिवीजन कायम किये हैं वह इस कार्य को करेंगे। जो बाकी रह जायगा उसको जिला परिषदों को देंगे।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सुल्तानपुर जिले की अमेठी तहसील में ग्रामीण जन-शक्ति उपयोगी योजना के अन्तर्गत कोई काम हुआ है और कितना होने की योजना है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

अमेठी-भादर रोड में ७ मील का है ३,५०,००० का इसमें २,१८,००० रुपया व्यय किया गया। काम लगभग समाप्ति पर है। लम्बुआ में १५ गांवों को ऊंचा करना था ४० हजार का काम था, काम नहीं हो सका। लम्बुआ–दुर्गापुर –भादर रोड ६ मील का काम था २७० हजार में से १,५६ हजार व्यय हुआ, काम लगभग समाप्ति है। सुल्तानपुर–सूरज-पुर–मऊ रोड ७ मील का काम था उसमें कार्य-क्रम नहीं हुआ है। लेकिन ये सारे कार्य-क्रम इस साल तेजी से किये जायंगे।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

गौरीगंज का नहीं आया।

श्री बंशीधर पांडेय—

गौरीगंज में १३ गांवों को ऊंचा करना था यह नहीं हो सका है। ये सब कार्य इसी साल शुरू होंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत जितना बजट में प्राविधान किया जाता है वह खर्च नहीं होता है तो जो आपने प्राविधिक इंजीनि-यरों वगैरह के मुकर्रर करने की बात की है तो उसका अलग डिपार्टमेंट बना रहे हैं या सब डिपार्टमेंट में फिर कंफ्यूज करेंगे जिससे काम नहीं हो पायेगा इस प्रकार का कोई विचार कर रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

ऐसी बात नहीं है ग्रामीण जन-शक्ति उपयोगी योजना के अन्तर्गत पिछले वर्षों में प्रथम, द्वितीय और तीसरे चरण में जो काम हुआ उस सभी में प्राविधिक लोगों की और टीम लीडरों की कमी थी। अब सिंचाई और पी० डब्ल्यू० डी० विभाग ने डिवीजन कायम किये हैं जिससे यह सुचारुरूप से होगा।

श्री रामबली मिश्र—

जो सर्वेक्षण कार्य हो रहा है वह किस विभाग के किस अधिकारी द्वारा हो रहा है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह संभवतः सिंचाई विभाग करेगा, बांध के संबंध में है ।

श्री जे० पी० मिश्र—

जिन जिलों में जन-शक्ति योजना के मातहत पैसा खर्च नहीं हो पाया है तो क्या माननीय मंत्री जी हरदोई जिले के कलेक्टर की सिफारिश पर और वहां के सेमिनार की सिफारिश पर वह पैसा हरदोई जिले को देने के लिये तैयार हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह हरदोई का प्रश्न नहीं है । वहां के लिये न पूछिये ।

श्री रामबली मिश्र—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि सिंचाई विभाग के इंजीनियर ने परिषद् की मीटिंग में कहा है और मुझसे भी कहा है कि यह कार्य उनकी शक्ति के परे है, उनके विभाग से नहीं हो सकता है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

बांध बनाना कौन शक्ति से परे है ? मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है । आप से कहा होगा । अगर सरकार ने स्वीकार किया है तो बनायेगी ।

## सामुदायिक विकास विभाग के अस्थायी कर्मचारी तथा देवरिया जिले में नियोजन कार्य

*४—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नियोजन विभाग में ऐसे अस्थायी कर्मचारी जिनकी सेवायें ५ वर्ष से ऊपर हो गई हैं उनके स्थायीकरण के विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ? उनके स्थायी करने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सामुदायिक विकास विभाग के ऐसे अस्थायी कर्मचारी जिनकी सेवायें ५ वर्ष से ऊपर हो गई हैं उनका स्थायीकरण क्रमिक अंश में किया जा रहा है । लगभग एक तिहाई पद स्थायी घोषित किए जा चुके हैं और इन पदों पर उपयुक्त कर्मचारियों का स्थायीकरण मुख्यालय, मण्डलीय, जिला नियोजन एवं विकास क्षेत्र के स्तर पर किया जा रहा है । इन कर्मचारियों में से अधिकांशतः स्थायी किये जा चुके हैं । इनके स्थायीकरण में विलम्ब का यह कारण है कि ये कर्मचारी विभिन्न विभागों से लिए गए थे और उनकी ज्येष्ठता सूची तैयार करने में कुछ कठिनाई हुई । कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनका स्थायीकरण उनका कार्य असंतोषजनक होने के कारण नहीं हो सका ।

*५—श्री कैलाश—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में १९६४–६५ में नियोजन विभाग द्वारा देवरिया जिले के भटनी भाटपार, बनकटा, ब्लाक में कौन-कौन से कार्य किये जायेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वांछित†सूचना माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

श्री कैलाश—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितने विकास खंड अधिकारी ऐसे हैं जिनका कार्य असंतोषजनक है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

नोटिस की आवश्यकता है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

पंचायत के मंत्रियों में से भी किसी को आपने स्थायी बनाया है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

ये नौकरियां जिला परिषद् के मातहत हैं, सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

## देवरिया जिले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का वेतन

*६—श्री कैलाश—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्वास्थ्य विभाग देवरिया के कितने कर्मचारियों का टी० ए० बिल एवं तनख्वाह का १९६३ से अब तक भुगतान नहीं किया गया था ? भुगतान में विलम्ब होने का कारण क्या है ?

शिक्षा उपमन्त्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

(१) २६ कर्मचारियों का वेतन एवं १४६ कर्मचारियों का यात्रा भत्ता सन् १९६३ से अब तक देय है।

(२) भुगतान के विलम्ब के मुख्य कारण सम्बन्धित कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति न प्राप्त होना, उनके पिछले नियुक्ति के जिले से बिल सम्बन्धी आपत्तियों का निवारण न होना, बिल महालेखापाल से प्रीआडिट के पश्चात् जिले से अब तक न प्राप्त होना आदि हैं।

श्री कैलाश—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो २६ कर्मचारियों का वेतन बाकी है तो वह जिला दफ्तरों में कितने दिन से पड़ा हुआ है और उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह १९६३ के बजट का मामला है, उसी दिन से पड़ा हुआ है।

## निधपुर परगना में विकास कार्य

*७—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)—

क्या विकास मन्त्री को यह ज्ञात है कि जिला नियोजन अधिकारी एटा का पत्रांक सं० लि०, दिनांक २२ सितम्बर, १९६४ तथा मेरा पत्र दिनांक २१ अक्तूबर, १९६४, जिला एटा की तहसील अलीगंज के परगना निधपुर के विकास हेतु उप-सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कम्युनिटी

---

†छापी नहीं गयी।

डेवेलपमेंट (सी) विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो निम्नलिखित के विषय में क्या योजना बनायी जा रही है :—

(१) पुलों के निर्माण हेतु, (२) गंगा नदी के बांध बनाने हेतु, (३) विभिन्न सड़कों के निर्माण हेतु, (४) आदमी एवं पशुओं के अस्पताल बनाने हेतु और (५) विद्युत् शक्ति पहुंचाने हेतु ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

निम्नलिखित विषयों में जो कार्यवाही की जा रही है उसका ब्योरा इस प्रकार है :—

(१) पुलों के निर्माण हेतु—ग्राम बढ़ौला से थाना दरियाबगंज वाली सड़क पर तथा पटियाली से नरदौली वाली सड़क पर एक-एक पुल बनाने हेतु एस्टीमेट सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये हैं और इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग ने सिंचाई अभियन्ता की आख्या मांगी है। आख्या आने पर ही इस प्रश्न पर विचार हो सकेगा।

सहावर से सहबाजपुर सड़क, जिस पर प्रश्नकर्ता के अनुसार पुलिया की आवश्यकता है, के बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने मुख्य अभियन्ता को आदेश दिये हैं कि वे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बनाते समय अन्य सड़कों के साथ-साथ उसका भी विचार करेंगे।

(२) गंगा नदी के बांध बनाने हेतु—इस विषय पर सिंचाई विभाग विस्तारपूर्वक विचार कर रहे हैं।

(३) विभिन्न सड़कों के निर्माण हेतु—सड़कों के निर्माण हेतु प्रस्तावों को सड़कों तथा पुलों की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बनाते समय विचार करने के लिए मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेज दिया गया है।

(४) आदमी एवं पशुओं के अस्पताल बनाने हेतु—जन चिकित्सालयों के खोले जाने हेतु स्वास्थ्य सेवा निदेशक की राय मांगी गयी है और उनकी सिफारिश आ जाने के पश्चात् यदि उन सब या किसी एक गांव में अस्पताल खोला जाना आवश्यक समझा गया, तो खोलने का प्रयत्न किया जायगा।

ग्राम बडोला में एक पशु सेवा केन्द्र खोले जाने का प्रश्न पशुपालन विभाग के विचाराधीन है।

(५) विद्युत् शक्ति पहुंचाने हेतु—ग्राम बढौला, मायासुर तथा गजौरा में बिजली पहुंचाने हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता से आवश्यक सर्वे कराने हेतु कह दिया गया है।

## विकास खण्ड, बढ़नी के सेनेटरी इन्सपेक्टर के विरुद्ध आरोप

*८—श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के विकास खंडों के किन-किन सैनिटरी इन्स्पेक्टरों के विरुद्ध जनवरी, १९६४ से १५ सितम्बर तक कितनी-कितनी शिकायतें जनता की ओर से प्राप्त हुयीं तथा उन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

बस्ती जिले के विकास खण्डों में से केवल बढ़नी खन्ड के सैनिटरी इन्स्पेक्टर के विरुद्ध किराना एसोसिएशन, बढ़नी तथा किराना मर्चेंट्स, बढ़नी से सात शिकायती पत्र प्राप्त हुये जिन की जांच जिला स्वास्थ्य अधिकारी बस्ती द्वारा की गयी। परन्तु कोई भी आरोप सही सिद्ध न होने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

*९—श्री शारदाभक्तसिंह (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि बस्ती जिले के विकास खण्ड बढ़नी के वर्तमान सैनिटरी इन्स्पेक्टरों के खिलाफ जुलाई अथवा अगस्त, १९६४ में कोई जांच शासन द्वारा जनता की शिकायत पर करायी गयी थी? यदि हां, तो उन पर क्या आरोप थे तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

बस्ती जिले के विकास खण्ड, बढ़नी के सैनिटरी इन्स्पेक्टर के विरुद्ध शिकायती-पत्र किराना एसोसिएशन बढ़नी तथा किराना मर्चेंट्स, बढ़नी से प्राप्त हुये, जिन पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी, बस्ती ने विस्तृत रूप से जांच की और अपनी रिपोर्ट २३ सितम्बर, १९६४ को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में भेजी, सैनिटरी इन्स्पेक्टर के विरुद्ध निम्न आरोप लगाये गये थे :—

(१) यह कि सैनिटरी इन्स्पेक्टर घूस के रूप में माहवारी बांधने के लिए रोज दबाव डालते हैं और ऐसा न करने पर सही नमूने को गलत तरीके से भेजने की धमकी देते हैं। और कहते हैं कि माहवारी बांध दिया जाय तो सैम्पुल लेंगे ही नहीं।

(२) यह कि सैनिटरी इन्स्पेक्टर को दूकानदारों ने लाइसेंस फीस काफी दिन हुये दे दिया है परन्तु आज तक लाइसेंस नहीं प्राप्त हो सके।

(३) यह कि सैनिटरी इन्स्पेक्टर धमकी देते हैं कि मेरे हाथ में इतना अधिकार है कि मैं लाइसेंस रद्द करवा सकता हूं।

उपरोक्त आरोपों में कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अतएव सैनिटरी इन्स्पेक्टर के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

## देवरिया, गोरखपुर, बस्ती जिले में ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजनान्तर्गत कार्य

*१०—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया, गोरखपुर तथा बस्ती में जन-श्रम उपयोगी योजना के अन्तर्गत १९६२–६३, १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में जिलेवार कितनी रकम की स्वीकृति थी और कितना धन खर्च किया गया?

श्री राममूर्ति—

सूचना विवरण (क) में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २९३ पर)

*११—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या विकास मन्त्री को जिला अधिकारियों से शिकायत मिली है कि उक्त योजना कड़े नियम के कारण लाभदायक नहीं सिद्ध हो रही है?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं।

*१२—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या नियोजन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत १९६३–६४ और १९६४–६५ में कौन-कौन से कार्य देवरिया जिले में संपादित किये गये और उन पर कितना खर्च पड़ा ?

श्री राम मूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही हैं।

## सहकारिता विभाग के अस्थायी के गजटेड अफसर

*१३—श्री नवलकिशोर (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग में ऐसे कितने गजेटेड अफसर हैं जिन को अस्थायी तौर से दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ तक कार्य करते हुये एक वर्ष से ऊपर हो गया है, परन्तु नियमानुसार, उनकी स्वीकृति लोक सेवा आयोग से अभी तक नहीं मांगी गयी है ? यदि हां, तो कौन (नाम व पद सहित) और कब से ?

श्री बनारसीदास—

ऐसे केवल ३ अफसर हैं। इनके नाम हैं सर्वश्री ओ० पी० त्यागी, बी० बी० पाण्डे तथा श्री जी० आर० के० टण्डन। यह तीनों क्रमशः १५–९–६२, १–११—६२ तथा ६–७–६३ से उप निबन्धक के पद पर कार्य कर रहे हैं। इनके उपरोक्त पदों पर चलते रहने के लिए आयोग को लिखा जा रहा है।]

[२४ फरवरी, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

[पांचवें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

*३–४—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

[पांचवें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

## आई० टी० आई०, मैनपुरी की इमारत

*५—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या २–९–६४ के तारांकित प्रश्न ४ के क्रम में सरकार बताने की कृपा करेगी कि आई० टी० आई०, मैनपुरी के लिए सरकार की तरफ से इमारत कब तक बन जायेगी ?

श्री बनारसीदास—

आई० टी० आई०, मैनपुरी की इमारत के लिए अभी भूमि प्राप्त नहीं हो पायी है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इमारत कब तक बन जायेगी।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वक्त कौन-सी जमीन को लेने का प्रयत्न किया जा रहा है और वह कब तक मिल जावेगी ?

श्री बनारसीदास—

बात ऐसी है कि जो जमीन हम लेना चाहते थे उस पर रिट फाइल कर दिया गया है और इसलिये उस में देर लगेगी। दूसरी जमीन की तजवीज की गयी है और आशा है कि जमीन

[श्री बनारसीदास]

जल्दी मिल जावेगी। जमीन मिल जाने पर इमारत बनने का काम दो-तीन साल तक हो जावेगा।

*६—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[पांचवें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

*७—श्री ऊदल—

[पांचवें बुधवार के लिए स्थगित किया गया ।]

## बदायूं जिले में जगत ब्लाक की जीप

*८—श्री गणेशचन्द्र काछी—

विधान सभा के ५वें बुधवार के अतारांकित प्रश्न ७ के क्रम में सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब बदायूं जिले के जगत ब्लाक की जीप की मरम्मत होकर मिलने का कोई समय निश्चित ही नहीं है, तो ऐसी दशा में क्या सरकार दूसरी जीप भेजने पर विचार करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री राममूर्ति—

वर्तमान संकटकालीन स्थिति में भारत सरकार से जीपें उपलब्ध न होने के कारण जगत ब्लाक को दूसरी जीप देना सम्भव नहीं है। जीप की मरम्मत करायी जा रही है। आशा है कि यह शीघ्र ही विकास क्षेत्र को उपलब्ध हो जायेगी।

## कैलाश ज्वेलर्स फर्म, शाहजहांपुर के मालिक की गिरफ्तारी

*९—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर में श्री शंकर लाल, पुत्र श्री इन्दर-लाल, मालिक फर्म कैलाश ज्वेलर्स, शाहजहांपुर को सेल्स टैक्स का बकाया न देने के अपराध में २८ जुलाई, १९६४ को क्यों गिरफ्तार किया गया जब कि २९ जुलाई, १९६४ तक का स्टे आर्डर उन को मिल चुका था।

*१०—क्या सरकार बतायेगी कि इस प्रकार गिरफ्तार करके शासन को बदनाम करने वाले कर्मचारियों, जिन्होंने कि स्टे होने के बाद भी गिरफ्तार किया, के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं की गयी, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

## जिला परिषद् कर्मचारियों का विवेक भत्ता

*११—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) तथा श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या विकास मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला परिषद् के कर्मचारियों को दिनांक १ जनवरी, १९६२ से मिलने वाला एडहाक रिलीफ अब तक क्यों नहीं मिला और ऐसा कितना रुपया उन कर्मचारियों को मिलना चाहिये?

*१२—क्या विकास मन्त्री को मालूम है कि म्युनिसिपैलिटीज को दिनांक १ अगस्त, १९६२ से मिलना शुरू हो गया है, तो फिर जिला परिषद् को क्यों नहीं दिया गया है?

---

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री राममूर्ति—

११ व १२—जिला परिषदों को छोड़कर नगर क्षेत्र के स्थानीय निकायों को यह अनुमति दी गयी कि यदि वे अपने अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को जिनका वेतन २०० रु० प्रति-माह तक है, ५ रु० मासिक विवेक भत्ता के रूप में अपनी निधि से देना चाहें और उनकी आर्थिक दशा इस अतिरिक्त व्यय भार को वहन करने योग्य हो और वह इस सम्बन्ध में सरकार से आर्थिक सहायता की अपेक्षा न करती हों तो सरकार को कोई आपत्ति न होगी और वे भत्ते को १-८-६२ या उसके बाद किसी तारीख से दे सकती हैं।

जिला परिषदों की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण यह विवेक भत्ता अथवा एडहाक रिलीफ उन के कर्मचारियों को नहीं दिया जा सका।

*१३—श्री रियासत हुसैन तथा श्री विजयसिंह—

क्या विकास मन्त्री को इस सिलसिले में जिला परिषद् के मुलाजिम कर्मचारियों की तरफ से कोई पत्र मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राममूर्ति—

जी हां। यह विषय पंचायती राज साधन समिति को सौंप दिया गया है। समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर सरकार निर्णय लेगी।

*१४—१५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[पांचवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

## वैद्यों एवं हकीमों का रजिस्ट्रेशन

*१६—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर), श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर) तथा श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन्डियन मेडिसिन ऐक्ट, १९४१ के अनुसार बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन रजिस्ट्रेशन ने सन् १९६३ में कितने और सन् १९६४ में कितने-कितने वैद्यों एवं हकीमों का रजिस्ट्रेशन किया और कितने-कितने प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकार किया?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यू० पी० इन्डियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ के अधीन सन् १९६३ में ४५९ वैद्यों एवं ६८ हकीमों तथा सन् १९६४ में ४५६ वैद्यों एवं ४८ हकीमों का रजिस्ट्रेशन हुआ। किसी भी वैद्य अथवा हकीम के रजिस्ट्रेशन का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार नहीं हुआ।

*१७—श्री मुमताज मुहम्मद खां, श्री कमलासिंह यादव तथा श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इंडियन मेडिसिन बोर्ड रजिस्ट्रेशन करते समय इन हकीमों और वैद्यों की शैक्षिक आयुर्वेदिक या तिब्बे यूनानी की योग्यता भी मालूम करता है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, रजिस्ट्रार अपनी संतुष्टि के उपरान्त रजिस्ट्रेशन करते हैं।

## जहांगीराबाद विकास खण्ड का मुख्यालय

*१८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने उनसे गत अगस्त सितम्बर, मास में जहांगीराबाद विकास खण्ड, जिला बुलन्दशहर के मख्यालय को जाडोल के स्थान पर स्थानान्तरण

करने के सम्बन्ध में जो भेंट की थी और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि वह इस सम्बन्ध में जिले के अधिकारियों से इसके औचित्य को ज्ञात करेंगे, तो उन्होंने अपने उक्त जबानी आश्वासन के अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों से इसके औचित्य को ज्ञात किया या नहीं ? यदि हां, तो उन अधिकारियों ने क्या राय दी ?

श्री राममूर्ति—

इस विषय की स्थिति के बारे में जिला नियोजन अधिकारी, बुलन्दशहर से जानकारी की गई थी, जो कि निम्न प्रकार है :—

यह विषय क्षेत्र समिति की बैठक दिनांक १५-२-१९६४ में विचार हेतु रखा गया था जिसमें कुल ८९ सदस्यों की संख्या में से ७० सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या २ के अनुसार जहांगीराबाद में ही मुख्यालय स्थापित करने का निश्चय किया । इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि संलग्न है ।

जिला नियोजन अधिकारी की आख्या के अनुसार भवन निर्माण हेतु जमीन के चुनाव के संबंध में क्षेत्र समिति की एक बैठक दिनांक १५-२-१९६५ को हुई जिसमें प्रस्ताव संख्या ११ दिनांक १५-२-१९६५ जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है, के द्वारा जहांगीराबाद में ग्राम समाज की ऊसर भूमि पर भवन निर्माण की प्रस्तावना की गई है। अभी उक्त भूमि की उपयुक्तता के बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियन्ता द्वारा निरीक्षण नहीं हुआ है । भूमि का निरीक्षण हो जाने के बाद यह प्रस्ताव वर्तमान नियमों के अनुसार जिला परिषद् में विचारार्थ एवं उनकी संस्तुति हेतु रखा जायेगा । तदुपरान्त शासन से अन्तिम निर्णय लेने के लिये इस विषय पर विचार किया जायेगा ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २९४ पर)

*१९-२१—श्री नवलकिशोर—

[पांचवे बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*२२—२३—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

[पांचवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

## मलेरिया विभाग में छटनी

*२४—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री रियासत हुसैन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मलेरिया डिपार्टमेन्ट के सर्विलैन्स स्टाफ को खत्म किया जा रहा है ? यदि हां, तो उनके खातमे के बाद कितने लोग किस-किस स्थान पर बेकार हो जायेंगे और क्या ऐसे कर्मचारियों को नौकरी देने के लिये कोई नई योजना या किसी पुरानी योजना में एब्जार्ब करने के लिये सोचा जा रहा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, मलेरिया डिपार्टमेन्ट के कुछ यूनिट जो मेन्टीनेन्स फेज में जायेंगे, के ऐसे कर्मचारियों की जिनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रहेगी । आवश्यक विवरण संलग्न सूची में दिया गया है । इन कर्मचारियों को एब्जार्ब करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २९५ पर)

## जिला अस्पताल, बरेली में नर्सों का भत्ता

*२५—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जी० ओ० नं० इ-१-१३३४—दस—११५—१९६० तिथि १ अक्तूबर, १९६० के द्वारा १ अप्रैल, १९६० से महंगाई भत्ते में आठ रुपये प्रतिमास की अतिरिक्त वृद्धि बरेली में जिला अस्पताल के अन्तर्गत जनरल नर्सिग की ट्रेनिंग पाती हुई सभी नर्सों को दिनांक १ अप्रैल, १९६१ से ३१ जनवरी, १९६१ तक की अवधि की नहीं दी गई है ? यदि हां, तो उनको उक्त अवधि की महंगाई भत्ते की वृद्धि का एरियर न दिये जाने के कारण क्या हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, इन नर्सों का १—४—१९६० से ३१—१—६१ तक की अवधि का महंगाई भत्ते में अतिरिक्त वृद्धि का बिल सिविल सर्जन बरेली द्वारा pre- audit के लिये महालेखापाल (A.G.) उत्तर प्रदेश को भेजा गया था, उन्होंने उक्त बिल में यह आपत्ति उठाई है कि नर्स छात्राओं को छात्र वृत्ति दी जाती हैं न कि वेतन । अतः सरकारी कर्मचारियों की भांति समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों से उनको महंगाई भत्ता दिया जा सकता है अथवा नहीं, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

*२६—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि बरेली में मार्च १९६४ में जिन अन्डर ट्रेनिंग नर्सेज ने अपनी डियु वकेशन लीव ली थी, उनकी छुट्टी की अवधि का ३० रुपये प्रतिमास का बोर्डिग अलाउन्स काट लिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? क्या सरकार उसे शीघ्र दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां । सिविल सर्जन बरेली ने गलतफहमी से बरेली जिला अस्पताल में मार्च, १९६४ में इम्तहान के पश्चात् Vacation leave पर गई कुछ नर्स छात्राओं को ३० रुपये प्रतिमास का बोर्ड अलाउन्स नहीं दिया जिसके लिये उनको स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा तुरन्त भुगतान करने के लिये आवश्यक आदेश दिये जा रहे हैं ।

*२७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि बरेली जिला अस्पताल में जो नर्स अस्ताल के मेस से बाहर रह रही हैं उनमें से बहुतों को पन्द्रह रुपया प्रतिमास का मकान भत्ता नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किन कारणों से और कितनों को नहीं दिया जा रहा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

नरसेज होम से बाहर रहने वाली नर्सों को केवल उस परिस्थिति में मकान का किराया दिया जाता है जब कि उनको नर्सेज होम के बाहर रहने की अनुमति दी गई हो, तथा नर्स मकान के किराये की रसीद नियमित रूप से प्रतिमास देती हों, इस समय ६ नर्सों को जो मेस से बाहर रह रही हैं, मकान का किराया नहीं मिल रहा है । जिसके कारण निम्नलिखित हैं—

१—कुमारी एन० नरोना—ये ट्रेनिंग के समय से ही बाहर रहती थीं । इनसे कई बार मेस में रहने के लिये कहा गया, परन्तु ये अपनी मर्जी से ही बाहर रह रही हैं । इसलिये इन्हें मकान का किराया नहीं दिया गया ।

| | | |
|---|---|---|
| २—कु० जी० सिंह सिस्टर | } | इन्होंने किराये के लिये अभी प्रार्थना पत्र दिये हैं, जो सिविल सर्जन, बरेली के विचाराधीन हैं। |
| ३—कु० सी० के० मज़ान | | |
| ४—श्रीमती ए० पी० सिंह | | |
| ५—एम० एस० डी० रिचर्ड | | |

६—एम० मनचन्द—जब मेस में पहले जगह थी तब इनसे रहने को कहा गया, परन्तु इन्होंने सिविल सर्जन की आज्ञा का पालन नहीं किया तथा अपनी इच्छा से बाहर रह रही हैं। अतः ये मकान भत्ते के लिये हकदार नहीं हैं।

## हरदोई जिले में खजाने के कर्मचारियों का वेतन व भत्ता

*२८—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उप सचिव वित्त विभाग ने २७ अगस्त, १९६४ को प्रत्येक जिलाधीश को बाबत ऐडहाक वेतन ५ रु० खजाने के स्टाफ के बढ़ाने के लिये कोई आदेश भेजा था ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं, २७ अगस्त को कोई आदेश नहीं जारी हुये। २१ अगस्त को इस सम्बन्ध में आदेश जारी हुये थे, उसकी एक †प्रति संलग्न है।

*२९—श्री मोहनलाल वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त आदेश पर हरदोई जिले में खजाने के किन-किन कर्मचारियों को कितना-कितना पुराना बढ़ा हुआ वेतन दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—

| | रु० पै० |
|---|---|
| १—तहवीलदार (खजांची) सदर दफ्तर खजाना हरदोई .. | १५४.७९ |
| २—स्टाम्प वेंडर ,, ,, .. | १७५.७३ |
| ३—तहसीलदार जिले के चारों तहसीलों के .. .. | ६५६.६६ |
| ४—सदर खजाने के केश विभाग चपरासी .. .. | १५५.०० |
| ५—आफीशियेटिंग चपरासी .. .. .. | २.४२ |

*३०—श्री मोहनलाल वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि २४ नवम्बर, १९६४ को सहायक सचिव का कोई दूसरा आदेश वेतन वृद्धि संबंधी निकला है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां,

प्रतिलिपि †संलग्न है।

---

†छापी नहीं गई।

*३१–३२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

[पांचवे बुधवार के लिये स्थगित किये गये । ]

## जिला परिषद् कर्मचारियों की अवकाश ग्रहण आयु

*३३—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३० जुलाई, १९६४ को प्रश्नकर्ता जिला परिषद् के कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम आयु ६० वर्ष करने के संबंध में नियम ५२ की जो सूचना दी गई थी और जिसे उसी दिन श्री अध्यक्ष द्वारा विकास मंत्री के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया गया था उस पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राममूर्ति—

जिला परिषद् के कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम आयु ६० वर्ष करने का प्रस्ताव विचारोपरान्त सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया ।

*३४—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

[पांचवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया । ]

*३५–३६—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

[पांचवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये । ]

## ग्राम पंचायत, पूरा के लेखा की जांच

*३७—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि ग्राम पंचायत तथा ग्राम समाज पूरा, तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर में सन् १९५४ ई० से १९६१ ई० तक ग्राम सभापति के पद पर कौन सज्जन रहे हैं तथा इस अवधि में ग्राम पंचायत व ग्राम समाज को अलग मदों में कितनी आय तथा व्यय रहा है ?

श्री रामभूर्ति—

गांव पंचायत एवं गांव समाज पूरा, तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर में १९५४ से १९६१ ई० तक श्री के० पी० अग्नि ग्राम सभापति के पद पर रहे तथा इस अवधि में गांव पंचायत एवं गांव समाज की अलग-अलग मदों में हुई आय का विरवण † संलग्न है ।

*३८—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ग्राम पंचायत व ग्राम समाज पूरा, तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर के हिसाब-किताब में १९५४ से १९६१ की अवधि में गबन की शिकायत है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामभूर्ति—

जी नहीं । गांव पंचायत व गांव समाज पूरा के हिसाब किताब में १९५४ से १९६१ ई० की अवधि में गबन की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई, इसलिये कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

---

†छापा नहीं गया ।

*३९—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ग्राम पंचायत व ग्राम समाज पूरा का उपरोक्त अवधि के हिसाब का आडिट किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री राममूर्ति—

ग्राम पंचायत पूरा तहसील, बिल्हौर, कानपुर के १९५४ से १९५६ तक के लेखों का परीक्षण आधार पर तथा वर्ष १९५८ से १९६२ तक के लेखों का शतप्रतिशत आधार पर सम्प्रेक्षण किया जा चुका है ।

*४०–४१—[हटा दिये गये ।]

## कानपुर में बिक्री-कर बकाया

*४२—श्री शिवनार्थसिंह (जिला कानपुर)—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर के किन-किन मिल मालिकों पर कितना-कितना रुपया कितनी अवधि से सेल्स टैक्स का बकाया है और सरकार ने उसको वसूलयाबी के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## बिक्री-कर बकाया

*४३—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १५ दिसम्बर, १९६४ को प्रदेश में ऐसे कौन-कौन व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनियां हैं जिन पर बिक्रीकर का २० हजार रुपये से अधिक बकाया है ?

*४४—क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि १५–१२–६४ को प्रदेश में बिक्रीकर का कुल कितना बकाया है ?

*४५—क्या वित्त मंत्री यह बतायेंगे कि प्रदेश में ऐसे कौन-कौन व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनियां हैं जिन पर ५ हजार से अधिक धन बाकी है तथा २ वर्ष से अधिक समय से स्टे किया जा चुका है तथा प्रत्येक का स्टे करने का क्या कारण है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

[४३ तथा ४५—इन प्रश्नों में अभीष्ट सूचना एकत्र व संकलित करने में जो समय और परिश्रम अपेक्षित है वह प्राप्त फल के अनुरूप न होगा ।

४४—प्रदेश में बिक्री कर की बकाया धनराशि के आंकड़े ३०–९–१९६४ तक के ही उपलब्ध हैं जिनके अनुसार उक्त तिथि को ११.०३ करोड़ रुपया बकाया था ।]

## प्रशिक्षित ग्राम सेवक

*४६—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितने ट्रेन्ड ग्राम सेवक बेकार बैठे हुये हैं उनको कब तक काम में लगाया जा सकेगा और क्या उनको कुछ आंशिक वेतन बांड भरे होने के नाते बेकारी में मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जुलाई, १९६४ तक प्रशिक्षण प्राप्त कर, निकले सभी सफल प्रशिक्षित ग्राम सेवकों को नियुक्त आदेश जारी करने की स्वीकृति भेजी जा चुकी है। उक्त बांड के अनुसार प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को बेकारी की अवस्था में कोई आंशिक वेतन देने का प्राविधान नहीं है। ग्राम सेवक पद पर योगदान करने पर ही वेतन मिलता है, अतः कुछ आंशिक वेतन देने का प्रश्न नहीं उठता।

*४७–४८—श्री केशरीप्रसाद पांडेय, श्री कमलासिंह यादव तथा श्री बैजनाथसिंह वद्य—

[पांचवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४९—श्री शिवनाथसिंह—

[पांचवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

## स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के गजटेड अफसर

*५०—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वास्थ्य विभाग के निदेशालय में कौन से अफसर गजटेड पोस्ट के लिये कितने दिनों से हैं और इसका कारण क्या है कि वे ३ वर्ष से अधिक से रह रहे हैं?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में २२ अधिकारी गजटेड पोस्ट पर हैं जिनमें १२ अधिकारी तो तालिका नं० १ में दिखलाए गए हैं जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित हैं तथा १० अधिकारी जो तालिका नं० २ में दिखाए गये हैं चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित हैं। ये अधिकारी किस तिथि से कार्य कर रहे हैं तथा ३ वर्ष से अधिक समय से वे अपने पद पर क्यों हैं इन सबका विवरण‡ संलग्न सम्बन्धित तालिकाओं में दिखलाया गया है।

## अस्थायी पंचायत निरीक्षक

*५१—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लोक सेवा आयोग की बी० लिस्ट के १४ पंचायत निरीक्षक ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति १९५५ में हुई थी परन्तु उन्हें अभी तक स्थायी (कनफर्म) नहीं किया गया? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री राममूर्ति—

जी हां, १९५५ में नियुक्त किये गये लोक सेवा आयोग की 'बी' लिस्ट के केवल १३ पंचायत निरीक्षक इस समय सेवा में हैं और इन्हें अब तक इस कारण स्थायी नहीं किया गया है क्योंकि आयोग ने इन्हें केवल अस्थायी स्थानापन्न नियुक्तियों के लिए अनुमोदित किया था और अभी तक स्थायी करने के लिये अनुमोदित नहीं किया है।

## [जिला प्रशिक्षण तथा सेवायोजन समिति, फर्रुखाबाद के सदस्य

*५२—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रत्येक जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई० टी० आई०) से सम्बन्धित जो सलाहकार समितियां बनाई गई हैं उनके सदस्यों के चयन का आधार क्या है तथा फर्रुखाबाद जिले की सलाहकार समिति के सदस्यों की शैक्षिक योग्यता क्या है?

---

‡ छापा नहीं गया।

श्री बनारसी दास---

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई० टी० आई०) से सम्बन्धित जो सलाहकार समितियां बनाई गई हैं (जिला प्रशिक्षण तथा सेवायोजन समिति) उनके गैर-सरकारी सदस्यों का चयन सरकार करती है और इस सम्बन्ध में श्रमायुक्त, सम्बन्धित जिलाधीश तथा विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की सिफारिशें भी मंगाई जाती हैं।

जिला प्रशिक्षण तथा सेवायोजन समिति, फर्रुखाबाद के सदस्यों की शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २९६ पर)

*५३---श्री दयाराम शाक्य---

[पांचवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*५४-५५---श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---

[चौथे बुधवार के लिए प्रश्न संख्या ६१-६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५६---श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)---

[पांचवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*५७-५९---श्री विजयसिंह---

[हटा दिये गये।]

*६०-६१---श्री काशीनाथ मिश्र---

[पांचवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६२-६३---श्री कल्पनार्थसिंह---

[पांचवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६४---श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---

[हटा दिया गया।]

## सिविल अस्पताल, मथुरा

*६५---श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मथुरा सिविल अस्पताल में कितने मरीज १९६४ में दाखिल हुये, उनमें कितनों की मत्यु हुई और क्या यह भी स्पष्ट करेंगे कि कितने मरीज शैय्या न होने की वजह से प्रतिदिन निराश लौटते हैं और सरकार इसके लिये क्या कर रही है?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

सिविल अस्पताल, मथुरा में १९६४ में ३,१९४ मरीज दाखिल हुये, जिनमें से १९७ की मत्यु हुई। कितने व्यक्तियों को दाखिला न मिलने के कारण वापस होना पड़ा इसका कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

*६६-६७---श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)---

[तीसरे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६०-६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

## सहकारी संघों के सुपरवाइजरों का महंगाई भत्ता

*६८—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेशीय कोआपरेटिव यूनियन के प्रदेश भर में कितने सुपरवाइजर ऐसे हैं जिनको ७५–५–१२० के वेतन-क्रम में रखते हुये भी प्रति वर्ष ५ रु० की बढ़ोत्तरी नहीं दी जा रही है और क्यों ? क्या उनकी सेवा भी स्थायी नहीं की गयी है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

ऐसे सुपरवाइजर जो ७५–५–१२० के वेतन-क्रम में हैं उनकी संख्या ३०० है। इन सभी सुपरवाइजरों को नियमित रूप से ५ रुपया वार्षिक वेतन वृद्धियां दी जाती हैं। ये सभी सुपरवाइजर यूनियन के स्थायी कर्मचारी है ।

## काशीपुर अस्पताल का भवन निर्माण

*६९—श्री देवीदत्त (जिला नैनीताल)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काशीपुर (नैनीताल) अस्पताल का निर्माण कब शुरू हुआ था और कब तक वह पूरा हो जायेगा और इस नये भवन में कब अस्पताल लाया जायेगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

काशीपुर, जिला नैनीताल में पुरुष एवं महिला चिकित्सालय भवन का निर्माण सन् १९६१ में प्रारम्भ किया गया था। निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। केवल जल वितरण की व्यवस्था और हाता बन्दी के कार्य शेष हैं। इनके पूरा होते ही नये भवन में अस्पताल स्थानान्तरित कर दिया जायगा ।

*७०—श्री जगन्नाथ राव—

[चौथे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

## गौरीबाजार क्षेत्र में सड़कों के लिए कंकड़

*७१—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में गौरी बाजार ट्यूबवेल जोन के ट्यूबवेल नम्बर ९, १२, १३, १५, १६ और ३४, २४, ३८, ३९, ४० को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण हेतु सन् १९६३ में २ लाख घनफुट कंकड़, जिसकी लागत ७० हजार के करीब है, डलवाई गयी, किन्तु कुटाई का ठेका नहीं दिया गया जिसका नतीजा है कि जिनके खेतों में कंकड़ रखा है उनके फसलों को और कंकड़ की चोरी का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो क्यों तथा लापरवाह अफसर को क्या सजा दी जायेगी ?

श्री राम मूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है

## मड़ियाहूं—नेवढ़िया मार्ग निर्माण व्यय

*७२—श्री जगन्नाथ राव—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जौनपुर के अन्तर्गत मड़ियाहूं से नेवढ़िया तक जाने वाली सड़क पर अब तक कितना रुपया व्यय हो चुका तथा कितने मील लम्बी सड़क का निर्माण हो चुका है ?

श्री राममूर्ति—

जौनपुर जनपद में मड़ियाहूं से नेवढ़िया तक की सड़क का १ मील २ फर्लांग का भाग पूर्ण रूप से निर्मित हो चुका है और इसके लिये २२,११६ रुपया अनुदान स्वरूप दिया जा चुका है ।

*७३—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सड़क (मड़ियाहूं से नेवढ़िया) जिला जौनपुर को पक्की कराने में कितना व्यय होने का अनुमान है ?

श्री राममूर्ति—

उक्त सड़क के निर्माण पर व्यय होने वाली धनराशि का अनुमान नहीं लगाया गया है क्योंकि ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

## विधायक निवास कर्मचारी, संघ

*७४—श्री शारदाभक्तसिंह—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग द्वारा विधायक निवास कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान की गई अथवा नहीं ?

श्री बनारसीदास—

अनुशासन संहिता के अन्तर्गत किसी संघ को मान्यता सेवायोजक द्वारा दी जाती है न कि श्रम विभाग द्वारा ।

*७५—श्री शारदाभक्त सिंह—

यदि नहीं तो क्या श्रम मंत्री को यह मालूम है कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा विधायक निवास में काम करने वाले कर्मचारियों को उक्त संस्था का सदस्य बनने से मना कर दिया गया है ? यदि हां तो इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बनारसीदास—

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध उन्हीं के द्वारा हटा लिया गया है ।

## अतारांकित प्रश्न

### पंचायत मन्त्री

१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पंचायतों में जो पंचायत मंत्री कार्य कर रहे हैं वह सरकारी कर्मचारी हैं अथवा स्वायत्त संस्थाओं के अन्तर्गत माने जाते हैं ?

श्री राममूर्ति—

पंचायत मंत्री गांव पंचायतों के कर्मचारी हैं ।

२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पंचायत मंत्रियों की कब नियुक्तियां की गई थीं और क्या उन पदों को स्थाई कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन्हें स्थाई करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

पंचायत मंत्रियों को नियुक्तियां सर्व प्रथम बार सन् १९४९ में की गई थी। ये गांव पंचायत के कर्मचारी हैं और उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम तथा नियमों के अनुसार उनकी सेवायें चल रही हैं। उक्त अधिनियम अथवा नियमों में इनके पदों के स्थायी अथवा अस्थायी होने का कोई प्राविधान नहीं है।

३—श्री राम किशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार इस बात को देखते हुये कि एक पंचायत मंत्री के कार्य क्षेत्रमें ११–१२ पंचायतें आती हैं जिसकी वजह से कार्य पूरा नहीं हो पाता, तो क्या सरकार पंचायत मंत्रियों के कार्य–क्षेत्र को कम करने के लिये नियुक्तियों में वृद्धि करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—

पंचायत मंत्रियों के कार्य क्षेत्र के हल्का करने के उद्देश्य से तृतीय पंचवर्षीय योजना में २०० अतिरिक्त पंचायत मंत्रियों की नियुक्ति स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अलावा २०० पंचायत मंत्रियों की नियुक्ति ट्रेनिंग रिजर्व के रूप में भी की गई है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इनकी संख्या में वृद्धि करने पर विचार किया जा रहा है।

## सहारनपुर में मालन्युटेरिशन केसेज का इलाज

४—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर जिला अस्पताल में पिछले तीन माह से मालन्युटेरिशन के केसेज प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं? उसका क्या कारण है और सरकार इनके रोकने का क्या प्रबन्ध कर रही है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं। केवल नवम्बर १९६४ में १, दिसम्बर, १९६४ में १ तथा जनवरी १९६५ में १ (mal-nutrition) के रोगी उचित उपचार के लिये इस अस्पताल में भर्ती किये गये तथा ठीक होने पर अस्पताल से मुक्त किये गये।

## जिला परिषद् कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु

५—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जिला परिषद् के कर्मचारियों को १९४७ से पूर्व कभी भी सेवा से मुक्त होने की आयु ६५ वर्ष थी? यदि हां, तो वह नियम किस वर्ष में समाप्त किया गया और क्यों?

श्री राममूर्ति—

२९ अक्तूबर, १९४६ की विज्ञप्ति द्वारा सेवा निवृत्ति की आयु ६० वर्ष, इस शर्त के साथ कर दी गई थी कि कर्मचारियों को ६५ वर्ष की आयु तक सेवा काल में वृद्धि दी जा सकती है। जिला बोर्डों के प्रेसीडेन्टों की सिफारिश पर दिसम्बर, १९५५ से सेवा निवृति की आयु ६० वर्ष से ५५ वर्ष कर दी गई।

६—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जिला परिषद् के कर्मचारियों की सेवा मुक्त की आयु ६० साल रखी जाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं? जिला जालौन में क्या ६५ वर्ष में सेवा–मुक्ति का नियम अब भी लागू है?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं। सरकार इसे आवश्यक नहीं समझती। सरकार जिला जालौन में ६५ की आयु पर सेवा मुक्त होने का कोई नियम लागू नहीं है।

७—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जिला परिषद् जालौन के कर्मचारियों की ऐज आफ रिटायरमेंट तथा जिला परिषद् जालौन के अध्यापकों की सेवा-मुक्त होने वाली आयु में कुछ भिन्नता है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—

जी हां, क्योंकि जिला परिषदों के अन्य कर्मचारियों से अध्यापकों का मामला व कार्य भिन्न है तथा पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा प्रसार कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये अध्यापकों की बहुत कमी है।

## पंचायतों का निर्वाचन

८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम पंचायतों का चौथा आम चुनाव कराने की तिथि निर्धारित कर दी गई है? आम चुनाव के पूर्व के सारे कार्य-क्रम सम्पन्न कर दिये गये हैं?

श्री राममूर्ति—

पंचायतों के निर्वाचन की तिथि निर्धारित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। निर्णय के उपरान्त ही चुनाव के पूर्व के कार्यक्रम संपन्न किये जायेंगे।

## कठिराव ग्राम में महिला चिकित्सालय की आवश्यकता

९—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा कठिराव, ब्लाक बढ़ागांव, जिला वाराणसी में एक चिकित्सालय महिलाओं के लिये सरकार ने मंजूर किया है? उसे अब तक न खोलने का कारण क्या है? क्या उस अस्पताल का एस्टीमेट आदि बन चुका है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

ग्राम कठिराव, जिला वाराणसी में कोई भी महिला औषधालय खोलनें की स्वीकृति सरकार द्वारा नहीं दी गई है। अतः एस्टीमेट आदि बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

## जन शक्ति उपयोग योजनाओं की स्वीकृति

१०—श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि चतुर्थ चरण की सब जन-शक्ति उपयोग योजनायें बिना स्वीकृति के केन्द्र से वापस कर दी गई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उन योजनाओं को स्वीकार कराने के लिये पुनः केन्द्र को भेजने जा रही है?

श्री राममूर्ति—

१४६ ब्लाकों की योजनायें केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति के लिये भेजी गई थी जिनमें से केवल ३५ ब्लाक की योजनाओं की स्वीकृति मिली थी। अब तक केन्द्रीय शासन ग्रा० ज० श० उपयोग योजना के अन्तर्गत ५वें चरण मे नये ब्लाकों को लेने का अनुमति नहीं देती तब तक बाकी ब्लाकों की योजनाओं को केन्द्र भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता।

११—श्री बृजबिहारी—

क्या उन योजनाओं में कुछ प्रदेश के पिछड़े जिले आजमगढ़ के लिये भी थीं ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, १४ ब्लाकों की योजनायें शामिल थीं ।

## कानपुर तथा अन्य स्थानों में बिक्री-कर की वसूली

१२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में अब तक सेल्स टैक्स का कुल कितना रुपया बाकी है तथा कानपुर के व्यापारियों से इस वर्ष कितना धन वसूल हुआ है और कितना वसूल करने को बाकी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रदेश में बिक्री-कर की बकाया धनराशि के आंकड़े ३०-९-१९६४ तक के ही उपलब्ध हैं । उक्त तिथि को सेल्स टैक्स का कुल बकाया धन ११.०३ करोड़ रुपये था । कानपुर के व्यापारियों से इस वर्ष इस तिथि तक कुल २.०७ करोड़ रुपये वसूल हुये थे और २.४० करोड़ रुपये वसूल करने को बाकी थे ।

१३—श्री कल्याणचन्द्र मोहले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में सेल्स टैक्स के कितने मामले ऐसे हैं जिनके वसूल करने पर अदालत से रोक लगा दी गई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

उत्तर प्रदेश में सितम्बर ३०, १९६४ को १.९५ करोड़ रुपये की वसूली पर अदालतों द्वारा रोक लगी थी । यह धन कितने मामलों से संबंधित है, इसकी सूचना एकत्र की जा रही है ।

१४-१५—श्री ऊदल—

[पांचवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये । ]

१६-१७—श्री कल्याण चन्द मोहिले, श्री सालिग्राम जैसवाल (जिला इलाहाबाद)—

[हटा दिये गये । ]

१८—श्री ऊदल—

[पांचवे बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

## गड़का—मोहनपुर सड़क का निर्माण

१९—श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले में गड़का स्टेशन से मोहनपुर टाउन एरिया तक एक सड़क निर्माण करने का कार्य ७-८ वर्ष पूर्व एक कमेटी के सुपुर्द था ? यदि हां, तो उक्त सड़क निर्माण हेतु सीमेंट एवं अन्य वस्तुओं को कितनी-कितनी मात्रा में सप्लाई विभाग से अब तक लिया गया है और कितनी मील सड़क का निर्माण हो गया है और कितनी अभी बनने को बाकी है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां । इस कार्य के लिये अब तक २१० बोरी सीमेन्ट नियोजन विभाग द्वार दिया गया है तथा ७ फर्लांग २३० फुट कंकड़ की सड़क का निर्माण हो चुका है और २ मील ४३० फुट सड़क बनना शेष है ।

## आजमगढ़ में संचालक पंचायत राज के परिपत्र की अवहेलना

२०—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मंत्री यह सूचना देंगे कि ४ फरवरी, १९६४ को सदन के समक्ष आजमगढ़ जिले में संचालक पंचायतराज के परिपत्र की अवहेलना करने का आरोप तथा उसकी जांच की मांग जो प्रश्नकर्ता ने की थी उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राममूर्ति—

प्रश्नकर्ता ने ४ फरवरी, सन् १९६४ के अपने भाषण में जांच की कोई मांग नहीं की थी । इस प्रश्न के प्राप्त होने पर जांच करायी जा रही है ।

## सहकारी समिति, मंझनपुर को सीमेंट

२१—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र मंझनपुर, कनैली तथा सरसवां, जिला इलाहाबाद में सन् १९६२–६३, १९६३–६४ में सीमेंट किस भाव से सहकारी समिति, मंझनपुर को दी गई तथा सहकारी समिति, मंझनपुर ने आम जनता को किस भाव से सीमेंट बेंची ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

---

## गृह मन्त्री द्वारा प्रयुक्त शब्दों पर आपत्ति—(क्रमागत)

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मुझे एक प्रार्थना करनी है । अभी जो पहिले घटना हुई उससे हम सब लोग दुःखी हैं । हम ऐसा समझते हैं कि यदि सदन में ऐसी बात रही और हमारे जिम्मेदार व्यक्ति ऐसी बात करते रहे तो कोई सदस्य अपना कार्य नहीं कर पावेगा । हमने पहिले भी छोटी-सी प्रार्थना की थी इसलिये हम उसे दोहराना नहीं चाहते । कितना ही सुन्दर और अच्छा होता कि यदि माननीय गृह मंत्री अपने शब्दों को वापस ले लेते । आज फिर भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वे कटुता के वातावरण को हटाने के लिये और सद्भावना पैदा करने के लिये, जिन शब्दों को गृह मंत्री जी ने प्रयोग किया है, उनको वापस ले लें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, अभी निर्णय आपके द्वारा हो चुका है कि गृह मंत्री द्वारा कहे गये शब्द असंसदीय और अशोभनीय हैं । आपके द्वारा इस प्रकार का निर्णय लेने के उपरान्त भी गृह मंत्री जी इन शब्दो को वापस लेने के लिये तैयार नही हैं । तो मै समझता हूं कि इधर के बैठने वालों और उधर के बैठने वालो को, जो इस प्रकार के शब्दों से परहेज करते हैं, ये तकलीफदेह हैं । यदि इस प्रकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।]

की व्यवस्था सदन में शुरू हो जावेगी, जिसके लिये मैं समझता हूं, ठा० हरगोविन्दसिंह रोकने में सक्षम नहीं हो सकते, उसका परिणाम फिर यह होगा कि हुल्लड़बाजी होगी.....

श्री अध्यक्ष—

ऐसा नहीं हो सकता, क्या फिर उल्टी बात ही चलेगी ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—

तो मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के शब्दों के व्यवहार करने से हमको तो कष्ट होता ही है और जो "बाहर करने की" बात दिमाग में दी गई है, उसका बुरा असर पड़ता है। जब गृह मंत्री ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, श्रीमन्, तो थानेदार और पुलिसवाले फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग करने में क्यों संकोच करेंगे? अगर सदन को आपको सुदन्र और स्वच्छ वातावरण में चलाना है तो आपके फैसले का निर्णय स्वागतपूर्वक करना चाहिये और मैं चाहता हूं जबतक ऐसे शब्दों का प्रयोग वापस नहीं लिया जाता तब तक हम सदन के कार्यों मे गम्भीरता पूर्वक काम कर सके, यह सब अच्छा नहीं मालूम हो रहा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप ठा० हरगोविन्दसिंह जी से निवेदन करें कि आपने जिसका निर्णय लिया है उसको वे शिरोधार्य करें और इससे उनका कोई सम्मान नहीं घटता बल्कि बढ़ेगा और प्रदेश में ऐसा कोई वातावरण उत्पन्न होगा जिससे आपके जरिये जो पुलिस चलने वाली है वह ठीक चलेगी और समझेगी कि उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिये।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, यदि गृह मंत्री जी स्वयं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उसका महत्व अन्य मंत्रियों से ज्यादा होता है। क्योंकि मिलिटरी के बाद "सिम्बल आव् वाईलेंस और ब्रूट फोर्स पुलिस" ही मानी जाती है और वे उसके मंत्री हैं। उसके मंत्री की हैसियत से जब यह ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका विशेष अर्थ हो जाता है और उसका बड़ा व्यापक कुपरिणाम भी हो सकता है जो बात उन्होंने कही है उसे उन्हें स्वतः वापस कर लेना चाहिए। हम सबकी ऐसी भावना है उसका आदर करते हुए वह ऐसा करें। जब आपने स्वयं इसको अशोभनीय माना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसको वापस लेने में। मैं उनसे कहूंगा कि इसमें कोई हेकड़ी की बात नहीं है न कोई झूठे आत्म सम्मान की ही बात है। आपने स्वयं एक बार "जबरदस्ती की जा रही है" ऐसे शब्दों को वापस लेने के लिए कहा था और वह शब्द वापस ले लिये गये थे। इसलिए सदन में अच्छा वातावरण बनाने के लिए यह जरूरी है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न हो और अगर हो तो उसको वापस कराने के लिए आपको जरूर फोर्स करना पड़ेगा, तभी सदन का काम ठीक ढंग से चल सकता है और ऐसे वातावरण में चल सकता है जिसको प्रजातंत्रीय विधान के अनुसार ठीक कह सकते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप भी इसके लिये जोर दें उधर के और मंत्रीगण भी उनको समझावें। वह स्वतः भी समझदार आदमी हैं, और चूंकि उनके इन शब्दों का विशेष मतलब होता है, इसलिए वह इसको वापस ले लें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मुझे केवल एक ही निवेदन करना है कि माननीय गृह मंत्री ने कुछ शब्द बैठे बैठे कहे। उस पर आपने तुरन्त व्यवस्था दे दी कि यह शब्द अशोभनीय हैं, आपने उनसे पूछा नहीं कि क्या शब्द उन्होंने कहे। आपने सुना भी नहीं और व्यवस्था दे दी। तो व्यवस्था हो जाने के बाद कोई चारा नहीं रहता है कि वह उसे वापस न करें। फिर ५ माननीय नेता सदन के कह रहे हैं तो पंच परमेश्वर जो कहे उसको मान लेना चाहिये चाहे इनका वह मंशा न हो और उन्हें वापस ले लेना चाहिये। इसमें गृह मंत्री की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सदन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसलिये मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करता हूं कि वह उसे वापस कर लें।

श्री अध्यक्ष---

मैं सदन उपनेता से कहूंगा कि कुछ आपको कहना है या माननीय गृह मंत्री आप कुछ कहेंगे।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

श्रीमन्, मुझे इस बात से अक्सर बड़ा दुख हुआ करता है इस सदन में खासकर जब कि प्रश्नोत्तर के समय....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्....

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें कृपा कर। जरा शांत रहें कृपा करके....

श्री हरगोविन्दसिंह---

जब प्रश्नोत्तर के समय प्रश्नों का उत्तर देने पर कोई हम पर या हमारे सहयोगियों की नियत पर आक्षेप करता है। जो अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा था और मुझसे यह पूछा गया कि क्या एस० पी० ने इसमें जांच की थी तो मैंने साधारणतः जो होता है वही कहा कि एस० पी० मामलों की जांच नहीं करते, वह तो वहां के स्थानीय दरोगा लोग करते हैं। उसी बीच माननीय काशीनाथ जी ने उठकर के यह कहा कि इन्होंने अपने रिश्तेदार-उनका नाम भी लिया-रामसूरत-सिंह के डाके में पकड़े जाने पर तो एस० पी० से जांच करायी और इसमें यह कह रहे हैं तो श्रीमन्, आपने पता नहीं उसको सुना या नहीं सुना, लेकिन मैंने उसका उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में फिर उन्होंने सहकारिता मंत्री के ऊपर यही आक्षेप किया। तो मैंने उनसे यह आग्रह जरूर किया कि बड़ा अच्छा होता कि यह सब जो आप यहां आक्षेप कर रहे हैं यह सदन के बाहर करें और वह इसलिए नहीं कि सदन के बाहर मैं कोई उनसे लड़ाई करता, लेकिन इसलिए कि यदि सदन के बाहर यह आक्षेप करते तो उसके खिलाफ मैं कोई कानूनी कार्यवाही कर सकता। सदन के भीतर अगर वह हमारे ऊपर आक्षेप करते हैं तो मैं उनके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही करने से वंचित रह जाता हूं। मेरी यही नियत थी। मेरी यह नियत नहीं थी कि मैं उस स्तर पर गिर जाऊंगा कि बाहर सड़क पर उनसे कोई झगड़ा करूंगा कि उन्होंने सदन से जाते वक्त उसे दोहराया। मैं उनके नेता उग्रसेन से आग्रह करूंगा कि वह उन्हें बाध्य करें कि जो शब्द उन्होंने कहे हैं उन्हें सदन के बाहर जाकर कहें, क्योंकि सदन के माननीय सदस्यों के ऊपर यह असर हो सकता है कि मैंने इस तरह से अपने एक रिश्तेदार को बचाने के लिये कार्यवाही की। उग्रसेन जी को बड़ा गुस्सा था लेकिन उनसे भी आग्रह करता हूं कि वह स्वतः अगर चाहें तो नहीं तो अपने सहयोगी मित्र काशीनाथ जी से कहें कि सदन के बाहर चलकर उन्हीं शब्दों को फिर दोहरावें जिससे मुझको भी इस बात का अवसर मिल सके कि मैं भी अपनी सफाई दुनिया के सामने दे सकूं। मैंने किसी माननीय सदस्य का या सदन का अपमान नहीं किया और न ऐसा करना चाहता हूं। अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि हम आदरपूर्वक अपनी बात कह सकें और आपकी बातों का उत्तर दे सकें तो उसके लिये यह आवश्यक है कि कोई किसी की नियत पर आक्षेप न करे। अगर नियत पर आक्षेप करते हैं तो उन्हें इतना बहादुर भी होना चाहिये कि सदन के बाहर भी वह नियत पर आक्षेप करें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय उपनेता सदन से मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनका भी ऐसा मत है ? सदन के अन्दर एक नियम है कि नीयत के ऊपर हमला न हो नम्बर १ दूसरे हमारा नियम यह है कि सदन में कही हुई बात के सम्बन्ध में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती, प्रत्येक व्यक्ति उन्मुक्त है और और स्वतंत्र है अनुच्छेद १९४ के अन्तर्गत तो। मुझे क्या विचार करना पड़ेगा ? मैं पहले प्राश्दर्शन

में बातें कह चुका हूं। आपको यह देखना होगा कि क्या यह उचित है कि मंत्रि मंडल में से कोई आदमी यह कहे कि बाहर यह कहिये, तो हम कानूनी कार्यवाही करेंगे यह प्रश्न है। मुझे इस बात का इस समय दुख है कि सत्तारूढ़ दल के एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि मैं इनको प्रोत्साहन दे रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात कही जा सकती है किसी भी सदस्य से कि बाहर कहियेगा तो हम कानूनी कार्यवाही करेंगे, यहां तो तुम आजाद हो। क्या ऐसा कहा जा सकता है ?

इसके ऊपर बहुत ही गम्भीरतापूर्वक आप विचार कर लें और मुझे बतलावें और मैं भी स्वयं देख लूंगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि मंत्रि-मंडल का एक सदस्य यह कह सके कि अच्छा, आप प्रश्न करते हैं, बाहर कहिये तो देखूंगा, या देखूंगा नहीं कहा तो यह कहा कि फिर बाहर कहिये तो मुझे भी मौका होगा। माननीय मंत्री अगर आप यह भी न कहें कि देखूंगा जितनी बात आपने कही है वह यही है कि हम बाहर जाकर कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन् मेरा कहना यह था कि प्रश्न जो श्रीमन् ने रखा है वह चाहे जिस प्रकार से भी रखें, लेकिन मैंने यह कहा था, और यही मेरी नीयत थी काशीनाथ जी से मैंने यह कहा था कि जो कुछ आपने यहां कहा है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सदन के बाहर दोहरावें। मैंने उस समय यह नहीं कहा था कि मैं उस पर कोई कानूनी कार्यवाही करूंगा। मेरी नीयत यह थी और अब भी है और मैंने सिर्फ शब्द इतना कहा था कि जो बात आपने यहां भवन के अन्दर कही, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसको आप भवन के बाहर दोहराइये। मैंने ऐसा इस नीयत से कहा था और उसे फिर आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि इसी नीयत से कहा था कि काशीनाथ जी उन्हीं शब्दों को जो आक्षेप उन्होंने मेरी नीयत पर लगाया था अगर वह भवन के बाहर लगावेंगे तो उनके ऊपर जो कानूनी कार्यवाही मैं कर सकता हूं वह जरूर करूंगा। यही मैंने कहा था और मैं समझता हूं कि यही हिन्दुस्तान में रहने वाले हर एक आदमी का....

श्री अध्यक्ष—

अब आप बहस न करें। मैंने तो बुनियादी सिद्धांत सदन से निवेदन किया है कि इस सम्बन्ध में विचार करें।

श्री हरगोविन्दसिंह—

जो प्रश्न श्रीमान् ने सदन के अन्दर रखा उसको क्या मै दोहरा दूं ?

श्री अध्यक्ष—

जरूर।

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह प्रश्न रखा कि क्या किसी मंत्री को अधिकार है कि वह ऐसी बात कह सकता है कि जो आक्षेप उसके ऊपर किया गया वह आक्षेप अगर बाहर किया जायगा तो मैं कानूनी कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

नहीं। मैं इतना ही रखना चाहता हूं कि क्या कोई मंत्रि-मंडल का सदस्य किसी प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह कह सकता है कि यह बात बाहर कहो।

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

"देख लें" उन्होंने कहा था। हमने अपने कानों से सुना।

श्री हरगोविन्दसिंह—

अगर प्रश्न यह रखा जाय कि क्या माननीय सदस्य इस भवन में किसी माननीय सदस्य को, चाहे वह मंत्री ही क्यों न हो . . . . .

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री आपको निर्देश दे सकते हैं कि आप प्रश्न इस तरह से रखिये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि ठीक प्रश्न यदि इस रूप में रखा जाय तो उत्तर देने में और समझने में सुगमता होगी, कि क्या किसी किसी मंत्री को यह अधिकार है कि यदि उसकी नीयत पर कोई आक्षेप लगाया जाता है तो वह आक्षेप लगाने वाले से यह आग्रह करे कि वह उस आक्षेप को सदन के बाहर दोहरावें।

*श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि विशेषत: इस सदन के अन्दर उनको बहुत दुख होता है कि उनकी नीयत पर आक्रमण किया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका साफ अर्थ यह होता है कि इस सदन में अत्यधिक अशिष्ट बातें होती हैं। क्या इस सदन के माननीय मंत्रियों और दूसरे सदन के माननीय सदस्यों को यह अधिकार है कि इस सदन की प्रतिष्ठा पर इस प्रकार से हमला किया जाय ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय हरगोविंदसिंह जी ने यह कहा कि माननीय काशीनाथ जी ने मेरी नीयत पर आक्षेप किया है। इस बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि उन्होंने आक्षेप किया, यह चीज सदन में आपके द्वारा नहीं कही गयी. . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये मेरी बात सुन लीजिये। माननीय काशीनाथ जी ने क्या कहा और माननीय मंत्री जी ने क्या कहा, मेरे लिये यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। हमें एक मौलिक प्रश्न को तय करना है। उसके तय होने पर सब बातें तय हो जायेंगी। अब यह प्रसंग समाप्त हुआ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

श्रीमन्, मेरे व्यवस्था के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

कल दूंगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अध्यक्ष महोदय, क्या कल गृह मंत्री जी रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

अगर नहीं रहेंगे तो बुलवा लिये जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री झारखण्डेराय—

अभी आपने कहा कि उपनेता सदन यहां बैठे हुए हैं, इस विषय में उनका क्या यही मत है, उनका जवाब नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनसे कहा था कि आज उत्तर दे दें या कल दें। कल तक का समय उनको दे दिया है।

श्री झारखण्डेराय—

वह बैठे हुए हैं, अभी कहला दीजिये ।

*माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

मुझे बड़ा दुःख है कि इस पर इतना वादविवाद हुआ। इधर से कीचड़ उछाला गया और इधर से उछाला गया। अगर किसी शख्स की कीयत पर कोई हमला करता है तो वह बेजा करता है, उसकी रक्षा करना आपके हाथ में है, लेकिन अगर उसके उत्तर में भी कुछ बातें इधर से कह दी जाती हैं तो वह भी आपके हाथ में है। आप माननीय सदस्यों को कुछ भी आदेश दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री जी का यह मंशा कतई नहीं था कि वह बाहर जाकर हाथापाई करेंगे या किसी तरह से किसी माननीय सदस्य को तकलीफ पहुंचायेंगे, लेकिन जब किसी के दिल को अजीयत पहुंच जाती है तो उसका रिएक्शन हो जाता है और उस वक्त अजीबोगरीब शब्द निकल जाते हैं। इस मामले में माननीय सदस्यों को ओवर सेन्सेटिव नहीं होना चाहिये। जो कुछ आज हुआ है वह बहुत दुखद मालूम पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—

इस पर अब मैं कल अपनी व्यवस्था दूंगा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अगर हमारे द्वारा असंसदीय शब्दों का प्रयोग हो जाता है तो आप कहते हैं कि सदन को छोड़ दीजिये लेकिन क्या मंत्री जी यहां बैठे रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

दो मिनट हमको भी सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जाइये ।

## रेवेन्यू रिकवरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५

श्री अध्यक्ष—

अब सचिव एक सूचना देंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त रेवेन्यू रिकवरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५ को सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २९७–३०१ पर)

## उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक विवरण पत्र,† १९६५–६६

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक विवरण पत्र, १९६५–६६ को सदन की मेज पर रखता हूं ।

## श्री भूपसिंह की जेल से रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे आदरणीय सदन को यह सूचना देनी है कि जुडिशियल आफिसर अलीगढ़ ने दि० २२.२.६५ को रेडियोग्राम द्वारा यह सूचना दी है....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी, आप शान्त रहें ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अब तो माननीय काशीनाथ का बाहर भाषण होगा, जिस को सुनना हो आकर सुन लेगा....

श्री अध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन जी, इस तरह से बीच-बीच में आप उठ कर बोलने लगते हैं यह ठीक नहीं है।

श्री उग्रसेन—

अगर आप नहीं बोलने देना चाहते हैं तो मैं बाहर चला जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष—

अगर आपको यही करना है तो बाहर चले जाइये वरना शांति से बैठिये ।

(व्यवधान)

तो मुझे यह सूचना देनी है कि जुडिशियल आफिसर अलीगढ़ ने दि० २२.२.६५ को रेडियोग्राम द्वारा यह सूचना दी है कि श्री भूप सिंह, सदस्य, विधान सभा, दि० २२.२.६५ को पूरी सजा भुगतने के पश्चात् रिहा कर दिये गये ।

---

†छापा नहीं गया ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, आपने कल सदन में भाषा के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था यानी आपने व्यवस्था दी थी उसको रिवाइज करने के लिये मैंने कई कांग्रेस दल के सदस्यों ने भी आपको लिख कर दिया है तो....

श्री अध्यक्ष—

अभी आप बैठ जायं, ज्यादा शोर न करें। आइटम नं० ७ जब आयेगा तब आप उस पर बोलें ।

श्री उग्रसेन—

मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था ।

## विद्युत् उप मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे कुछ और सूचनायें देनी हैं। माननीय लखपतराम शर्मा ने विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देते हुए यह लिखा है कि माननीय उपमंत्री का यह कहना तथ्य और वास्तविकता के बिलकुल विपरीत है कि उस मुकदमें में २ गवाह हैं, जबकि उसमें ८८ गवाह हैं।

*विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है कि इस मुकदमें में दो गवाहों से अधिक गवाह हैं। हालांकि मैंने अपने उत्तर में केवल दो गवाह—एक ट्रक का ड्राइवर तथा दूसरे श्री लखपतराम शर्मा बतलाये हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रश्न उस समय श्री महेन्द्रकुमार संगल, अधिशासी अभियन्ता के विषय में पूछे जा रहे थे। मैंने उसी सन्दर्भ में यह कहा था कि मुझे बतलाया गया है कि एक ट्रक का ड्राइवर और माननीय लखपतराम जी गवाह हैं। मेरा मतलब यह था कि श्री संगल के विरुद्ध यही गवाह बतलाये जाते हैं। पूरे केस के गवाहान से न था। पूरे केस में तो और भी गवाह होंगे । अभी पूर्ण विवरण मध्य प्रदेश सरकार से नहीं मिले हैं। इसके बाद मुझे माननीय लखपतराम शर्मा ने यह कहा कि इस केस में ८८ गवाह हैं, तो उनके इस कहने पर मुझे कोई एतराज नहीं है। क्योंकि मेरे पास तो पूरा विवरण था नहीं, अगर आप कहते हैं कि उस केस में ८८ गवाह हैं, तो इसको मैं मानता हूं ।

श्री लखपतराम शर्मा—

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि श्री ए० एम० संगल, अधिशासी अभियन्ता, माताटीला, श्री जे० एस० संगल, सहायक अभियन्ता, माताटीला, श्री जगदानन्द प्रसाद, ओवरसियर, माताटीला, जो राज्य कर्मचारी हैं, इनके विरुद्ध ४०६,१२०, बी, ४६६,४६७,१०६,१६३,२०१, २१८, ताजीरात हिन्द की दफाओं में मुकदमा पिछोर अदालत (मध्य प्रदेश) में पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने उस दिन कहा था कि इस मुकदमें में सिर्फ दो गवाह हैं—एक ट्रक का ड्राइवर और दूसरे श्री लखपतराम जी....

श्री अध्यक्ष—

पहले उनको पूरी सूचना नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि मुझे बतलाया गया है कि उनके खिलाफ दो गवाह हैं।

श्री लखपतराम शर्मा--

तो श्रीमन्, यहां आये दिन आप यह घोषणा करते रहते है कि यदि कोई माननीय सदस्य यहां कोई बात कहे तो उसके ऊपर विश्वास किया जाय, उसको सही माना जाय। इसके विपरीत मैंने लिखित भी यह सूचना दी है और माननीय मंत्री जी को यदि उनको इस सम्बन्ध में कोई शक व शुबहा हो तो मैं बयान हल्फी तक देने को तैयार हूं कि उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत मुकदमा चल रहा है जिसमें ८८ गवाह हैं। उन अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में पुलिस द्वारा अभियोग-पत्र दिया है कि इन-इन धाराओं के अन्दर श्री सिंगल के विरुद्ध और सरकारी राज कर्मचारियों के विरुद्ध ८८ गवाह अभियोग पत्र में है, लेकिन जिस ने जानबूझ कर गलत सूचना माननीय मंत्री जी को दी और सदन में उस पर गलत धारणा पैदा हुई कि शायद मैं ही सब उस मुकदमे को चलवा रहा हूं गसत है। मैंने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के केसेज माताटीला बांध के सम्बन्ध में.....

श्री अध्यक्ष--

अब आप दूसरी बात पर आ गये। आप कहते हैं कि ऐसा भ्रम पैदा हुआ है कि आप ही मुकदमें चलवा रहे हैं तो क्या मंत्री जी, आप माननीय लखपतराम जी पर लांछन लगा रहे हैं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

कोई लांछन हम नहीं लगाते और ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

तो अब यह प्रश्न समाप्त हुआ।

श्री लखपतराम शर्मा--

अगर कोई कर्मचारी मंत्री जी को गलत इत्तिला दे और उस की बिना पर मंत्री जी यहां गलतबयानी कर जांय और यह हमारा दुर्भाग्य है कि आये दिन ऐसा होता है इसलिये जिस व्यक्ति द्वारा गलत सूचना दी गई है उसके खिलाफ मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

यह ठीक है, यह आप कह सकते है।

श्री लखपतराम शर्मा--

क्या निर्णय आपने दिया ?

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार का प्रश्न समाप्त हुआ, अब आप बैठें।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)--

मेरा भी एक सवाल था।

श्री अध्यक्ष--

आपको लिखकर सूचना दी गई है, आप मेरे कमरे में आ जायं।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

आप के कमरे के सिलसिले में ही जो कुछ मुझे कहना है वह सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

उस विषय में यहां अब कोई बात नहीं सुन सकता, अगर आप नहीं बैठते हैं सदन छोड़ें नहीं तो बैठें ।

(श्री चन्द्रबलीसिंह बैठ गये ।)

## श्री सूबेदारसिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मुझे श्री सूबेदारसिंह द्वारा एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना प्राप्त हुई है वह इस प्रकार है कि निम्न आधार पर मुझे श्री गोपाल कृष्ण बाजपेयी, आई० पी० एस०, एस० पी० फर्रुखाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की शिकायत है । मुझे आशा है कि तथ्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके श्रीमान जी उपरोक्त श्री गोपाल कृष्ण बाजपेयी एस० पी० फर्रुखाबाद को सदस्य विधान सभा के विशेषाधिकार की अवहेलना करने के कारण दंडित करने की कृपा करेंगे। दिनांक २१-२-६५ को सांयकाल स्थान फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद) में मैं श्री गोपाल कृष्ण आई पी० एस०, पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद के निवास स्थान पर गया और उनसे जिले की अपराध स्थिति और पुलिस के रवैये की बात की । श्री गोपाल कृष्ण उपरोक्त बातचीत के दौरान उत्तेजित हो गये और निम्न प्रकार मुझे धमकी दी:—

"तुमने विधान सभा में पुलिस विभाग से सम्बन्धित कई प्रश्न रखे हैं और रोज ही रखते हो । इससे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे बल्कि उल्टा मैं तुम्हीं को नेस्तनाबूद कर दूंगा। तुमने प्रतापसिंह कैरों की मृत्यु से सबक नहीं लिया और अपनी हरकतें जारी किये हुये हो। मैं भी रायबहादुर खानदान का आदमी हूं। मेरे अधिकार में सैकड़ों पुलिस कर्मचारी और उनके गुन्डे हैं । मैं देखता हूं कि अब तुम्हारी, तुम्हारे घर वालों और हिमायतगीर दोस्तों की कौन हिफाजत करता है । मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही ठिकाने लगा दूंगा।"

मान्यवर, श्री गोपाल कृष्ण का उपरोक्त कथन जबरदस्त धमकी से भरा हुआ है । जिसमें मुझे अपने विधायी कर्त्तव्य से च्युत होने की तरफ प्रेरित किया गया है और यदि मैं कर्त्तव्यच्युत न हुआ तो मुझे बरबाद करने तथा जान से मारने की धमकी तक दी है । उपरोक्त श्री गोपाल कृष्ण का यह कार्य विधायक के विषेषाधिकार की अवहेलना करने की हद तक पहुंचता है । अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अपराधी श्री गोपाल कृष्ण उपरोक्त को विशेषाधिकार की अवहेलना करने के कारण उचित दंड दिया जाय ।"

यह मैं विशेषाधिकार समिति को भेजता हूं, उचित कार्यवाही के लिये ।

## कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब मेरे पास जो सूचनाएं कार्य-स्थगन और नियम ५२ की आई हैं, वह मैंने अस्वीकार की हैं, माननीय सदस्य उसको देख सकते हैं ।

## सदन में अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था का स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय चन्द्रजीत यादव, माननीय धर्मदत्त वैद्य, माननीय ऊदल, माननीय नेकराम शर्मा, माननीय मनसाराम, माननीय रक्षपालसिंह, माननीय दत्ता माननीय केशव गुप्त, माननीय भीखालाल, माननीय सत्यनारायण पाण्डेय का एक पत्र आया है ।

[श्री अध्यक्ष]

मैं इसका कुछ स्पष्टीकरण, उस समय जब माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने प्रश्न उठाया कर चुका हूं, इसमें कोई वातावरण उग्र करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कल भी कहा कि अत्यन्त सहिष्णुता से काम करना है। कल मैंने यह भी कहा कि जहां तक मेरा संबंध है, माननीय नेकराम शर्मा जी ने आपत्ति उठाई, तो मैंने कहा कि अच्छा मैं हिन्दी का ही प्रयोग करूंगा। अंग्रेजी का यह मुझमें मिशनरी स्कूल का प्रभाव है, इसलिये मुझमें एक निर्बलता अवश्य है। मैं उसको दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं और करूंगा। रहा यह कि अन्य जो सदस्य यहां मौजूद हैं उनको अपने विचारों को प्रकट करने में यथाशक्ति अधिक से अधिक सुविधा मिलनी चाहिये। अगर किसी वजह से कोई शब्द ऐसा है कि जिसको वह हिन्दी में न कह सकते हों, तो उनके अंग्रेजी प्रयोग पर आपत्ति उठा देना ठीक नहीं है। ऐसा करने पर वह अपने विचार आपके सामने पर्याप्त रूप से रखने में असमर्थ रहेंगे। अतः मेरा यह निवेदन है कि अगर किसी माननीय सदस्य के मुंह से अंग्रेजी शब्द निकल जाय तो उसके ऊपर हमें आपत्ति नहीं उठानी चाहिये और कदाचित कल भी मैंने यही कहा था। मुमकिन है कि न भी कहा हो।

दूसरी बात है मूल ग्रन्थों को पढ़ने के लिये प्रमाण के तौर पर, क्या मूल ग्रन्थों के जो वक्तव्य है, सदन के सामने प्रस्तुत करने के लिये, मूल ग्रन्थ पढ़ना आवश्यक होगा? अगर थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि कोई महानुभाव मूल विचार अपने शब्दों में रखें कि इस पुस्तक में यह लिखा हुआ है, तो कोई भी सदस्य कह सकता है कि उसको पढ़ कर सुना दीजिये। संसदीय प्रथा यह है कि अगर कोई कागज या किताब इस आदरणीय सदन के सामने पेश की जायं, तो आदरणीय सदस्य उसे स्वयं पढ़ सकते हैं या यह कह सकते हैं कि इसको पढ़ दीजिये। तो अगर कोई मूल उद्धरण पढ़ दें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, हमें यह भी अधिकार है कि चूंकि सदन की भाषा हिन्दी है, अतः मूल उद्धरण का हिन्दी अनुवाद कर दिया जावे। यही मेरी मंशा थी। मगर उसके साथ-साथ फिर कहना चाहता हूं कोई नाराज न हो, लेकिन जब हम मानसिक शिथिलता अपने मन में ले आते हैं और आजादी से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो फिर हिन्दी पर बल के प्रयत्न शिथिल हो जाते हैं। वह शिथिलता हममें न आये इसलिये मैंने कहा था कि प्रत्येक सदस्य प्रयत्न करें कि अंग्रेजी के शब्दों का परिहार हो। बस यही मेरा निवेदन था और मेरा किसी पर लांछन लगाने की मंशा नहीं थी।

श्री नेकराम शर्मा जिला (अलीगढ़)—

श्रीमन्, यह विवशता आप पर लागू नहीं होगी। आप हिन्दी में बोलें।

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरी एक बात सुन लें। लड़की भगाने के बारे में...

श्री अध्यक्ष—

आप अभी बैठ जायं।

## आय-व्ययक की मांगों के परिवर्तित कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय विषयक मंत्री ने मेरे पास यह सचना भेजी है—

"वित्तीय वर्ष १९६५-६६ के अनुदानों के लिये मांगों पर विवाद तथा मतदान के स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों और २९—समाज कल्याण पर विवाद तथा मतदान के लिये डेढ़ दिन (मार्च २ से ३, १९६५) निश्चित है तथा

अनुदान संख्या १६—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य पर विवाद नहीं होना है। परन्तु नेता, विरोधी दल के अनुरोध पर इसके स्थान पर निम्नलिखित कार्यक्रम निश्चित किया गया है :

| | | | |
|---|---|---|---|
| १६—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य समाज कल्याण मंत्री | .. | | आधा दिन २–३–६५ |
| २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां | .. | .. | १ दिन |
| २९—समाज कल्याण | .. | .. | (३–३–६५) |

अतएव, निवेदन है कि उक्त तिथिवार कार्यक्रम को तदनुसार संशोधित कर दिया जाय।"

अब यह परिवर्तन हुआ है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैंने एक संशोधित कार्यक्रम देखा है जिसमें ८ मार्च को आधा दिन के लिये सूचना निदेशालय पर भी बहस का प्रस्ताव किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है ? यदि सही है तो उसका कहीं भी समावेश नहीं किया गया है।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

जी हां।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैंने और माननीय चन्द्रबलीसिंह तथा श्री कृष्णा ने दफा ५२ में एक सूचना इस सम्बन्ध में दी थी कि देवरिया सदर अस्पताल के डाक्टर श्री जौहरी, जौनपुर से लायी हुई एक लड़की को तीन साल से अपने यहां सदर अस्पताल में रखे हुए हैं। आपने उसको दफा ५२ में क्यों नहीं लिया ?

श्री अध्यक्ष—

वह अनियमित है इसलिये उसको नहीं ले पाया, मैं मजबूर हूं।

श्री बनारसीदास—

माननीय केशरीप्रसाद जी ने जो कहा है वह शामिल कर लिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो पहले से ही है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

जी नहीं। पहली सूची जो निकली है उसमें सूचना निदेशालय पर बहस नहीं थी। दूसरी सूची में इसका समावेश किया गया है। यह किस आधार पर किया गया है यह मैं जानना चाहता हूं।

*श्री बनारसीदास—

माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि हम चाहते हैं सूचना निदेशालय पर भी आधा दिन का समय रखा जाय, जब कि स्वायत्त शासन मंत्री का एक दिन का समय था उसमें आधा दिन करके उन्हीं के अनुरोध पर आधा दिन कर दिया गया है। पहले कार्यक्रम में सूचना निदेशालय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसीदास]

पर बहस नहीं थी। लेकिन अब उन्हीं के अनुरोध पर रख लिया गया है। कल उन्होंने फिर कहा कि हम चाहते है वैज्ञानिक शोध पर भी बहस की जाय। तो उसको भी मान लिया गया ह। इसमें आपत्ति क्या ह ?

श्री अध्यक्ष—

आपके पास यह संशोधित कार्यक्रम शायद पहुंचा नहीं है। एक संशोधित कार्यक्रम आवंटित हुआ है जिसमें दिया हुआ है कि ८ मार्च को आधे दिन के लिये सूचना निदेशालय....

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, इसी आधार पर मैंने यह प्रश्न किया था। एक कार्यक्रम वितरित हो चुका था जिसमें सूचना निदेशालय पर बहस हो, नहीं था। उसके पश्चात् यह दूसरा कार्यक्रम वितरित हुआ तो इसी पर मैंने पूछा कि क्या यह मंत्रणा-समिति में आ चुका है ? मुझे दुःख हुआ है कि उसकी राय के बिना मंत्री जी ने इसे अपनी राय के अनुसार ही रख दिया।

श्री अध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति में नहीं आया है न उसकी आवश्यकता है नियमों के अन्तर्गत नेता विरोधी दल और नेता सदन बैठ कर यह तय करते है कि कौन-कौन मदों पर बहस होगी कितना-कितना समय उन पर दिया जायेगा। कार्य मंत्रणा समिति का कोई प्रश्न नहीं उठता।

## १९६५-६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत १,०५,९१,२८,८०० रु० की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, वैसे तो इस मांग का व्योरा जो पुस्तकें दी गयी हैं, उनमें दिया गया है फिर भी इस मांग में ५९,४४,६८,००० रुपये की धनराशि तो वह है जो योजना के बाहर है और ४६,४६,६०,८०० रुपये की धनराशि योजना के अन्तर्गत है। इस धनराशि में एक सबसे बड़ी धनराशि वह है जो उत्तर प्रदेश की विद्युत परिषद् को दी गयी है। माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की विद्युत् परिषद् को लगभग ८४ करोड़ और ७३ लाख रुपया दिया जा रहा है जिसमें ५१ करोड़ २३ लाख के लगभग योजना के बाहर का ह और ३३ करोड़ ५० लाख योजना के अन्दर है। इस तरीके से ८४ करोड़ रुपये को निकाल कर लगभग २१ करोड़ रूपया रह जाता ह। २१ करोड़ रुपये में खेतिहर मजदूरों-किसानों को जो ऋण और अग्रिम धन दिया जाने वाला है, वह है। उसके लिए ९ करोड़ ४४ लाख और कुछ धनराशि रखी गयी हैं। ८४ करोड़ जो मैं बता चुका हूं विद्युत परिषद् को दिया जा रहा है तो इस प्रकार ९३ करोड़ रुपया है। ७ और ५ करोड़, यानी १२ करोड़ रह जाता है जिसमें विभिन्न मदें शामिल हैं, जैसे नगर पालिकाओं को और महापालिकाओं को योजना के अन्तर्गत दिया जाता है। उसको मैं मोटी-मोटी संख्या में बता रहा हूं। करीब करीब ३ करोड़ जो है यह स्थानीय निधियों को दिया जा रहा है। १२ लाख ८६ हजार योजनाओं में और ८५ हजार योजनाओं के बाहर दिया जा रहा है। कुछ विस्थापित व्यक्तियों को जो ऋण दिया जाता है उसमें ९ लाख २५ हजार रुपया है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को विभिन्न कार्यों के लिये जो ऋण दिया जाता है उसके लिये ४७ लाख ५० हजार है और प्रकीर्ण ऋण देने की धनराशि योजना के अन्तर्गत १ करोड़ ४८ लाख के लगभग है और योजना के अन्दर

६ करोड़ ४३ लाख की है। उनका पूरा ब्योरा जैसा कि मैंने निवेदन किया अनुदान के अन्तर्गत दिया हुआ है। यह अनुदान कोई ऐसा अनुदान नहीं है जैसे प्रायः होते हैं। इस विभाग द्वारा, जो खर्च होता है प्रदेश में विभिन्न कार्य करने के लिये, भिन्न कार्य कलापों को प्रोत्साहन देने के लिये ऋण की व्यवस्था होती है, जैसे उद्योगों के लिये ऋण देना, किसानों को रासायनिक खाद खरीदने के लिये ऋण देना, छोटी छोटी सिंचाई योजना बनाने के लिये उनको ऋण देना, उनको अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये ऋण देना तथा विस्थापित लोग है उनको स्थापित करने के लिये, उद्योग इत्यादि के लिये ऋण देना, यह सब धनराशि इसमें शामिल है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)---

श्रीमन्, मकान के लिये।

श्री कैलाशप्रकाश--

वह भी इसमें शामिल है। जो सहकारी समितियों को ऋण दिया जाता है, चाहे कृषि की हों, चाहे दूध की हों उनको भी ऋण दिया जाता है। वह भी इसीमें से दिया जाता है। वे सब ऋण जो दिये जाते हैं उन सबका यहां समावेश है किन्तु उनका संचालन विभिन्न विभागों द्वारा होता है। जैसे सहकारी समितियों के ऋण का संचालन सहकारी विभाग करता है, कुछ का संचालन माल विभाग करता है, कुछ का कृषि विभाग करता है और कुछ का संचालन इसी तरह से संबंधित विभाग करते हैं। इसमें ऋण देने की व्यवस्था शिक्षा संस्थाओं को भी है, जैसे मेडीकल कालेजेज में विद्यार्थी पढ़ते हैं तथा जो बाहर पढ़ने जाते हैं उनको ऋण देने की जो व्यवस्था है वह भी इसमें सम्मिलित है और वह शिक्षा विभाग के द्वारा अथवा किसी दूसरे विभाग के द्वारा दी जाती है। इस तरह से यह धनराशि जुड़ जाती है।

मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया था कि इसमें बहुत बड़ी धनराशि ८४ करोड़ की विद्युत परिषद् को ऋण देने की है। इसमें ५७ करोड़ रुपया इस बात के लिये है कि यह तय हुआ है कि रिहन्द की योजना को भी विद्युत परिषद को दे दिया जाय। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि जब अपने प्रदेश में विद्युत परिषद की स्थापना हुई थी तो विद्युत की अधिकांश योजनायें इसको दे दी गई थीं और जितना उनके ऊपर पैसा लगा हुआ था वह ऋण के ऋण के रूप में उनके नाम लिखा गया। रिहन्द इसलिये नहीं दी गई थी कि वह निर्माण की स्टेज में थी वह बन नहीं पाई थी और उससे विद्युत पैदा नहीं होती थी। अब वह बन गई है, और उससे विद्युत पैदा हो रही है। प्रदेश में जो छोटी छोटी योजनायें चलती है तो उन सब को ग्रिड के नाम से सम्मिलित कर लिया है। जैसे गंगा ग्रिड है जिसमें प्रदेश का पश्चिमी भाग जुड़ा हुआ है। जब शारदा बनी तो उसका शारदा ग्रिड बन गया। अब इस बात की योजना है कि प्रदेश के समस्त ग्रिडस को आपस में जोड़ दिया जाय क्योंकि टेक्निकल प्राविधिक दृष्टि से यह चीज अच्छी रहती है। गोरखपुर, मऊ, सोहवल, कानपुर इत्यादि के जो विद्युत गृह हैं वह विद्युत परिषद के अन्तर्गत थे। अब रिहन्द बाहर रखा जाये और यह सब विद्युत गृह परिषद् के हाथ में रहे, इससे काम को सुचारु रूप से चलाने में कठिनाई हो सकती थी। दूसरी बात यह है कि रिहन्द की उसके साथ जोड़ने की मंशा थी। इसलिये यह उचित समझा गया कि रिहन्द को भी उन्हीं को हस्तान्तरित कर दिया जाये और जो पूंजी लगी हुई है जो लगभग ५१ करोड़ है। ३३ करोड़ की पूंजी और विद्युत परिषद् को दी गई है, जिससे वह अन्य कार्यों को चला सके। मैं अपने बजट भाषण में भी निवेदन कर चुका हूं कि विद्युत में जो प्रदेश में प्रगति हुई है वह बहुत सन्तोषजनक और बहुत अच्छी है। १ अरब ५ करोड़ की धनराशि कौन से अनुदान में चली आ रही है इसलिये थोड़ी सी बात मुझे कहना पड़ा और मैंने माननीय सदस्यों के सामने यह स्पष्ट कर दिया और वे देखेगें कि देखने और मांगने में तो यह इतनी बड़ी धनराशि मालूम पड़ती है, लेकिन जब उसका विश्लेषण किया जाये तो यह इतनी बड़ी धनराशि नहीं है, क्योंकि इसका प्रदेश के बड़े बड़े कार्यकलापों से

[श्री कैलाशप्रकाश]

सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में, इससे अधिक कहना मैं आवश्यक नहीं समझता और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य मेरी मांग का समर्थन करेंगे।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५५—व्याज वाले ऋण और अग्रिम के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने आपके सामने प्रस्तुत अनुदान का एक ऊपरी चित्र रखा। सच बात तो यह है कि किसी भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को दृढ़ करने के लिये जहां शेष अनुदानों का महत्व है, उसके साथ-साथ ऋण देने वाले, अनुदान भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह वित्त विभाग से संबंधित है और इस प्रदेश में इस विभाग की स्थिति के कारण इसे बेकार का समझा जाय तथा वह पूरी तरह न देखा जाये तो उसमें मंत्री जी को कैसे दोष दूं। वह कहेंगे मैं तो कल ही वित्त मंत्री बना हूं और पहले आधा विभाग मुख्य मंत्री जी के पास और आधा श्री अली जहीर के पास रहा है। मैंने इस ग्रान्ट को शीघ्र ही आज रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप इस प्रदेश के कर्जे की स्थिति को देखेंगे तो वह निरन्तर बढ़ती जा रही है। कर्ज लेने की धनराशि निरन्तर बढ़ती जा रही है। इस समय लगभग ३३१ करोड़ से ४६८ करोड़ तो कुछ ही वर्षों में पहुंच चुका है। यानी १९६४ के पहले से और इसके पहले से ढाई गुना इसके कर्जे की स्थिति बढ़ चुकी है। माननीय मंत्री जी यह स्थिति भयानक इसलिये है कि इस समय तो जो हम प्रत्यक्ष रूप से कर्ज से खर्च करते हैं, उसका असर राजस्व प्राप्तियों पर नहीं पड़ता, लेकिन आगे हम देखते हैं कि हमारा राजस्व निरन्तर गिरवी होता चला जा रहा है। इसलिये इस हमारे वित्त विभाग को कर्जे वाली बात देखना जरूरी है। केन्द्रीय सरकार से भी हमें राजस्व प्राप्त होता है। उस मद का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, हमारा वित्त विभाग और अन्य विभाग उसमें किस तरह की लापरवाही करते है वह सभी इस कर्ज वाली मद में आता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी अपने भाषण में कहा कि इसमें प्रथम जो खर्चा है वह कृषि के लिये है। मैं माननीय वित्त सचिव की टिप्पणी जो पृष्ठ १६५ पर है उसे पढ़ना चाहता हूं—

"पूर्ववर्ती वर्ष में मूलत: व्यवस्थित ४,२३,७७ लाख की धनराशि की तुलना में किसानों को अग्रिमों के लिये व्यवस्थित धनराशि ८९,१० लाख कम करके ३,३४,६७ लाख कर दी गयी है। शेष कमी का कारण यह है कि अलीगढ़ जिले में सघन जिला कृषि कार्यक्रम तथा कृषि भूमि में भूमि संरक्षण की योजनाओं के अन्तर्गत क्रमश: १४,०० लाख तथा ६,१२ लाख की कम व्यवस्था की गयी है और ज्वार, बाजरा तथा दालों की सघन खेती और बागवानी खेती के लिये की गयी व्यवस्था निकाल दी गयी है। धन की सघन खेती की योजना के अन्तर्गत भी १,०० लाख की कमी हुई जो कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की सघन खेती के कार्यक्रम में आरम्भ की गयी नयी योजना के लिये की गयी व्यवस्था से प्रतिसंतुलित हो गयी है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की प्रत्याशित आवश्यकताओं के आधार पर, जिसमें उत्तराखंड प्रभाग की विद्युत् योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिये उसके द्वारा अपेक्षित १२,०५ लाख की धनराशि सम्मिलित है, आय–व्ययक वर्ष में परिषद् को ऋण देने के लिये ३३,५०,०५ लाख की व्यवस्था की गयी है जब कि पिछले वर्ष के मूल आय-व्ययक में २२,४३,४० लाख की व्यवस्था की गयी थी।"

मैं यह वित्त मंत्री जी को यह दिखाने के लिये पढ़ रहा हूं कि कर्जे से जो धन मिलता है उसका उपयोग किस ओर अधिक हो रहा है। मैं यह मानता हूं योजना और आयोजना में अन्तर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। लेकिन विद्युत् परिषद् की रिपोर्ट आज बटवायी गयी है और इसमें माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा जी ने, माफ करें, काफी चालाकी की। उस परिषद् की रिपोर्ट पर ध्यान देने का अवसर भी माननीय सदस्यों को नहीं मिला, इसका अनुमान आप स्वयं लगा लें। आप विद्युत् परिषद् पर योजना के अन्तर्गत ३३ करोड़ रुपया दे रहे हैं। यह सही है, लेकिन अगर आप कृषि की ओर इस कर्जे का झुकाव देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। हमारे कृषि विभाग ने जो कर्जा लिया उससे पांस खरीदा और जहां से मैन्योर चलता है वहां से जहां जाता है वह तक हिसाब का पता नहीं है, लाखों रुपये की उसमें कमी है। केन्द्रीय सरकार उस मैन्योर पर अपना सूद लगाती है, यह सरकार अपना सूद लगाती है, सहकारी समितियां अपना सूद लगाती हैं और किसान तक पहुंचते पहुंचते उस पांस पर अप्रत्याशित ढंग से दाम बढ़ जाता है। तो जिन-को आप बढ़ाना चाहते हैं उन पर कर भार, सीधे और दूसरे तरह से यह भी कर भार है--वह भी बढ़ाते जांय तब तो वह नहीं बढ़ सकेगा। दूसरी ओर वही रुपया जब उद्योग की तरफ जाता है तो उसके लिये क्या सुविधायें हैं। मैं यह नहीं कहता कि उद्योग पर भी तत्काल बढ़ो-त्तरी कर दें, लेकिन वहां तो आप ३ प्रतिशत पर देते हैं, लेकिन हमारे तकावी रूल्स को देखिये, उसकी परिभाषा में परिवर्तन नहीं हुआ है। उद्योग में वही रुपया व्यक्तिगत जमानत पर ५०० रुपये तक ऋण में मिल जाता है, लेकिन कृषि के लिये जो नियम हैं उनसे किसानों को लाभ नहीं पहुंचता है और अगर पहुंचता भी है तो उनको जिनके पास पूंजी है। जो भूमिहीन काश्तकार हैं वह उससे लाभ नहीं उठा पाते।

जो आंकड़े प्राप्त हुये उनसे यह स्पष्ट है कि इस धन का उपयोग बड़े गलत ढंग से हुआ है, उनकी रिकवरीज भी बड़े गलत ढंग से होती हैं। वित्त विभाग की ओर से उन पर व्यवस्थित रूप में ध्यान नहीं दिया जाता। कृषि के बाद अब नम्बर आता है दूसरा उद्योग का। उत्तर प्रदेश में उद्योग का जो ग्रोथ हुआ है उसको तीन दृष्टियों से देख सकते हैं। इसको ऋण के खाने में दिया है इसलिये मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं। हम कुछ धन देते हैं और उसके लिये कुछ फिक्स कैपिटल हम लगाते हैं कि उससे पूरा लाभ हो सके। वह रुपया ७॥ प्रतिशत के हिसाब से दिया जाता है लघु उद्योग संघ को और उसके साथ-साथ जो लघु उद्योग संघ का कार्य है उनका यहां पर कोई जिक्र नहीं होता। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि सरकार बड़ी चालाकी से अपने ही अधिकारियों के अधीन यह सारी धनराशि रखती है। यह सारा रुपया १०५ करोड़ सीधे सरकारी अधिकारियों के हाथ में ही जाता है और हमारा लेजिस्लेचर का उस पर अधिकार कम रहता है। इस उद्योग में आप देखें कि ऊपर से नीचे तक उद्योग विभाग के आदमियों के ही अधिकार में यह रहता है? उसमें भी जो बड़े-बड़े उद्योग को चलाने वाले लोग हैं और बड़े अधिकारी हैं उनके अधिकार में यह रहता है। वे ऐसे लोग हैं जिसमें बड़े पूंजीपति हैं पद्मपत सिंहानिया जैसे उनके पास यह रुपया चला जाता है। उस रुपये को देने के बाद हमारा कोई कंट्रोल उनके ऊपर नहीं रहता है। चूंकि सरकार के अधिकारी बैठे हैं इसलिये समझते हैं कि सब कार्य ठीक रूप से हो रहा है। जब हमने इस संघ को तीन दृष्टि से देखा तो मालूम हुआ कि इस प्रदेश में उद्योग की यूनिट १९६३ में २.४ प्रतिशत केवल बढ़ी है। इसके साथ साथ जो रोज-गार बढ़ा है वह भी .७ प्रतिशत बढ़ा है यानी माइनस बढ़ा हैं। जो उत्पादन था वह भी ५.४ प्रतिशत बढ़ने की तरफ हुआ है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सरकार बहुत सा रुपया रोजगार बढ़ाने के लिये देती है। आपने यह दिखाया है कि आप संघ को रुपया देने जा रहे हैं। उनकी क्या हालत है? उनकी हालत यह है कि जो उनका मुनाफा है वह लाभांश भी सरकार की तरफ से स्वीकृत हुआ है उसको भी सरकारी कोष से दिया जाता है। हमारे वित्त मंत्री जी या हमारे जो जिम्मेदार अफसर हैं उन्होंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि उनको लाभांश कब तक दे सकते हैं और कब तक इस प्रकार से चला सकते हैं।

एक बात मैं सरकार के सामने यह रखना चाहता हूं कि आज माननीय मंत्री जी के पास कोई इस प्रकार के पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं कि हमने १५ वर्ष के समय में प्रतिवर्ष कितने रुपये के हिसाब

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद]

से उसमें लगाया और कितना उस पर मुनाफा हुआ। अगर कोई अनुदान इसके लिये रखते हैं तो कर्जा तक उसके लिये लेते हैं, लेकिन रेवेन्यू से यानी राजस्व से हमको कितनी प्राप्ति है और उनको कितना प्रतिवर्ष हम देंगे और प्रति वर्ष हमको कितनी प्राप्ति मिलेगी यह मालूम नहीं हो पाता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उत्पादन बढ़ाने के लिये योजनाओं के नाम पर जहां रुपया देते हैं वह सब मेरी निजी जानकारी है कि वह सब योजायें चाहें सिंचाई की योजना हो, चाहे ट्यूबवैल की योजना हो जिसमें सरकार को प्रति वर्ष ४ करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है, चाहे वे सहकारिता के द्वारा बनाये गये हों, जिनका कर्जा गया उन सब की स्थिति यह है कि करीब ६०, ६५ ट्यूबवैल का पता ही नहीं कि वे कहां पर बनाये गये और उनके स्थान कहां पर है। इस प्रकार की स्थिति इस ऋण देने वाले विभाग की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर जो रुपया हमने लिया उसे सरकार ने उत्पादन में लगाया। इसमें दो योजनायें है, जमना हाइडिल की तथा दूसरी रिहन्द की। रिहन्द योजना को जिन माननीय सदस्यों ने देखा है वे उसके बारें में जानते है और सरकार इस स्थिति में उसे विद्युत परिषद को देने जा रही है। मैं यहा जमुना जल विद्युत योजना का पहले जिक्र करना चाहता हूं। उसमें विद्युत का काम पूरा हो गया है, हमारी पिछली रिपोर्ट में उसके आंकड़े है। राजस्व जो उसमें लगा है वह भी उसमें है। यह सारा कार्य विद्युत परिषद् द्वारा होने वाला है। उसमें एक ठेकेदार को ठेका दे दिया गया। इस मामले में कई सरकारी दल के लोग भी हैं और इसलिये मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता। फिर उनमें झगड़ा हुआ और उसे निपटाने के लिये मंत्री महोदय ने एक समझौता किया। हमारे बह्मदत्त मायर जी रोज ही वहां की सीमेंट आदि के बारे में प्रश्न पूछते रहते है, साफ कहा भी लेकिन वह सीमेंट रोज ब्लैक में बिकता है। सरकार ने समझौता में उनको १५ लाख रुपया और दिया। यह स्थिति हमारे सामने है और पता नहीं वहां वास्तव में हालत क्या होगी। पता नहीं कौन सा चेक इन सबके लिये माननीय मंत्री जी ने लगाया है। ८८ करोड़ रुपये की जिम्मेदारी हम पर इस सब के सिलसिले के आने वाली है। तो यह उत्पादन की योजनायें घाटे की योजनायें हैं और इसलिये हमको समझ लेना चाहिये कि यह रुपया हमको प्राप्त होने वाले नहीं है। राज्य विद्युत परिषद् को हमने रुपया दिया है। उसकी शर्तों के अनुसार हम केवल साढ़े चार प्रतिशत उनसे ले सकते है। उसका कैपिटल औन वापस करेगा? राज्य विद्युत परिषद् की एक स्थिति है और यह ठीक है कि उसके मुख्य अधिकारी महोदय की कार्यकुशलता के कारण घाटा बहुत कम हो गया है, लेकिन वह रुपया जो हमने दिया है वह हमारे राजस्व के ऊपर ही पड़ने वाला है और मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में हम राजस्व द्वारा उसे पूरा नहीं कर सकते।

अब जो उत्पादन हुआ उसका हमने क्या किया यह देखें। बराबर यह सवाल यहां पूछा गया है। उसका आधा उत्पादन आपने बिरला की एक कंपनी को उत्पादन मूल्य से भी कम पर दे दिया। यह मैं जानना चाहता हूं कि यह ५१ करोड़ रुपया सरकार कैसे वापस करेगी जब कि सरकार ने उत्पादित बिजली ५० प्रतिशत उत्पादन मूल्य से कम पर दे रखी है। मैंने सोचा कि शायद इससे हमारे टैक्सेज कुछ कम हो जायं इसलिये मैंने वित्त कमीशन की १९६१ की रिपोर्ट देखी। उससे पता चला कि न तो हमारा निक्कर बढ़ा है और न ही हमको इन्कमटैक्स में कुछ अधिक प्राप्ति हुई है। ढ़ाई करोड़ रुपया हम इसमें घाटे का दे चुके हैं। तो हम इसमें फंसते जा रहे है जिससे निकलना हमारे लिये बड़ा कठिन होगा। इसलिये मंत्री जी को इस दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिये और उसके साथ ३ करोड़ रुपया रिहन्द को चलाने के लिए भी दिया गया। कई प्रश्नों द्वारा माननीय सदस्यों ने रिहन्द की कमियों की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है, परन्तु अभी तक पूर्णरूपेण उसकी व्यवस्था नहीं हो सकी है कि हम लोगों को उद्योग दे सकें। हमने माना कि एक करखाना बड़ा हमारे प्रदेश मे चल रहा है, लेकिन अगर हम इस रुपये को देने जाते हैं तो उस रुपये को भी दें और अगर हम नहीं दे सकते तो पूर्ण-रुपेण सब योजनाएं फेल हो जायंगी। माननीय अध्यक्ष जी, हम इस कर्जे को देकर इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और बिगाड़ रहे हैं।

दूसरी ओर हम यह भी देखें कि जिनको हमने दिया है उन्होंने किस प्रकार उसका उपयोग किया है। केवल ३–४ विभागों का इसमें जिक्र आया है और उसमें विशेष रूप से कृषि विभाग का आया, उसके बाद उद्योग विभाग और हमारे बिजली विभाग का आया। कृषि विभाग का एक ही ऋण केवल २९.५९ लाख का ऐसा है जिसकी सूचना है कि दुरुपयोग हुआ जो कि केन्द्रीय सरकार से लिया गया था। दूसरा जो केन्द्र से लिया वह पुलिस के मकान बनाने के लिये। बरसों से हम सूद का रुपया देते चले आ रहे हैं, लाखों का उसमें घाटा हो गया। उद्योग विभाग के जो ऋण हैं, फूलसिंह जी जिस समय मंत्री थे उन्होंने बताया कि उसमें ५० प्रतिशत से अधिक दुरुपयोग हुआ है। अब पता चला है कि ६४ से ६७ प्रतिशत रुपया ऐसा समझा जाता है जो उपयोग में आया। तो अगर हम इस अनुदान को स्वीकार कर लें तो हमें यह भी सोचना चाहिये कि हमें आगे मिलने वाले ऋण भी वापस करने में और यह ४६४ करोड़ वाला भी १५ साल में वापस करना है। हमें वापस नहीं करना है, ऐसी बात नहीं है। आगे जो कर्जे मिलने वाले हैं वह किसी काम के लिये मिलने वाले हैं। अगर हमें आगे काम कराना है तो यह जो ४६४ करोड़ का है इस रुपये को कहां से देंगे? हमारे वित्त मंत्री इसको हलके तरीके से न लें कि राजस्व से उन पर असर नहीं होता। इसमें ऐसी भी मदें हैं जिनसे हमको आमदनी नहीं होती। जैसे सड़क भी बनवाते हैं, पुल भी बनवाते हैं और कार्य भी वे करते हैं। माननीय मंत्री जी शिक्षा मंत्री हैं और पलिस मंत्री हैं। उनपर भार न पड़े इस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो हमें वास्तविकता का पता चलेगा। हम विरोधी दल के लोग नहीं चाहते कि इस प्रदेश के आर्थिक साधनों में बढ़ोत्तरी न हो। हम यह भी नहीं चाहते कि अनुदान के द्वारा जो सहायता देते हैं वह बन्द कर दी जाय। हम कहते हैं कि यह ऐसी सहायता है जिसको देकर हम कृषकों और उद्योगों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अगर इस पर वित्त मंत्रालय ने ध्यान नहीं दिया तो ऐसा भी है कि हम प्रदेश को तबाह कर सकते हैं और उससे प्रदेश की पूंजी भी खत्म हो सकती है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसी दृष्टिकोण से इसपर विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)––

अध्यक्ष महोदय, अभी जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ और उससे पहले जो माननीय मंत्री जी ने कहा वह हमने सुना। ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत जो यह १,०५,९१,२८,८०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिये मांगी जा रही है उसमें माननीय मंत्री का काम यह है कि हम किस तरह से उसको उपयोग में लायें जिससे प्रदेश का काम ठीक चल सके। इसमें आप देखें कि किसानों को उर्वरक, बीजों, उपकरणों तथा अन्य चीजों के लिये अग्रिम ९,११ लाख रुपये का अनुमानित था। पुनरीक्षित अनुमान ६,४६ लाख का था और दिया जा रहा है ६,१० लाख जो कि इसमें मांगा जा रहा है। इसके माने हैं कि साढ़े तैंतीस लाख रुपया किसानों का पुनरीक्षित करने के बाद भी कम कर दिया और कुल पौने तीन करोड़ रुपया कम दिया जा रहा है। इससे पता चलता है कि बजट बनाने में किस तरह कंजूसी काम करती है और किस तरह का दिल व दिमाग काम करता है। जहां तक जमींदारों के ऋण का संबंध है तो ८ लाख देना था, ५ लाख पुनरीक्षित करने के बाद तय किया और ५ लाख दे भी रही है। उसमें से कोई कमी नहीं हुई। विद्युत् परिषद् को जो ऋण दिया है उसको मैं मान सकता हूं कि ठीक है, उससे प्रदेश का भला होगा। लेकिन बिजली के विस्थापितों के नाम से जो ऋण है उसमें ६५,१२ लाख का अनुमान था और इतना ही पुनरीक्षित हुआ और ९,२५ लाख मांगा जा रहा है। मैं कहता हूं कि एक पैसा नहीं देना चाहिये। जिन विस्थापित व्यक्तियों ने २५ पैसे के बजाय ५० पैसे बिजली के चार्ज किये और सारा रुपया वसूल कर लिया अब उनको क्यों दिया जा रहा है? सरकारी कर्मचारियों को गृह–निर्माण के लिये जो अग्रिम दे रहे हैं उसको मैं जरूरी समझता हूं, लेकिन मोटर कार, मोटर साइकिल मोल लेने के लिये जो २ लाख ५० हजार रुपये की मांग कर रहे हैं उसे मैं फिजूल खर्ची समझता हूं। मैं समझता हूं कि अगर बजट को सही तरीके से बनाते

[श्री राधेश्याम शर्मा]

तो काफी काट-छांट हो सकती थी, कर्जा जिसको देना है उसको देना चाहिये, लेकिन किसान का तो काट दिया और मोटरकार के लिये इतना अग्रिम दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी, जरा आप ध्यान तो दीजिये.....

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप मुझे सम्बोधित करें ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

उन्होंने छोड़ दिया, तब मैंने कहा। गैर-खेतिहरों को घर बनाने के लिये अनुमान ७५ हजार का ही लगाया गया था और ६३-६४ में वह ३,७५,००० रुपये था और अब केवल १ लाख ही मांग रहे हैं उन्हें देने को ।

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए। )

अगर आप देखें तो इससे उनका क्या लाभ हो सकता है और कितने घर बन सकते हैं। यह कर्जा वास्तव में कोई कर्जा नहीं है ।

औद्योगिक प्रयोजनों के लिये जो ऋण दे रहे हैं-- अगर हम कहते हैं कि इनसे चुनाव म चन्दा लेते हैं तो ये चिढ़ जाते हैं, केन्द्र में तो वित्त मंत्री ने मान लिया है कि ९८लाख रुपया उद्योग पतियों से चन्दा लिया। जहां जरूरी था वहां नहीं देंगे। औद्योगिक प्रयोजनों के लिये वहां पर ४६,६७,१०० रु० देने का अनुमान लगा रहे हैं और २० लाख रुपया देना पक्का भी कर दिया। २६ लाख रु० दे नहीं पाये और जबरदस्ती इन्हीं को ४६,६७,१०० दे रहे हैं। यह क्या आफत है श्रीमन्, मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। इसके बाद, श्रीमन्, उन योजनाओं और आयोजनाओं को ऋण देने की व्यवस्था है जिनका उल्लेख ही नहीं किया गया है। क्योंकि वे सरकार के कृपापात्र हैं जिसका कोई बजट में जिक्र ही नहीं। उसके लिये क्या कर रहे हैं? उसके लिये पांच लाख रुपया दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिसको मंत्री चाहेंगे दे देंगे। यह आप मुलाहिजा फरमाइये। श्रीमन्, मैं सारे बजट को छांटकर आपको बता देना चाहता हूं। श्रीमन्, इसी तरह गरीब स्वर्णकारों के लिये ७० लाख रुपये का पक्का अनुमान आपने लगाया, मांग रहे हैं ५० लाख रु०। इसमें श्रीमन्, रुपया जो ज्यादा है, पहिले ही बता चुका हूं जितना नहीं दे पा रहे हो, उससे कम दे रहे हैं। अग्रिम ऋण और व्याज में मूलतः किसान को कोटा और जमींदार को बढ़ावा दिया, उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया और स्वर्णकारों और बिना खेती के मजदूरों को काट दिया। जितने छोटे वर्गों के लोग थे उनको काट दिया, जो बड़े थे, जमीदार, उद्योगपति, बिजली के नाम पर विस्थापित, इन बसको बढ़ावा दे दिया । अभी जब मैं कह रहा था कि यह गलत दिया जा रहा है तो श्री शान्ति प्रपन्न जी कह रहे थे कि कर्जा ही तो दे रहे हैं । जहां अनुमान नहीं लगाया वहां पर मोटरकारों के लिये भी दे रहे है । मुझे इस बात का दुःख है । श्रीमन्, मैं यह बता दूं कि अगर इस महकमे को सरकार मुझे दे दे तो मैं सही बजट बनाकर दूं ।

श्रीमन्, १५ अगस्त, १९४७ के पहिले यह सरकार काश्तकार की बात करती थी और जब यह पावर में आ गई तो बिलकुल ही दूसरी मंशा हो गई है। वह मंशा मैनें खर्चों से ही बता दी है । श्रीमन्, इन्हें एग्रीकल्चर से भी कितना प्रेम है, उसे भी सुन लीजिये । डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर की आडिट रिपोर्ट १९६३-६४ को आप पढ़िये तो उसमें ४३ लाख ९४ हजार रुपया लिया गया जिसमें से ११, १९ हजार रुपया खर्च ही नहीं हुआ । यह हालत एग्रीकल्चर की है । यह भी अगर हमारा दोष है तो श्रीमन्, सरकार का क्या दोष हो सकता है? इसके बाद हार्टीकल्चर के लिये ३६ लाख रुपया अक्तूबर, १९५६ में लिया गया जिसमें से २६ लाख रुपया १९५७-५८ तक खर्च हुआ और ७·८६ हजार रुपया प्रयोग ही नहीं हुआ । प्रयोग न होने पर श्रीमन्, एक लाख रुपये तो सिर्फ व्याज के ही देने पड़े । तो श्रीमन्, हम कहां

तक पेश करें ? बिलकुल सही सही तरीके से, जिस तरह हम बताते हैं उसका उल्टा ही सरकार आचरण करती है। खेतिहर मजदूरों के लिये सिर्फ एक लाख रुपया रक्खा और काश्तकारों के लिये ३ लाख रु० कम कर दिया। इससे बहुत दु:ख होता है। बहुमत का इनके पीछे जबरदस्त बल है, इतना महत्वपूर्ण अनुदान जब वह यहां से पास करा ले जायेंगे तो सरकार लेन देन के लिये तैयार हो जायगी क्योंकि सदन की मंजूरी लेने के बाद यह कानून की शक्ल अख्तियार कर लेता है। . . . . (व्यवधान) अगर आप चाहें तो मैं उसको रख सकता हूं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप उसको मानेंगे नहीं क्योंकि आपका लक्ष्य दूसरा है। इसलिये मैं उसे रख कर क्यों वक्त खराब करूं ? १,०५,९१,२८,८०० रुपये का यह सारा बजट जरा सी देर में "हां की संख्या अधिक है" कह कर यह सरकार पास करा लेगी, तो हम कितनी ही बढ़िया बात क्यों न कहें, उसका कुछ असर पड़ने का नहीं है। इसलिये हम कहां तक समझायें ? मैं तो एक ही बात सरकार से और विरोधीपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में जहां विरोधी पक्ष मुरझा जाता है, वहां क्या हालत होती है ? कार्ल मार्क्स की "भारत में अंग्रेजी राज" नाम की एक पुस्तक है। १०० साल पहले कार्ल मार्क्स ने जो बात अंग्रेजी राज्य के बारे में कही थी, बिलकुल वही बात वर्तमान सरकार के लिये हू-बहू लागू होती है। क्योंकि बजट बनाने में और सभी कामों में यह सरकार उसी तरह से चल रही है जिस तरह अंग्रेजी राज में होता था। कार्ल मार्क्स ने कहा है--

"हिन्दोस्तान में सभी गृह युद्ध, आक्रमण, क्रान्तियां, विजय, दुर्भिक्ष, एक के बाद दूसरे कितने ही जटिल, उग्र और विनाशकारी क्यों न जान पड़ते हों फिर भी वे ऊपरी स्तर तक ही रहे, नीचे गहराई तक नहीं जा पाये। परन्तु इंगलैंड ने तो भारतीय समाज का सारे का सारा ढांचा क्षत विक्षत कर दिया और पुनर्निर्माण का अभी तक कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा है। इस भांति एक तरफ अतीत का सब कुछ छिन जाना और दूसरी तरफ नया कुछ भी न मिलना इससे भारतीय जनता की वर्तमान दुखपूर्ण स्थिति और भी निराश हो उठी है। भारत में ब्रिटिश शासन ने उसका अपनी सभी प्राचीन परम्पराओं, अपने समूचे पिछले इतिहास से संबंध विच्छेद कर दिया है।"

श्रीमन्, कोई फर्क नहीं पड़ा है, बिलकुल जिस तरह से अंग्रेजी सरकार बजट बनाती थी उसी तरह से यह सरकार भी बजट गलत बना रही है। जहां जरूरत है, उसको नहीं देंगे और जहां जरूरत नहीं है उसको देते चले जायेंगे। श्रीमन्, ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के बजट को सरसरी दृष्टि से मैंने आपके सामने रखा और जो बात इसके अन्दर है वह सब आपको बता दी। अब म एक बात कहना चाहता हूं कि सरकारी पक्ष जब-जब इस तरह से गलत काम किया करता है उस वक्त जन-शक्ति मुरझा जाती है और जन शक्ति के मुरझा जाने के बाद यह सिद्धान्त की बात है कि विरोधीपक्ष को बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। यह जो आप मजाक किया करते हैं वह ठीक है। आप बराबर कह दिया करते हैं कि कौन सरकार बनायेगा, लेकिन इसी तरह से पचासों साल तक अंग्रेज कहते रहें और यही बात सुनाई पड़ती रही कि अंग्रेजी राज जाने के बाद कोई सरकार बन नहीं सकती। इसलिये स्वराज्य की जरूरत नहीं है। गांधी जी ने सब को मिलाने की कोशिश की लेकिन जब वह नहीं हो सका तो उन्होंने एक नारा दिया और वह बड़ा अच्छा नारा था कि पहले अंग्रेज यहां से तशरीफ ले जायं, फिर जो भी सरकार बनेगी उसके लिये यहां की जनता जिम्मेदार होगी। यह जो आप कहा करते हैं कि पांच सात विरोधी पार्टियां हैं, कौन सरकार बनायेगा, यह सही बात है। अगर पांच-सात विरोधी पार्टियां नहीं होतीं, और वे यदि कमजोर न होतीं तो फिर आप यह बात कह ही नहीं सकते थ और यहां विराजमान होते। यह तो हम लोग जानते ही हैं। मैं विरोधी पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि जब बजट का इतना महत्वपूर्ण मसला पेश है तो सब लोगों को हाजिर रहकर सरकार को सतर्क करना चाहिये। उसके बाद मान्यवर, मैं यह भी कहूंगा कि १५-१६ साल तक जब एक पार्टी की हुकूमत बनी रहती है तो उस हुकूमत से आप यह आशा नहीं कर सकते कि वह सही काम करेगी। अरस्तू ने कहा था कि जब कोई प्रजातांत्रिक हुकूमत ज्यादा दिन रहेगी तो वह तानाशाही की ओर अग्रसर हो जायगी। तो इससे ज्यादा क्या कहा जाय ? दूसरे दार्शनिकों ने

[श्री राधश्याम शर्मा]

यह भी कहा है कि१६–१७ साल तक प्रजातांत्रिक हुकूमत बहुमत के आधार पर चले और उससे यह उम्मीद की जाय कि वह अच्छा काम करेगी तो वह अच्छा काम करना भी चाहे तो कर नहीं सकती है क्योंकि वह मदांध हो जाती है । यह कथन इस सरकार के ऊपर बिलकुल सही-सही घटता है ।

एसी स्थिति में एक ही उपाय रह जाता है कि सारा विरोधी पक्ष एक बार इस सरकार को उलट दे । मैं यह बात आखीर में बराबर जरूर दुहराता रहता हूं और वह इस कारण से कि जिससे जनता का मनोबल बढ़े और मनोबल बढ़ने के बाद जब विरोधी पार्टी की मिलीजुली सरकार बनेगी, चाहे वह कितनी ही रद्दी सरकार क्यों न हो, और चाहे वह ज्यादा दिन न चले, लेकिन उससे जनमानस में जो बल आयेगा उससे फिर जनता सही सही सरकार बना सकेगी और विरोधी पक्ष भी सही सही काम करगा । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से खास तौर से कहूंगा कि जो सुझाव मैंने दिये हैं, उनके अनुसार अगर बजट को बनायें तो बजट बिलकुल सही बन सकता है । आपने जिसको जरूरत थी उसको तो दिया नहीं ह और जिसको जरूरत नहीं है उसको देते चले जा रहे हैं । इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव का पूर्णतया समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो बात मैंने कही है उस पर गौर करने के बाद मंत्री जी उसका जवाब देंगे ।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्तुत अनुदान है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । अभी मैं जिन माननीय सदस्य का भाषण सुन रहा था, ऐसा लगता है कि १६–१७ वर्षों में जो काम देश में हुए हैं चाह वे प्लानिंग के द्वारा हुये हों या शिक्षा के क्षेत्र में हुए हों, अथवा और किसी क्षेत्र में हुए हों उनकी तरफ उन्होंने नजर दौड़ा कर देखने की कोशिश नहीं की । अगर उनका अध्ययन करने की उन्होंने कोशिश की होती तो सारी जानकारी के बाद ऐसी बातें कही जा सकती हैं, म इसको नहीं मानता । मैं यह तो नहीं कह सकता कि उनको सारी जानकारी नहीं हैं, लेकिन यह अवश्य कह सकता हूं कि जैसे कोई आदमी सो न रहा हो, लेकिन सोन का बहाना कर रहा हो । जैसे उसको जगाया नहीं जा सकता है उसी प्रकार से उनको समझाया नहीं जा सकता । जानत हुए भी वे न जानने की स्थिति में बोल रहे थे । इधर १५–१६ साल के अन्दर ही देखें तो सिचाई के कार्यों में कितनी प्रगति हुई । छोटी-छोटी नहरें कितनी बनी ह, छोटे उद्योगों को कितनी सहायता दी गयी ह, खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए खाद के कितने कारखाने लगाए गये ह और यही नहीं तकाबी के द्वारा खाद का देना, बीज का देना, किसानों को उन्नत औजारों का देना, आदि की व्यवस्था की गयी है । और मैं समझता हूं कि अब प्रदेश के अन्दर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा होगा जो विकास खंडों के अन्तर्गत न आ गया हो और जहां पर य सारी योजनायें न चल रही हों । उन योजनाओं को चलाने में जो खर्च पड़ता ह उन खर्चों को कहीं तकाबी के द्वारा, कहीं अनुदान द्वारा पूरा किया जाता है । विरोधी दल के लोग जहां सरकार की आलोचना करते है, जनता के अन्दर मायूसी का वातावरण पदा करने की कोशिश करते ह वहां वह स्वयं बतायें कि अपनी तरफ से वे क्या करन की कोशिश करत हैं । जनता का मनोबल उठाने के लिये उन्होंने क्या प्रयास किया है, सिवाय इसके कि वह जनता का मनोबल गिरान में सहायक भले ही हुए हों । विरोधियों को चाहिये तो यह था कि जनता के बीच में उन सब कार्यक्रमों को लेकर पहुंचते और जनता के मनोबल को ऊंचा करने के लिय वह अपनी तरफ से भी कुछ कार्य करते । आप देखें कि जिस समय कांग्रेस स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी, उस समय गांधी जी के नेतृत्व में जनता के मनोबल को बढ़ाने के लिये कांग्रेस ने स्वयं बहुत से ऐसे सिद्धांत तय किये थे कि जो कांग्रेस के मानने वाले करेंगे और जो आन्दोलन में भाग लेंगे, उनको इन-इन नियमों को मानना होगा और जनता के बीच में जाकर इनका प्रचार करना होगा, और तब जाकर के सही रूप में वे आन्दोलन में भाग ले सकेंगे ।....

श्री राधेश्याम शर्मा--

अधिष्ठाता महोदय, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें कि जिस बात से इस विषय का संबंध है उस पर तो माननीय सदस्य ने अभी तक कुछ कहा ही नहीं और इतना समय ले लिया ।

श्री अधिष्ठाता--

हो सकता है कि अभी वे उसको पृष्ठभूमि बना रहे हों ।

श्री मुरलीधर कुरील--

मैं उसी पर आ रहा हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि उसी तरह से आपको चाहिये कि जिस समाजवादी व्यवस्था की बात आप कहते हैं उसको पहले अपने ऊपर भी लागू करें । मैं कहता हूं कि जिस समाजवादी ढंग को लाने की बात आप कहते हैं उसके लिये आप क्या कर रहे हैं ? आपने अपने सिद्धांतों को मानने के लिये क्या उसे अपने ऊपर भी लागू किया है ? उन चीजों को आज तक आपने किया नहीं है और जो कुछ हुआ है उसका आप विरोध कर रहे हैं ।

जहां तक मकानों के बनाने के संबंध में कर्जा देने की बात है, मैं भी समझता हूं कि इसके लिये बजट में जो रुपया रखा गया है वह बहुत थोड़ा है और मैं भी मानता हूं कि गांवों में ब्लाकों द्वारा मकानों को बनाने के लिये जो कर्जा दिया जाता है उसमें कुछ थोड़ी-सी और सुविधा होनी चाहिये ; क्योंकि गांवों में जो मजदूर हैं उनके पास इतने साधन तो हैं नहीं कि वे अच्छे किस्म के स्वास्थ्यप्रद मकान स्वयं बना सकें, क्योंकि आज की मंहगाई में उनको अपना पेट भरना ही मुश्किल होता है, फिर वे अच्छे मकान कहां से बना पायेंगे ? यह बात ठीक है कि ब्लाकों द्वारा किसानों को जो मकानों के बनाने के लिये कर्जा दिया जाता है, उनके पैसे को बढ़ाना चाहिये और उसकी अवधि भी कम से कम २०-३० वर्ष की होनी चाहिये ।

आपने सरकारी कर्मचारियों को सवारी गाड़ियां खरीदने के लिये सरकार द्वारा कर्जा देने की सुविधा देने का विरोध किया है । मैं समझता हूं कि आपका यह विरोध सही नहीं है क्योंकि यह उनको कोई अनुदान सरकार द्वारा नहीं मिलता है बल्कि यह ऋण के रूप मेंही मिलता है जो फिर वापस आ जाता है और उससे सरकार का कुछ नुक्सान नहीं होता, लेकिन हमारे कर्मचारियों को कुछ लाभ हो जाता है । यदि आपको सरकारी कर्मचारियों से काम लेना है और सही ढंग से समय के अन्दर काम कराना है तो फिर उनको ऐसी सुविधा देनी ही चाहिये ।

इसके साथ ही साथ तकावी के संबंध में यह कहना है कि किसानों को जो तकावी दी जाती है उसके लिये समय कम रखा जाता है । इस संबंध में दो तीन बातें मुझे कहनी हैं । एक तो यह कि तकावी लेने के लिये जब किसान जाता है तो उसके लिये जो खानापुरी होती है, या जांच पड़ताल होती है उसमें बड़ा समय लगता है । उस समय को कम करने के लिये कोई ऐसा तरीका सोचा जाना चाहिये जिससे इतना अधिक समय न लगे जितना कि इस समय-लगता है । दो, तीन और चार-चार महीने तक का समय लग जाता है । कभी कभी इतन ासमय लग जाता है कि सही टाइम पर उनकी जांच रिपोर्ट न आने के कारण उसके लिये अगले वर्ष तक इन्तजार करना पड़ता है । इस से किसानों को जो खेती के लिये जानवर खरीदने हैं या दूसरी कृषि उपयोगी चीजें खरीदनी हैं उनमें देरी से अधिक नुक्सान होता है । इसलिये जांच के तरीकों में परिवर्तन होना चाहिये ताकि जल्द से जल्द जांच हो जाय और विलम्ब के कारण जो भ्रष्टाचार की गुंजाइश पैदा होती है वह भी पैदा न हो । इस ओर मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये । साथ ही जो तकावी दी जाती है वह थोड़े समय के लिये ही दी जाती है, उसका समय भी बढ़ाना चाहिये, कोई २ वर्ष की, कोई ३ वर्ष की होती है, यह समय थोड़ा है, यह समय कम से कम ५-६ वर्ष का होना चाहिये । इस तरह से जो काम हो रहा है, वह मैं समझता हूं कि आज के समय के अनुसार ठीक ही हो रहा है क्योंकि उससे हमारी उपज बढ़ती है । जब हमें हर दिशा में प्रगति करना है तो हमें अधिक पैसा खर्च करना ही होगा और लोगों को हम पैसा अनुदान के रूप में नहीं तो कर्ज के रूप में ही यदि देते रहें तो उस से खराबी नहीं होगी, लाभ ही होगा ।

[श्री मुरलीधर कुरील]

जहां तक उद्योग धंधों की बात है हमारा सूबा उद्योग में बहुत पिछड़ा हुआ है । जो कर्ज दिया जाता है वह कम पड़ जाता है इसलिये अगर हो सके तो और अधिक पैसा इसके लिये रखा जाय और यदि अधिक न हो सके तो जो पैसा रखा गया है वही सही समय पर लोगों को मिल जाया करे ताकि वह उद्योग में प्रगति ला सकें । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं । मंत्री जी ने जिस अनुदान को पेश किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा ही सहकारिता, कृषि, उद्योग तथा विकास आदि विभागों द्वारा लोगों को कर्जा दिया जाता है । इसके द्वारा उपज भी बढ़ाई जा सकती है, इसी के द्वारा प्रदेश का विद्युतीकरण भी बड़े पैमाने पर हो सकता है और इसलिये यह अनुदान बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसका बहुत बड़े पैमाने पर विवेचन होना चाहिये कि अभी तक जो काम इन विभागों द्वारा किये गये हैं उन से प्रदेश की जनता का और प्रदेश का क्या लाभ हुआ है और उद्योगीकरण में क्या प्रगति हुई है और किसानों को विद्युत द्वारा कितना लाभ पहुंचा है, सहकारिता द्वारा क्या लाभ आम जनता को हुआ है ? इन सब बातों का विवेचन अच्छी तरह से होना चाहिये। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वह नहीं हो सकेगा और मंत्री जी और विभाग आसानी से रुपया ले लेगा और यह अनुदान पास हो जायगा, ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं ।

पहले मैं उद्योग विभाग को लेता हूं । इस विभाग द्वारा जिला स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर ऋण दिया जाता है और लघु उद्योग निगम भी बड़े पैमाने पर ऋण देता है । मेरा खयाल है कि अभी तक १ करोड़ रुपये के करीब ऋण लघु उद्योगों के लिये राज्य ऋण अनुदान समिति ने दिया होगा । मेरा ऐसा अनुमान है। मेरे पास ३ साल के आंकड़े हैं, किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से लोग रुपये को ले करके, जिस काम के लिए लेते हैं, उस काम में नहीं लगाते, शादी-विवाह में और दूसरे कामों में लगाते हैं । इसकी छान-बीन विभाग को करनी चाहिये थी । एक लाख रुपया इधर-उधर गैरवाजिब तरीके से लोगों ने लेकर के खर्च किया । इस संबंध में विभाग की जितनी ही आलोचना की जाय, मैं समझता हूं कि वह बहुत ही कम है । ३ साल के आंकड़े जो मेरे पास हैं, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । १९६१-६२, १९६२-६३, १९६३-६४, में ४०.६६ लाख रुपये का ऋण दिया गया था और इसी के द्वारा २.६३ लाख रुपये का अनुदान दिया गया था । मान्यवर, आप देखें, तो इसमें से थोड़े लोगों को यह रुपया दिया गया सन ६२ तक । ६,५११ व्यक्तियों में से १६०.६८ रुपया दिया गया था । जहां १६८.१६ लाख रुपया दिया गया था, ३ वर्षों में, उसमें से इस्तेमाल श्रीमन्, ५७.१७ लाख रुपये का नहीं हुआ । ४१.३ लाख रुपये को लकर के इस्तेमाल नहीं किया, जिन कामों के लिए लोगों ने लिया था । मैं समझता हूं कि यह फीगर सन् १९६३-६४ के हैं । इधर दो वर्षों में यह आंकड़े और बढ़ गये होंगे, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हों कि लघु उद्योगों का विकास हो, कर्जे लोगों से आसानी से वसूल हों, तो आपकी यह जिम्मेदारी और विभाग की भी यह जिम्मेदारी है कि यह रुपया जो दिया जा रहा है, देखना होगा कि उसका सदुपयोग हो रहा है ? या जिस काम के लिये, जिस व्यक्ति ने लिया उस काम में लगाया कि नहीं लगाया इन सब बातों को आपको देखना होगा । हम देखते हैं कि विभाग अब तक इस काम में असफल रहा । इसीलिये हमारा यह प्रदेश लघु उद्योगों में अब तक पिछड़ा हुआ है ।

मान्यवर, इसी तरह से जिले के स्तरों पर भी यह सवाल आता है । जिला स्तर पर भी यदि इस विभाग की चर्चा करें तो मुश्किल से ५० प्रतिशत लघु उद्योगों को बढ़ान में लोगों ने

इस्तेमाल किया होगा और शेष रुपया दूसरे कामों में लगा दिया होगा। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। अगर सचमुच में प्रदेश को उद्योगीकरण की तरफ ले जाना है, तो जो रुपया, पैसा, मेहनत की कमाई का, कर्जे से ले करके, किसानों से लगानवसूल करके, आम जनता से टैक्स वसूल करके, प्राप्त होता है, उस पैसे का दुरुपयोग किसी भी सभ्य आदमी को बरदाश्त नहीं होगा सहकारिता विभाग भी ऋण देता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं बड़े अदब के साथ कि ऋण देने के और जो ब्याज लेने के जो इस तरह के तरीके हैं, वह बहुत ही बेढब हैं। मान्यवर, देहात में बेढव ही कहते है। जिसको कोई भी सभ्य नागरिक, उसको स्वीकार नहीं कर सकता। आप देखें, लघु उद्योग के लिये जिले में जो रुपया दिया जाता है, ३ प्रतिशत ब्याज पर, आपके विभाग से, कुछ विभागों में ५ प्रतिशत, ५।। प्रतिशत पर। उनका सहकारिता विभाग जो रुपया देता है, वह पौने नौ प्रतिशत व्याज पर किसानों को रुपया देता है। यह रुपया आप दे रहे हैं सहकारिता विभाग को जो प्रदेश के किसानों को पौने नौ प्रतिशत ब्याज पर देगा और उनको लूटेगा। एक तरफ आप चाहते हैं कि पैदावार बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ आप जबरदस्ती उसको खाद दे कर इतने ऊंचे ब्याज पर रुपया देते हैं तो आप बतायें कि किसान कैसे पनप सकता है ? ब्याज की दर भिन्न भिन्न तरीके की है, लेकिन सबसे ज्यादा दर सहकारिता विभाग में ही है। मंत्री जी इस पहलू पर भी विचार करें कि २००---४०० रुपये तो आप पौने नौ प्रतिशत ब्याज पर देते हैं, लेकिन ५०,००० रु० से लेकर १ करोड़ तक आप ढाई प्रतिशत से ५ प्रतिशत ब्याज पर देते हैं, यह कहां तक उचित तथा न्यायसंगत है ? इससे गरीब जनता के साथ अन्याय हो रहा है। अतः इस प्रश्न पर विचार करना बहुत जरूरी है। सहकारिता विभाग भ्रष्टाचार की दलदल में है। आप कहेंगे तो १०० केसेज आपके सामने रख सकता हूं क्योंकि रुपया तो आपको ही देना है सब को। वित्त मंत्री के नाते आपकी जिम्मेदारी है यह देखने की कि रुपये का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो रुपया कर्जे पर दिया जाता है वह ठीक से वसूल भी नहीं होता और ब्याज का रुपया जमा करके मूल धन ज्यों का त्यों सालों चलता है, जो वसूल होना चाहिये था। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर सहकारिता विभाग में गबन है।

विकास खंडों के द्वारा भी काफी रुपया जनता को दिया जाता है। अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत मैं एक ब्लाक की मिसाल आपको देता हूं। पूरे प्रदेश की अगर आप जांच करें तो पायेंगे कि करीब करीब १ करोड़ रुपये का दुरुपयोग लोगों ने किया है और जिस काम के लिये लिया उस पर खर्च नहीं किया। हमारे पिंडरा ब्लाक में अधिक अन्न उपजाओ फंड से १९५३-५४ से ले कर १९६०-६१ तक १९,६५० रु० अधिक अन्न उपजाओ योजना में दिया गया। लेकिन उसमें से अब तक केवल ४,५०० रु० ही इस्तेमाल हुआ। यह रुपया कुओं के लिये तकावी के रूप में दिया गया था। इसी तरह से पंपिंग सेट के लिये अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत ५-६ आदमियों को १५,००० रु० दिया गया उसे पिंडरा ब्लाक में जिसमें से १ पैसा भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इस की भी निगरानी आपको करनी होगी क्योंकि ऐसा दुरुपयोग बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है।

इस मद के द्वारा म्युनिसिपैलिटीज को मकान बनाने के लिये भी आप रुपया देंगे, नगर महापालिकाओं को, और कहीं टाउन एरियाज को देंगे। उनमें आपने ३ प्रतिशत का सूद रखा है। अल्प आय और मध्यम वर्ग आय मकान बनाने वालों के लिये आपने ३ प्रतिशत रखा है और मेरा खयाल है यह भी ३० साल के लिये, किसान से आप वसूल करते हैं एक साल में, और उनके लिये रखा है ९ फीसदी, और दूसरे आप देखें कि अब तक आपने कितनी धनराशि दी है। मेरा खयाल है नगर महापालिका वाराणसी को आपने ४० लाख रुपये दिये हैं। उसमें भी बहुत दुरुपयोग हो रहा है। बहुत से ऐसे लोगों ने भी रुपया ले लिया है कि जिन्होंने तो नींव तक और छत तक भी नहीं रखी है और जिन का पता भी नहीं

[श्री ऊदल]

है कि वे बनारस में हैं भी या नहीं । इस प्रकार से इन अल्प आय और मध्यम वर्ग आय वालों के लिये करोड़ों रुपये का खर्चा हुआ है । आपको वित्त मंत्री होने के नाते इन सब चीजों का भी खयाल करना होगा ।

बजट में किसानों के लिये भी बहुत कम धन है । इससे स्पष्ट है कि कृषि के उत्थान के प्रति आपका ध्यान बहुत कम है । बजट के संबंध में जब आप अपना भाषण दे रहे थे तो उस समय आपने रासायनिक खाद के लिये, किसानों को हल, बीज के लिये कर्जा देने की बात कही थी । लेकिन आप श्रीमन्, देते कितना हैं ? सारे बजट में १० करोड़ कितने प्रतिशत है ? जबकि आपकी आय ४९ प्रतिशत कृषि से है तो उस पर भी आप केवल १० ही करोड़ रखते हैं । २ अरब, कुछ करोड़ रुपये का आपका बजट है । अतः आप विचार कर लें और अगर आप चाहते हैं कि कृषि का क्षेत्र भी उद्योग की तरह से चले, तो गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है । कृषि तथा रासायनिक खाद के लिये १० करोड़ भी कुछ नहीं है । मुश्किल से १/२ परसेंट आता है । जापान में प्रति एकड़ २७१ पौंड रासायनिक खाद और अमेरिका में ३४ पौंड पर हमारे यहां २ पौंड प्रति एकड़ आता है । आप भली भांति जानते हैं कि यहां के किसानों के हल आदि पुराने प्रकार के हैं, इसलिये मैं कहता हूं कि आपको कृषि की तरफ बड़ी तवज्जह देनी चाहिये । मैं सुनता था कि आपका ध्यान कृषि की तरफ बहुत है परन्तु इस बजट में जो आपने रखा है उससे मुझे बहुत निराशा हुयी है । यदि आप चाहते हैं कि अन्न की पैदावार बढ़े तो उनकी आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दें ।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन् मुझे ५ मिनट और दे दें ।

श्री अधिष्ठाता—

आप २ मिनट में समाप्त कीजिये ।

श्री ऊदल—

सवाल एक आता है । ऋण आप देते हैं, बड़े-बड़े उद्योगों को चलाने के लिये जैसे आपने विभूति ग्लास वर्क्स, वाराणसी, जिसे अब सरकार ने लिया है, दूसरी है मास प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड इसके ऊपर भी काफी रुपया बकाया है, जे० के० इंडस्ट्रीज को ९० लाख रुपए दिया है, इनकी हालत भी वही है । इसके अलावा सर्वश्री न्यू सेंट्रल जूट मिल है, उसको १ करोड़ ४५ लाख रुपया जिन शर्तों पर और जिस ब्याज पर दिया है, ये न ब्याज देते हैं, न शर्तों को ही मानते हैं और न रुपया ही देते हैं । इसके अलावा रद्दी खाद देते हैं । ये अपना रद्दी खाद कृषि विभाग के ऊपर मढ़कर अपना रुपया वसूल करना चाहते हैं । इसके अलावा आप देखें कि रुपया वसूल करने में बड़ी ढिलाई है । सर्वश्री लक्ष्मी रतन तथा रामरतन गुप्ता के ऊपर भी काफी रुपया बकाया है । रुपया वसूल करने का जो तरीका है उसको दुरुस्त किया जाय ।

एक बिजली कम्पनी, कोसी मथुरा में है । उसके बारे में कल बताया गया था कि उसको लाखों रुपया कर्ज दिया गया है । इसी तरह से मार्टिन बर्न कम्पनी को २ करोड़ से ज्यादा रुपया कर्ज दिया गया है । इस तरह से सरकार ने साढ़े पांच करोड़ रुपया बिजली कम्पनियों को कर्ज दिया है । ये कम्पनियां रुपया नहीं देती हैं और बिजली का रेट भी ये ६ आने तथा आठ आने यूनिट चार्ज करती हैं । वाराणसी में मार्टिन कम्पनी तमाशा मचाये हुये है । सरकार इनको ठीक करे वरना इनको नेशनेलाइज करे । इनको ज्यादा समय नहीं देना चाहिये । यह नहीं देखना चाहिये कि इनके एग्रीमेंट के समय खत्म होने पर लिया जाय । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इनको लिया जाय । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)---

अधिष्ठाता महोदय, इस बात के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं भी खड़े होकर बजट के संबंध में कुछ कह सकूं। मैं इस मांग का समर्थन करता हूं। मैं अपने दोस्तों की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। जो तथ्य हैं उनको तो श्रीमन्, कबूल करना ही चाहिये। ऐब सब जगह हैं, कमियां हो सकती हैं, लेकिन आप यह कहें कि सोलह आने बेकार चीज है, यह ठीक नहीं है। सभ्य कहलाने वाली सरकार इस तरह से रुपया लुटा रही है, यह संभव नहीं हो सकता है, और न ऐसा कोई सोच सकता है।

यह बताया गया कि जितना बिजली लगाने में रुपया लगा है वह सब बेकार है। कहां से उसका रिटर्न लाभ आयेगा और कहां से रुपया आयेगा ? आप किसी भी प्रोडक्टिव (उत्पादक) काम में रुपया अवश्य लगायेंगे चाहे उसका कुछ भी रिटर्न हो या लास (हानि) हो। इसको हर आदमी महसूस करता है और समझता है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना होता है, उनमें चाहे नुक्सान हो। सभ्य देश के विकास के लिये बिजली की कितनी आवश्यकता है, इसमें जितना रुपया व्यय किया जा रहा है वह थोड़ा है। हमारे देश की गरीबी को दूर करने के लिये यदि कोई साधन हो सकता है तो वह विद्युत ही है जिसके द्वारा हम अपने उद्योगों को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिये यह कहना कि इसका रिटर्न नहीं मिलेगा, रुपया बेकार लग रहा है, निराधार-सी चीज है। साथ ही इसके हम गांव का विकास करने जा रहे हैं। हमारे बहुत से भाइयों ने कहा कि विकास के लिये जो धन है वह सब वितरित हुआ, उसमें से एक भी पैसा उस कार्य विशेष में खर्च नहीं हुआ। हो सकता है किसी खास स्थान में, किसी खास जगह में ऐसी बात हुई हो। लेकिन यह कहना कि अब तक जितना विकास पर खर्च हुआ है, वह बेकार है, ठीक नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहां से कहां चले गये हैं। इस बात की कल्पना हम तब नहीं कर सकते थे जब हम गुलाम थे। जो कल्पना हमने की थी उसको हमने अपने जीवन में साकार होते देखा है। अभी हमारे मित्रगण ने यह कहा कि कहीं देर से मिलता है, कहीं किसी चीज के मिलने में असुविधा होती है। आंकड़े वगैरह तो आप लोगों ने जरूर इकट्ठा किये हैं और जो आंकड़े आपने बिलकुल बेकार बताये हैं, मैं नहीं समझता कि वह बेकार हैं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि ग्रामों के विकास हेतु आज जो गांव में काम हुआ है, वह कम है। लेकिन गांवों के विकास में काम भी इतना है कि यदि सारा धन खर्च कर दिया जाये तब भी कम हो। जितने रुपये की आपको जरूरत है, सरकार के पास उतना धन नहीं है। (व्यवधान)

आप अपना ध्यान दूसरी तरफ न दें, क्योंकि यह एक जरूरी विषय है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एक बात मेरे मित्र ने यह बताई कि शायद जो बिजली या जिस काम के लिये रुपया दिया जा रहा है, उसमें से सड़कें और मकान भी बनाये जाते हैं और दूसरे काम भी होते हैं। यह चीजें भी आवश्यक हैं और इनके बिना क्या आप कोई प्रोजेक्ट (योजना) पूरी कर पायेंगे ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं। शायद उनको मेरे कहने से कुछ भ्रम हो गया है। इसलिये मैं स्पष्ट कर दूं। मैं यह कह रहा था कि यह खर्च अनप्रोडक्टिव आइटम पर है।

(इस समय १ बजकर ५४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुये।)

श्री ऋषिनारायण शास्त्री---

ये आइटम्स अनप्रोडक्टिव हैं, लेकिन यह जान लें कि बिना इनके क्या आप उन उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक ले जा सकेंगे ? बिजली का उत्पादन जहां कर रहे हैं वहां आवागमन के साधन बिना आप पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह उस उत्पादन में

[श्री ऋषिनारायण शास्त्री]

सहायक हैं। साथ ही जो हमारे यहां अन्य काम हैं जैसे नलकूप या दूसरी चीज वह भी आप यह समझें यह उपकरण ऐसे हैं जिसको आप गैरजरूरी कह नहीं सकते। अब यह बात हमारे सामने है कि यह जो रुपया आपसे मांगा गया था उसमें यह सब आंकड़े देने की जरूरत थी। लेकिन जिन चीजों को बेकार हमारे भाइयों ने कहा और कहा कि जितना रुपया अन्न उत्पादन पर व्यय होना चाहिये वह नहीं हुआ। उसे मैं मानता हूं वह जो भाई ऊदल जी कह रहे थे और यह भी अनुभव करता हूं जो कुछ निर्माण का काम हुआ है उससे हमारी जमीन पर जितना बड़ा बोझा है, भूमि से आपको उन आदमियों को कहां-कहां लगाना है समझने का अवसर मिला है। ये न तो यहां थोड़ी भूमि पर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं और न उसका विकास ही कर सकते हैं तो और दूसरी चीजें दूसरे उद्योग-धंधे यहां पैदा किये जा रहे हैं। इसलिये कि यह जो जमीन का बोझा है वह हटकर दूसरी तरफ जाये क्योंकि आज जो जमीन पर बोझा है किसी प्रकार से आप उनको पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो उनको हटाना भी है साथ ही आपको व्यावसायिक दृष्टि से खेती कराना चाहिये। यह बात सही है कि जितनी शक्ति और साधन की आवश्यकता है वह हमें किसानों को देना है जिससे वह ज्यादा से ज्यादा अन्नोत्पादन कर सकें। इसके अलावा मैं अब आप लोगों का समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आप सभी सर्वसम्मति से इस अनुदान को स्वीकार करेंगे।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

अधिष्ठाता जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं मंत्री जी ने जो १,०५,९१,२८,८०० रुपये की मांग की है वह बहुत ज्यादा है। यह ठीक है कि बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता परन्तु दुःख है कि मैं इतनी बड़ी मांग का समर्थन नहीं कर सकता। मंत्री जी ने बताया कि यह धन शाखाओं में बंटा हुआ है। कुछ विद्युत द्वारा किया जाता है कुछ सहकारिता के द्वारा किया जाता है। १८ साल पहले हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं उस समय हमने सभी माननीय सदस्यों ने और मंत्रियों ने यह वायदा किया था कि जब स्वराज्य होगा तब गांव-गांव में और घर-घर में हम बिजली पहुंचा देंगे लेकिन मुझे दुख है कि सारे उत्तर प्रदेश में मेरी एक तहसील है जहां एक भी बिजली की लाइन नहीं है। कल माननीय ऊदल जी को एक प्रश्न के सिलसिले में कहा गया था कि कोसीकलां में ठेकेदार को बिजली देकर वहां बिजली का प्रबन्ध करा दिया गया है। यह सही है कि मथुरा की तीन नगरपालिकाओं में से कोसीकलां नगरपालिका में मेरा क्षेत्र है और यह भी सही है कि वहां ठेकेदार के द्वारा बिजली दी गई है लेकिन उसके लिये ठेकेदार साहब ने सरकार से बहुत बड़ी रकम ले ली है और बहुत पुराना ठेकेदार है। ८ आना प्रति यूनिट वह बिजली का टैक्स लेता है लेकिन आधे समय तक बिजली शहर में गुल हो जाती है, अंधेरा पड़ा रहता है चाहे उस शहर को डकैत और चोर लूट सकते हैं वहां सोशलिस्ट पार्टी का गढ़ है इसलिये उस के साथी वहां पहरा लगाते हैं। इस रकम को हम कैसे स्वीकार करें जब पंजाब की सीमा पर वह तहसील है और राजस्थान की सीमा पर वह तहसील है और आगरा तथा दिल्ली को वहां से रोड जाती हैं। लेकिन इतनी महत्व की जगह होने पर उसमें बिजली की लाइन तक नहीं है। कहा जाता है कि ट्यूबवेल वहां पर सफल नहीं होते सिंचाई न होने के कारण उस तहसील और उस जिले का बहुत बड़ा हिस्सा रह जाता है जिसकी सिंचाई नहीं हो पाती है। मंत्री जी ने यह भी बतलाया कि कुछ रकम सिंचाई के लिये भी इस ऋण में से दी जाती है। श्रीमन्, यहां से आदेश मिलते हैं कि कुएं के लिये तकावी दी जाय। नहरों में पानी उपलब्ध नहीं है। राम गंगा योजना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी बनी नहीं है। तो, श्रीमन् वह इलाका ऐसा है जिसमें कुयें बनाने पर खारा पानी निकलता है और खारा पानी से कोई फसल नहीं हो सकती। गेहूं और जौ की फसल बिलकुल नहीं होती। खारा पानी से ये फसलें जल जाती हैं। तो, श्रीमन् वहां न तो सिंचाई की तरफ इस ऋण में से कोई विकास हुआ और न बिजली की तरफ कोई विकास हुआ और मेरा अन्दाजा यह है कि और भी कुछ ऐसे इलाके होंगे जहां पर इस तरह की बात हो

यहां पर पूर्व और पश्चिम का सवाल नहीं है। मैं तो यह कहता हूं कि यह सरकार और इस सरकार के बड़े बड़े अधिकारी रुपये को यहां से पास करा लेते हैं और फिर उसका सदुपयोग नहीं होता। वह रुपया न जाने कहां चला जाता है। हम बजट पास कर के चले जाते हैं और पहले भी हमने बजट पास किया। प्रदेश में जो गर्मी का क्षेत्र है उसका ध्यान नहीं रहता, हमारे यहां मथुरा में पंजाब से पानी आकर बहुत बड़े हिस्से में गर्मी कर देता है। उससे खरीफ की फसल मारी जाती है। लेकिन रबी की फसल के लिये पानी नहीं निकल पाता है। बोने के लिये जमीन नहीं मिलती है। बहुत सी जमीन पड़ी रह जाती है। श्रीमन्, ड्रेनेज अधिशासी अभियन्ता से पूछा जाय या सिंचाई अधिशासी अभियन्ता से पूछा जाय कि यह नाला क्यों नहीं निकला, यह पानी निकासी के लिये इन्तजाम क्यों नहीं हुआ तो वे जवाब देते हैं कि यहां पर रुपया नहीं आया है। हम कैसे इस नाले को खुदवायें? यहां तो रुपया ही नहीं है। श्रीमन्, हमारी समझ में नहीं आता कि यह बजट का रुपया कहां जाता है? माननीय ऊदल जी ने जो बतलाया किसी हद तक उस को मैं सत्य मानता हूं। यह जो धनराशि पेश की गई है इसके लिये मैं हर विभाग के मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इसका सदुपयोग होना चाहिये। माननीय वित्त मंत्री जी ने बतलाया अपने बयान में कि राजस्व विभाग के द्वारा भी कर्जा दिया जाता है। श्रीमन् गर्मी और अधिक वर्षा होने के कारण पिछले आठ सालों से गांव के गरीबों के लगभग ७० प्रतिशत मकान तहस नहस हो गये हैं, बिलकुल जर्जर हो गये हैं। लेकिन उन लोगों को मकान बनाने के लिये कर्जा नहीं मिलता। यह जरूर है कि कुछ ऋण अनुसूचित जाति वालों को मिल जाता है लेकिन जिन के मकान गिर गये हैं उनको कर्जा नहीं मिलता। मथुरा शहर के लिये कर्जा मिल जाता है किन्तु देहात की जनता उससे फायदा नहीं उठा पाती। मंत्री जी ने अपने भाषण में बतलाया कि इस ऋण से मकान बनाने के लिये भी कर्जा दिया जाता है। श्रीमन् न तो विकास खंडों से कर्जा दिया जाता है और न तहसील से। ग्रामीण जनता परेशान है और मकान के लिये सहायता नहीं पाती। इसलिये मंत्री जी से प्रार्थना है कि उन्हें ग्रामीण जनता के लिये इसी में से व्यवस्था करनी चाहिये और वह कर्जा उन को कम सूद पर दिया जाना चाहिये तथा उसमें ज्यादा शर्तें भी न लगनी चाहिये ताकि वे उसका फायदा उठा सकें। यह भी मेरी प्रार्थना है कि वह ब्लाक से न दिया जा कर तहसील से दिया जाना चाहिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान मंत्री जी ने पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन् मुझे यह कहना है कि यह विकास का युग है और हमारा प्रदेश एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। इसमें सर्वांगीण उन्नति हो सके इसके लिये आवश्यक है कि लोगों को सहायता दी जाय और सस्ते दर पर सहायता दी जाय जिससे लोग उसका प्रयोग उत्पादन में सही तरीके से कर सकें। मैं समझता हूं कि इस अनुदान का यही मंतव्य है और आज जो हम समाजवादी समाज की बात करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो आज सहायता प्राप्त कर प्रगति करना चाहता है और इसके लिये आवश्यक है कि उन्हें अनुदान दिया जाय लेकिन हमें एक बात ख्याल रखनी चाहिये और यह देखना चाहिये कि सब अंगों की तरक्की हमारी आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत हो रही है या नहीं। यह कर्जा जो हम दे रहे हैं यह उनकी तरक्की के लिये उपयोग किया जा रहा है अथवा यह दे कर हम लोगों को केवल कर्जा लेने की आदत ही डाल रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे प्रदेश में एक मनोभावना चल रही है इस बात की कि ज्यादा से ज्यादा लोग कर्जा लेना चाहते हैं। जो प्रवृत्ति आज देश और

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

समाज के अन्दर घुस रही है इसको हमें रोकना चाहिये । आज देखा जाता है कि चाहे प्रदेश में सरकार कितनी भी छूट क्यों न दे लेकिन सभी नुमाइंदों की हमेशा मांग रही है कि फलां जगह पर फलाँ फसल की कमी हो गई है, इस तरह से तुषारपात हो गया। हर साल देखा जाता है कि एक बड़े अंश में सरकार की तरफ से छूट और अनुदान दिया जाता है और उसके बाद भी लोगों की आत्मतृप्ति नहीं होती। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कर्जा देने की नीति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है और आमूल परिवर्तन एक नीति के अन्तर्गत करना चाहिए। जैसे सहकारिता को तीव्र गति से अपने प्रदेश में चलाया और उसके प्रति लोगों की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए आपने रुपया बांटा। अगर खेती में ऐसा होता कि सीलिंग ऐक्ट में जितनी जमीन बचे या ग्राम समाज की जमीन हो अगर उसको एक जगह पर रख कर के सहकारी खेती करायी जाय और ट्रैक्टर, इत्यादि की सुविधा और अनुदान देते और विकास के लिये कार्य करते तो एक गांव में भी वह सफल होती और अन्य गांवों के लोगों में सहकारी खेती की तरफ प्रेम-भाग पैदा होता। सरकार की इनिशियल पालिसी का यह एक अंग होना चाहिए। ऋण बांटने की प्रवृत्ति को एक ही जगह पर कंसेंट्रेट करके सरकार इस्तेमाल कर सकती थी और उसका इस्तेमाल प्रोडक्टिव चैनल में हो सकता था। आज सहकारिता को आप ना स्विटजरलैंड, आस्ट्रेलिया तथा अन्य समाजवादी देशों में है। उसके अनुरूप सरकार की ऐग्रिकलचरल पालिसी में एक बड़ा चेंज होना चाहिये । इसके लिये अगर कानून में परिवर्तन की आवश्यकता हो या कानून बनाने की जरूरत हो तो बनाना चाहिए और परिवर्तन करना चाहिए। इस प्रकार से हम अपने सहकारिता के ध्येय की प्राप्ति कर सकते हैं। तथा लोगों के अन्दर सहकारी तथा समाजवादी व्यवस्था की नींव डाल कर इस पथ पर चलने हेतु अग्रसर कर सकते हैं।

दूसरी बात मुझे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और बड़े-बड़े उद्योगों के बारे में कहनी है। आज ऋण लेने की प्रवृत्ति इस वजह से और भी हो गयी है कि बड़े बड़े उद्योग पति लोन लेकर जिसका उन्हें छोटा-सा ब्याज देना पड़ता है उसे बैंक में रख कर ज्यादा ब्याज प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से उस रुपये को समाज के स्वार्थ में इस्तेमाल न करके अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाहे वह किसी सेक्टर में इसका इस्तेमाल करते हों हमें उसको रोकना चाहिए और सही तरीके से रुपये का इस्तेमाल होना चाहिए यही, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का हाल है। हमारे माननीय कम्युनिस्ट दल के सदस्य ऊदल जी ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया। मैं समझता हूं कि दुरुपयोग पैसे का हो रहा है और तेजी से हो रहा है। सरकार की ऐसी नीति नहीं है कि तेजी से दुरुपयोग हो। लेकिन सरकार को इस सम्बन्ध में दखल देना चाहिए और इस प्रवृत्ति को रोकने की ओर कदम उठाना चाहिये। हमारी अगर रोकने की प्रवृत्ति नहीं है तो मैं कहता हूं— मैं अपने जिले का हालत जानता हूं——हमारे यहां वीवर्स कोआपरेटिव सोसायटी के जरिये लाखों रुपया लिया गया और आज देखा जाय तो कहीं पर शटल और करघा भी नहीं है और आज उस रुपये लेने वाले का भी पता नहीं है। मैं कहता हूं कि यह प्रवृत्ति जो आपको है वह इस तरह की होनी चाहिये जिससे सही तरीके से, चाहे वह स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज हो या बड़ी हो, उसकी सही रूपरेखा बने जिससे सही लोगों को ऋण मिल सके और जो प्रदेश की उन्नति में सहायक हो सकें।

मैं आप से यह भी कहना चाहता हूं कि अगर सरकार का ध्यान पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी रिपोर्ट की तरफ गया होता और वह देखती कि आज हम कितना "एमाउन्ट अनयूटिलाइज्ड" तरीके से रक्खे हैं और जब साल के तीन महीने होते हैं खत्म होने को, तो उसके यूटिलाइजेशन के लिये गलत तरीके अख्तियार करके खर्च करना चाहते हैं। यह कोई अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। इस पर कन्ट्रोल होना चाहिये। अगर इसका मिसयूज होता रहा तो इस ऋण बांटने से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता और जो सरकार का ध्येय है कि सही तरीके से सब अंगों का विकास हो, उसमें सरकार अपने को इस प्रकार असमर्थ ही पावेगी। श्रीमन्, मैं आप के सम्मुख यह भी रखना चाहता हूं कि वीवर्स कोआपरेटिव में ही नहीं, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज

में ही नहीं, आप के इन्डस्ट्रिअल सेक्टर खोलने के क्षेत्र में ही नहीं, बहुत से क्षेत्रों में जब रुपये का कम इस्तेमाल होता है और उस की उपयोगिता जब नहीं हो पाती है तो नतीजा यह होता है कि निराशा की भावना पैदा होती है और जब निराशा की भावना पैदा हो जाती है तो जो आप का मकसद है, वह सही तरीके से पूरा हो नहीं पाता। इसलिये आप इस निराशा की भावना को जो इस प्रदेश के अन्दर पैदा हो रही है उस को दूर करने के लिये कुछ कदम उठायें और उसके सही इस्तेमाल की कोशिश करें। ऐसे लोगों को आप ऋण दें जो केवल निजी स्वार्थ के लिये ही नहीं बल्कि देश और प्रदेश के हित के लिये इन योजनाओं द्वारा योगदान कर सकें। श्रीमन्, मैं इन शब्दों के साथ इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय श्री टम्बेश्वर प्रसाद जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रक्खा गया है, उसका समर्थन करना चाहता हूं। श्रीमन्, जो ऋण की व्यवस्था हमने विकासशील और प्रगतिशील प्रदेश में रक्खी है उसकी मूलभूत नीतियों में जिन सिद्धान्तों की घोषणा की गई है, यदि हम उनको अच्छी प्रकार से देखें तो जिस समाजवाद का नारा प्रतिपादित किया है सरकार ने, वास्तव में वह उस को आगे बढ़ाने के लिये नहीं है। श्रीमन्, ऋण जिस मात्रा में हमारे प्रदेश में दिया जा रहा है यदि उसको हम देखें तो उसका अधिकतम भाग हम को उन पूंजीपतियों को दिया हुआ दिखाई देता है जिनके पास करोड़ों करोड़ों की धनराशि पहले से ही बैंक बैलेंस के रूप में या अन्य प्रकार से रक्खी हुई है। वर्तमान ऋण व्यवस्था के अनुसार एक तरफ तो हमारी जनता की उन आवश्यकताओं को दुर्लक्ष्य किया गया है जिनके आधार पर तीसरी योजना से भी बड़ी योजना को आप प्रतिपादित कर सकते थे। जो आय का वितरण है वह भी कम हो सकता था परन्तु इस ऋण व्यवस्था से वह खाई बढ़ी है, उसमें कमी नहीं हुई है। श्रीमन्, जिस समय योजना बनती है उस समय यह उसमें कह दिया जाता है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि होनी चाहये। समाज में जो इतना अन्तर है आय में, वह आय भी वितरित होनी चाहिए। परन्तु जिस समय हम अपनी नीतियां निर्धारित करते हैं उस समय इस प्रस्तुत अनुदान में भी सरकार ने यह ध्यान नहीं दिया कि देहात का किसान वर्ग जो है, मजदूर जो हैं जिनके पास कृषि नहीं है, उनके लिए ऋण-व्यवस्था में अधिक भाग रखते, बजाय इसके कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके लिये अधिक रुपया रखा जाता। मैं समझता हूं इसका मुख्य कारण यह है कि चुनावों के समय में लाखों और हजारों रुपये का चेक कटवा कर उनसे वह ले लेते हैं और इधर उधर दूसरे रूप में करोड़ों रुपया उनको देकर उनका फायदा करवाते हैं।.....(व्यवधान)...अगर चन्दा नहीं आता है तो यह करोड़ों रुपया कहां से आता है?

इसके साथ ही ऋण व्यवस्था इस रूप में करनी चाहिए थी कि हमारे उपभोग सम्बन्धी उत्पादक कार्य जो हैं, ग्रामीण क्षेत्र में उनको बढ़ावा मिले। परन्तु जो इस समय ग्रान्ट दी जाती है उसके विवरण से आप को प्रतीत होगा कि किसानों के अग्रिम के अन्तर्गत ६१ हजार ५० की व्यवस्था इस वर्ष की गई है जब कि पिछले वर्ष वह ६१ हजार १०० रुपय की की गई थी। इस तरह से ३० हजार की इस वर्ष इसमें कमी की गई है।

(इस समय २ बजकर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, जिस समय अन्न के उत्पादन की हमें अधिक आवश्यकता है उस समय किसानों के लिये यह कमी करना कितना अन्यापूर्ण है, सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जिस किसान की ओर से ४६ प्रतिशत प्रदेश की आय आती है और जहां पर भूमिरहित मजदूर दस आने और १ रुपये रोज की मजदूरी कर के रहते हैं वहां अधिक अन्नोत्पादन के लिए और सघन खेती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्रसिंह]

के लिए इसमें कमी की गई है। अलीगढ़ को अन्न की सघन खेती का उदाहरण दिया गया है, उसमें भी ऋण की कमी की गई है। तो इस तरह से हमने कृषि उत्पादन का लक्ष्य तो योजना में रख दिया है परन्तु नीति निर्धारित करते समय उस लक्ष्य को कार्यान्वित करने के लिये अपने इस बजट में कोई प्राविधान हमने नहीं किया है। जहां तक सुझाव की बात है, मैं यह कहूंगा कि आप को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि शहरों में जो पूंजी लोगों के पास है उसको खुले रूप से लगाने के लिए अवसर उन्हें मिले। आप को ऐसा मौका कानून में देना चाहिए कि उन्हें ऋण न लेना पड़े। आपकी व्यवस्था के द्वारा एक प्रकार से पूंजीपति को मजबूर होना पड़ता है और उसे ऋण लेना पड़ता है और उसके पास जो पूंजी है उसे वह नहीं लगाता है। दूसरी ओर जो उद्योग करना चाहते हैं जिन के पास पूंजी नहीं है, उन्हें ऋण नहीं मिलता है।

छोटी-छोटी उपभोक्ता सम्बन्धी उत्पादक योजनाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आय को ऋण देने की व्यवस्था करनी चाहिए। श्रीमन्, जो ऋण दिया जाता है, उसका उपयोग नहीं होता। जिस समय माननीय फूल सिंह जी मंत्री इसके थे, उस समय उन्होंने सभी जिलों से इसके आंकड़े मंगाये कि कितने प्रतिशत ऋण अनुपयुक्त रहे हैं? उस से आप को ज्ञात होगा कि ५० प्रतिशत से अधिक धन अनुपयुक्त रहा। इसका कारण एक यह है कि ऋण को देने का जो सिस्टम है वह इतना ग़लत है कि कोई भी सही आदमी जो अच्छी नीयत से और सही रूप से उद्योगधंधों को चलाना चाहता है वह ऋण नहीं ले सकता। जो ऋण देने वाली संस्थाओं के क्लर्कों से किसी भी प्रकार से संबंध स्थापित कर सकता है, जो उन्हें खुश कर सकता है, पहले उसी की एप्लीकेशन रिकमेंड होगी, दूसरे की नहीं हो पाती। उसके बाद उसका जो प्रोसीजर है, वह इतना लम्बा कर दिया गया है कि ऋण लेने वाले किसान को कम से कम नहीं तो १५ कार्यालयों की ठोकरें खानी पड़ती हैं और बहुत सा समय कचहरी और कार्यालयों में जाने में बर्बाद करना पड़ता है। कभी इंस्पेक्टर और क्लर्क मौजूद होते हैं, कभी नहीं होते हैं। इस लिये कम स्थानों पर फ़ार्म भरवाये जावें और छोटे उद्योगों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में लोन दिये जावें। सहकारिता के द्वारा छोटे ऋण अधिक ब्याज पर दिये जाते हैं और पूंजीपतियों को बड़े ऋण कम ब्याज पर दिये जाते हैं। यह अनुचित है और सब के लिये ब्याज की दर एक होनी चाहिए।

देहातों के लिये, मजदूरों के लिये गृह निर्माण योजना में, केवल १००० रुपया प्रति मकान के लिये दिया जाता है। थोड़ा रुपया देकर लोगों को उसका दुरुपयोग करने के लिये मजबूर किया जाता है। आज कौन-सा १००० रुपये में यहां एक खपरासी का मकान बनाकर सरकार खड़ा कर देती है? आप कम लोगों को धन दीजिये, लेकिन इतना तो दीजिये कि उसका सही इस्तेमाल हो सके। इतना रुपया तो देना ही चाहिये कि जिसमें एक कमरे का मकान तो बन सके। अगर आप उसका दुरुपयोग ही कराना चाहते हैं तो उसे चाहे जितना कम कर दीजिये। मैं चाहता हूं कि कम से कम २,५०० रुपया प्रति मजदूर, अर्थात् प्रति मकान दिया जाय। इससे कम में छोटे से छोटा परिवार का भी, जिसमें ३ बच्चे, स्त्री और मनुष्य स्वयं हो, उनके लिये भी क्वार्टर नहीं बन सकता है।

साथ ही, अगर हम अपने प्रदेश के भूमिहीन कृषकों और मजदूरों की संख्या को देखें तो जिस धनराशि की मात्रा इसमें रखी गई है वह इतनी कम है कि उससे जनता के साथ अन्याय हो रहा है।

स्थानीय निकायों के लिये ऋण के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें सरकार का मुखापेक्षी न बनाने के लिये यह आवश्यक है कि जो शहरों के लोगों से हम टैक्स लेते है, उनमें निकायों का भी हिस्सा होना चाहिये। राजस्व से जो किसानों से लगान वसूल होता है उसमें से कम से कम चौथाई यानी रुपये में ४ आने, ग्राम सभाओं को दिया जाय और स्थानीय निकायों को भी स्वालम्बी बनाया जाय ताकि उन्हें ऋण लेने की आवश्यकता ही न हो।

बस, मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

(श्री कल्पनार्थसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)---

उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग कभी कभी खड़े होते हैं मैं निवेदन करता हूं कि उनकी ओर भी ध्यान देने की कृपा करें।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---

पहले इन्हीं को अवसर दे दिया जाय। मैं बाद में बोल लूंगा।

श्री छेदालाल चौधरी---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, और माननीय कल्पनाथ सिंह का सबसे पहले, कि जिन्होंने आज मुझे बोलने का मौका दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान की रकम मांगी है मैं उसका समर्थन करता हूं। इसमें दो राय नहीं हैं कि आज जब विकास का युग है और योजनायें चल रहीं हैं तो रकम देने में कोई एतराज नहीं है। सभी माननीय सदस्य जनता के चुने हुये हैं और वे चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के किसानों का और सारी जनता का भला हो। लेकिन योजनाओं के लागू होने में जहां कोई अभाव है उसे बताने का हर माननीय सदस्य का कर्तव्य है। हम एकाध चीज कहना चाहते हैं। जो रकम मांगी गई उसमें माननीय मंत्रीजी की ओर से यह संकेत है कि इसमें बिजली, खेती या अन्य ऐसी चीजों के लिये रुपया देना है। मेरा इशारा खीरी में परगने कुकरा और भूड़ की ओर हैं। इनसे मेरा सीधा वास्ता है। वहां करीब १०० निजी नलकूप हैं। उनके लिये बिजली के वास्ते १०, १२ साल से बराबर प्रयत्न हो रहा है। परगना कुकरा म ७०, ८० नलकूप हैं। कुकरा रेलवे स्टेशन से टाउन तक दो, तीन मील तक लाइन खींच दी गई है और वहां केवल एक मस्जिद और २ मकानों में बिजली दे दी गई। लेकिन नलकूपों पर बिजली नहीं दी गई। बिजली के अन्तर्गत रकम मांगी जा रही है। तो मैं चाहता हूं कि नलकूपों को बिजली देकर अन्नोत्पादन के कार्य में सहयोग देना चाहिये। नलकूपों को बिजली देना बहुत जरूरी है।

मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऋण लगान और तकावी की उगाही जो काश्तकारों से की जाती है, उसके तरीके में परिवतन होना चाहिये, सुधार होना आवश्यक है। रुपया तो लिया ही जाना चाहिये वरना काम कैसे चलेगा? जाब्ता दीवानी में भी गुंजाइश है कि किसान के बैल, बीज और ऐसे औजार कुर्क न किये जायें जिनसे खेती बाड़ी का काम बन्द हो जाय। तहसील लखीमपुर में कई काश्तकारों के ट्रैक्टर्स खींच लायें गये हैं। और १०, १५ दिन से वे खड़े हैं जबकि उगाही के और भी तरीके हैं। भारी तादाद में गन्ना खड़ा है और पेराई का सीजन चल रहा है। जिनका गन्ना ज्यादा है और रुपया दे सकते हैं उनका गन्ना कुर्क कर लिया जाय। मार्च तक इधर उगाही की रकम गन्ने की रकम से काट ली जाय। सोसाइटी वगैरह का रुपया उसके बाद काट लिया जाय। इस प्रकार काश्तकार आसानी से दे सकता है और इधर अगली फसल की बुवाई भी हो सकती है।

समाजवाद की नीति हमारी कांग्रेस और सरकार की है, लेकिन सरकार के कदम सही नहीं पड़ रहे हैं। जमीदारी जब्त की गई इसलिये कि छोटे काश्तकार को जो जमीन जोतता है उसे जमीन मिले। सीलिन्ग में लोगों ने अपने भाई.भतीजे और रिश्तेदारों के नाम फर्जी विक्री नामा करके पहले ही जमीनें बांट दीं। बाकी जमीन गरीबों को जानी चाहिये। यह उसूलन बात है कि जिसके पास जमीन नहीं है उसे वह मिले। लेकिन सीलिन्ग से बची हुई जमीन गलत तरीके से उन्हीं को वापस की गई जिनसे ली गई थी। जैसे मैकैनाइज्ड फार्मों

[श्री छेदालाल चौधरी]

को छूट दे दी गई कि उनको बची हुई जमीन दे दी जाय। दुबिधा की नीति अच्छी नहीं है। आबकारी से लम्बी रकमें ली जा रही हैं। लेकिन अगर आपको देश और समाज का करेक्टर बनाना है, उसके चरित्र का निर्माण करना है तो चाहे घाटा हो जाय आपको कतई तौर पर मद्य निषेध को कर देना चाहिये। इसमें किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं कि भारी रकम विकास के लिये दी जाय। जो भी अच्छा काम हो उसमें रकम लगे, यह सभी चाहते हैं।

आज खीरी जिले में हिन्दोस्तान शुगर मिल, गोला, एशिया में सबसे बड़ी चीनी की मिल है और उसको काफी गन्ने का रिजर्वेशन मिला हुआ है। किसानों का करोड़ों मन गन्ना, जिसको वह खून पसीना लगाकर पैदा करता है, उसके पेरे जाने का कोई प्रबन्ध नहीं हो रहा है। जिस क्षमता से मिल पिराई कर रही है उससे अगर वह बरसात भर भी चले तो भी पूरा गन्ना नहीं पेर सकती है। जब खपत ही नहीं है तो अधिक उपज से क्या लाभ होगा? केन यूनियन का मिल के पास लाखों रुपया जमा है और उनका कहना है कि पलिया में एक सहकारी चीनी मिल दे दी जाय। लेकिन इस बजट में उसके लिये मुझे कोई रुपया नहीं दिखाई देता है। इन मिल वालों पर करोड़ों की जायदाद इकट्ठी होती जा रही है। इस तरह से ही एकाध आदमी के हाथ में करोड़ों रुपये की जायदाद इकट्ठा हो जाना सोशलिज्म के लिये उचित नहीं है। उत्पादन और वितरण के सारे साधन एक मुठ्ठी भर लोगों के हाथ में आ जायं, यह गलत बात है। अतः पलिया के लिये एक सहकारी शुगर मिल जरूर दी जाय। इन सुझावों के साथ म माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री टम्बेश्वर प्रसाद जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह रकम पूरे बजट की आधे तक पहुंच गयी है। १०५ करोड़ रुपये की ग्रान्ट है जिसका बटवारा तमाम विभागों द्वारा होकर यह वितरित की जायगी। इस ग्रान्ट में भी देहात और शहर वालों की बात का भेद भाव सामने रखा गया है। माननीय मंत्रीजी ने बताया कि देहात वालों को १०५ करोड़ में से १० करोड़ रुपया कृषि के लिये दिया जा रहा है जब कि ८२ प्रतिशत कृषक लोग देहात म ही रहते ह। (एक आवाज–बिजली की व्यवस्था भी तो है) बिजली की व्यवस्था भी तो शहरों में रहने वालों के लिये ही ज्यादा है। इससे ग्रामीणों को कम लाभ है। गांव वाले २७ करोड़ रुपया मालगुजारी के रूप में सरकार को देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स तो अधिकतर देहात वालों पर ही पड़ता है वह उपभोक्ता की हैसियत से। लेकिन अनुदान पूंजीपतियों को वितरित कर दिया जाता है। जो रुपया इस समय किसानों को दिया गया है वह २ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से भी नहीं पड़ता है। जब कि केन्द्रीय कृषिमंत्री कहते हैं कि १ एकड़ में अगर १०० रुपया लगाया जाय तब खेती की प्रगति हो सकती है अगर इस सिद्धांत को राज्य की सरकार ने अनुसरण किया होता या अगर वह यह सोचते कि किसानों को खेती के लिये रुपया देना है तो वह इस रकम को और ज्यादा रखते। यह हो सकता है कि आप कर्जा बड़े बड़े लोगों को न देकर थोड़े से ही किसानों को दें या प्रदेश के किसी एक ही हिस्से के किसी स्थान पर के कुछ लोगों को दें, लेकिन उनको इतना अधिक दें कि वे अपनी खेती में उसको लगा कर उससे कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। बजट दो हिस्से में बंटा हुआ है, एक प्लान बजट और दूसरा नाना प्लान बजट। नान प्लान में बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्जा दिया गया है और प्लान के अन्तर्गत नगरपालिकाओं, महापालिकाओं, और जिला तथा संबंधित समितियों को ३, १८, ९२, ५०० रु० दिया गया है। उसके समकक्ष नान प्लान के अन्तर्गत केवल ३ करोड़ रुपया किसानों के लिये रखा गया है, जो उसके लिये रखे गये १० करोड़ का ही हिस्सा है। विद्युत् परिषद् के लिये ३३ करोड़ ३८ लाख रुपया रखा गया है। सरकार कहती है कि उद्योग, व्यवसाय से सब को लाभ होता है, इससे उद्योग बढ़ते हैं, इससे देश में पूंजी बनती है और देश धनी होता है। लेकिन देखने की बात यह है कि आज धनी कौन हो रहा है, किसान को बिजली से लाभ हो रहा है? जो नलकूप आपने इसके लिये बनवाये हैं वे भी सिंचाई के मौके पर बिजली न

मिलने की वजह से बेकार पड़े रहते हैं, क्योंकि आपकी मशीनरी काम नहीं करती। यद्यपि यह बात ठीक है कि आपने उसमें पैसा इनवेस्ट कर दिया है, लेकिन उस पैसे का ठीक उपयोग नहीं हो पा रहा है।

जहां पैसे का जो बंटवारा होता है, उसका भी बंटवारा सरकार कभी कभी राजनीतिक दृष्टिकोण से ही करती है, जिससे उसका सारा इस्तेमाल गलत होता है। सरकार जिस अभिप्राय से कर्जा बांटती है वह पूरा नहीं होता है। संभवतः या तो उसकी मशीनरी ठीक नहीं है जिसकी वजह से बंटवारा ठीक नहीं हो पाता या उसका गलत इस्तेमाल होता है। इसके लिये सरकार की ही जिम्मेदारी है। यदि किसान उस रुपये का गलत इस्तेमाल करता है तो सरकार को चाहिये कि वह उसकी जांच करे और देखे कि जिस आदमी को रुपया दिया जाय, चाहे वह बड़ा उद्योगपति हो, या किसान हो--उसने उस रुपये का ठीक इस्तेमाल किया है या नहीं। इसको देखने की जिम्मेदारी भी सरकार की है।

देहाती क्षेत्र से जहां आप २७ करोड़ रुपया मालगुजारी के रूप में वसूल करते हैं वहां के लिये इससे अधिक का ही प्रोविजन होना चाहिये था, लेकिन इस बजट में देहात के रहनेवाले लोगों की बहुत ही उपेक्षा की गयी है। पिछली रिपोर्ट से मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कर्जा जो बांटा गया था चाहे वह बड़े बड़े उद्योगपति हों या कोआपरेटिव सोसाइटीज हों, सन् १९६३-६४ की आडिट रिपोर्ट के अनुसार, १६९.१६ करोड़ रुपया अब तक उनसे वसूल नहीं किया जा सका है। यदि कोई किसी उद्योग में पैसे लगाता है तो वह यही उम्मीद करता है कि उससे कुछ लाभ उठावे और वह जब लाभ उठाता है तो उसको चाहिये कि वह उस कर्जे की रकम को वापस करे। लेकिन यह १६९.१६ करोड़ रुपया न वसूली होने से स्पष्ट है कि या तो उस रुपये का सही उपयोग नहीं किया गया या सरकार उनको जानबूझ कर वसूल नहीं कर रही है। मान्यवर, सरकार ने ९३.४३ करोड़ रुपया बिजली कम्पनियों को दिया है और वह भी बिना किसी शत के। यदि कोई १० पैसे या २ रुपये भी आजकल देता है तो उसकी वसूली के लिये शर्त लिखा लेता है और यह सरकार भी जब किसानों को कर्ज देती है तो ५-५ प्रकार के बांड लिखवा लेती है कि रुपया न देने पर तुम्हारा घर नीलाम करा लिया जायगा या तुम्हारे खिलाफ यह यह कर्यवाही की जायगी, लकिन ९३.४३ करोड़ रुपया लेने वाली कम्पनियों के साथ किसी प्रकार का कोई मुआहिदा नहीं है।

मान्यवर, इसी तरह से आप देखें कि बकाया जो लोकल बाडीज, सहकारी समितियों या अन्य दूसरों पर है वह करीब १०५.७७ करोड़ रुपये है जो करीब ३ वर्ष से ऊपर से बकाया पड़ा हुआ है जिसका ब्याज ही करीब १३.०९ करोड़ रुपये हो जाता है। सरकार बराबर घाटे का बजट पेश करती जाती है, लेकिन उसके अन्दर सबसे बड़ी कमी यह है कि जो रुपया कर्जे के रूप में दिया गया है उसको वह वसूल नहीं कर पा रही है और उसका व्याज तक भी नहीं मिल पा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों व रजिस्टर्ड समितियों पर कितना बकाया पड़ा है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, यू० पी० इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोशियेशन, कानपुर के ऊपर ९.८६ लाख रु० बकाया पड़ा है जिसका व्याज १.७१ लाख होता है जो १९६०-६१ से बकाया है। सरकार हम से कर्जा बांटने के लिये १०५ करोड़ रुपया मांग रही है, लेकिन जो बकाया हो जाता है उसको वह वसूल नहीं कर पाती है। इसी तरह से बस्ती वैस्ट और गोंडा साउथ कोआपरेटिव डेवलपमेंट यूनियन, बभनान पर असल का ६.१० लाख और सूद का ५.१२ लाख सन् १९५५-५६ से बकाया है। इसी तरह से बड़े बड़े लखपति और करोड़पति जो प्रदेश के हैं वह उद्योग के नाम से अपने तमाम काम चलाते हैं। आप देखें कि न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स कम्पनी लि०, कलकत्ता जो एक प्राइवेट कम्पनी है उस पर असल का ५३.१७ लाख १९६०-६१ से बकाया है, इसी तरह से जे० के० काटन स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लि०, कानपुर पर ३६.८९ लाख का बकाया है १९५९-६० से और मेसर्स लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, कानपुर पर भी १७.१९ लाख का बकाया है वह १९५८-५९ से, लेकिन वह देने में गफलत करते हैं। वह दस लाख रुपया

[श्री विजयसिंह]

एलेक्शन के लिये सरकारी दल को दे देते है इसलिये यह १३ करोड़ रुपया सरकार उनसे वसूल नहीं कर पाती है। लाखों रुपया अपने इलेक्शन में व्यय करते है। सरकार उन की तरफ से जो भी विचार रखती हो यह बात दूसरी है। इसी तरह से जैसा कि श्री ऊदल ने कहा कि साहू केमिकल्स का बनारस का स्कैन्डल है। वह १ करोड़ रुपया कर्जा लेते है और अपनी फैक्ट्री द्वारा जो बढ़िया प्रोडक्ट होती है वह तो अपने लिये रखते है और जो बाई-प्रोडक्ट है वह किसानों को बेवकूफ बनाने के लिये फर्टिलाइजर के नाम से देते हैं और कहते हैं कि उस की कीमत में ही कर्ज काट लिया जाय। यह उन की दिमागी फितरत है और उर्दू में बड़े अच्छे शब्दों में कहा जाय तो यह उन की हिकमतअमली है। आप का कर्जा इस प्रकार बर्बाद हो जाता है। बड़े उद्योगपति उसे हड़प जाते हैं।

इसी तरह से सरकार ने कुक्कुट पालन की योजना बनाई। आप देखेंगे कि बजट के वाल्यूम ५ में पृष्ठ ४६० व ४६१ पर आइटम २७ व ४७ में १ लाख ७० हजार और ६ लाख की रकम रखी गई है। इस योजना में भी जो पैसे का बटवारा होता है वह बड़े बड़े उद्योगपतियों में ही हो जाता है वे लोग अपने यहां इस काम को चालू कर देते हैं, १८ हजार रुपया सरकार प्रति फार्म पर कर्ज देती है और अनुदान भी देती है और बड़े बड़े यह उद्योगपित अपने यहां कुक्कुटशाला योजना के अन्तर्गत खोल देते हैं और उसमें अपना सारा ब्लेकमनी लगाकर उसे सफेद (ह्वाइट) मनी बना देते हैं। यह नया तरीका उन्होंने आयकर से बचने का निकाला है क्योंकि उस पर आयकर माफ है। इस तरह से वह नाजायज लाभ उठाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि बड़े उद्योगपतियों को इस काम के लिये कतई पैसा न दिया जाय।

शहरों में मकान बनाने के लिये जो रुपया अफसरों व कर्मचारियों को मिलता है, जिसको इमारतों के लिये कार के लिये तथा मोटर साईकिल के लिये देते हैं, उसकी सूद की दर एक, डेढ़ प्रतिशत से लेकर ३ प्रतिशत तक होती है, लेकिन किसानों को जो कर्ज दिया जाता है उस के लिये साढ़े ६ प्रतिशत से ९ प्रतिशत तक का सूद लिया जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि किसान कर्ज से लदते जाते हैं, वह आज भी गांव के साहूकार से पैसा लेते हैं और अधिक सूद देते हैं। इस सरकार के लिये यह बड़ी शर्म की बात है कि इस तरह से खेती की उन्नति की कैसे बात करती है। १०५ करोड़ के बजट में यह बहुत बड़ा आइटम है जिस को सरकार अगर किसानों के हित में बांटे तो उन का लाभ हो सकता है।

पूर्व वर्ष में भी नैन फर्टिलाइजर के विषय में कहा था कि आई० सी० आई० से सरकार फर्टिलाइजर डेढ़ प्रतिशत पर लेती थी और अब वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट से १३ १/२ प्रतिशत पर लेती है। देहात में उस का ३२ हजार सोसाइटियों में बटवारा हुआ। आजतक १ करोड़ ४९ लाख का कोई हिसाब किताब नहीं मिला। इसके लिये सरकार को बहुत बड़ा व्यय करना पड़ा।

कारण यह था कि जहां से या जिस विभाग की पेमेंट की जिम्मेदारी थी उन्होंने क्या स्टाक वेरीफाई किया? इसी से यह रुपया चला गया, एग्रिकल्चर विभाग इसको मंगाता है और कोआपरेटिव इसको बांटता है, इतने रुपये का हिसाब न मिला। इसका कारण सरकारी कर्मचारियों की सतर्कता बरतने में ढिलाई रही। संबंधित अधिकारी को सजा मिलना जरूरी था। जैसा कि अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा था कि यह १०५ करोड़ रुपया सरकार का पाकेट मनी है, यह अक्षरशः ठीक है। जिस प्रकार जिला स्तरों और प्रदेश के स्तर पर इस पैसे का दुरुपयोग होता है और निम्न स्तर पर पैसे का बटवारा जिस प्रकार किया जाता है जिसे पोलिटिकल करप्शन कहते हैं इसको लेने वाले व्यक्ति सरकार के पीछे लग लेते हैं। और इसी पैसे के उचित उपयोग से हम सरकार से चाहते है कि किसानों के अन्दर जागरूकता पैदा करती पर आज सरकार ने जो इसका बटवारा किया है, उन सिद्धान्तों के अनुसार नहीं किया जिसके हित के लिये यह पैसा है। अतः मैं माननीय सदस्यों द्वारा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये और मंत्री जी के प्रस्तुत अनुदान का विरोध करते हुये, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कल्पनार्थासिह—

उपाध्यक्ष महोदय मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इस बहस में सहयोग दिया और साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि अगर हमारे मित्र वास्तविकता से काम लें और बुद्धि को उधर दौड़ायें तो अच्छा होगा। रोज ही सदन में चर्चा होती है, माननीय लखीसिह जो भी बैठे ही हुये हैं। अभी उन्होंने परसों भी यह चर्चा की, कि मथुरा में कोई बिजली कम्पनी है, उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय। मैं कहना चाहता हू कि एक तरफ यह कहा जाय कि इसका राष्ट्रीयकरण करो और दूसरी तरफ इसमें भी कोताही की जाय कि पैसा न लो, यह बात कुछ दोहरी बात मालूम होती है। किस नीयत से कही जाती है ?

श्री लखीसिह—

मैं विरोध न करूं ?

श्री कल्पनार्थासिह—

नहीं, नहीं, आप बिल्कुल विरोध करिये, आपके लिये आवश्यक है। मैं यह अर्ज कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें कि इस मद में, जो विद्युत् विकास परिषद् को ऋण दिया जा रहा है, वह १९५९-६० से लेकर हर साल बढ़ता गया। ३१३ लाख रुपये से यह शुरू हुआ और आज १९६३-६४ में १,६९८ लाख हो गया, लेकिन आज थोड़ी आवश्यकता और बढ़ती गई, और आगे भी बढ़ती जायगी। इस बात के लिये हमारे दोस्तों को तैयार रहना चाहिये कि ज्यों ज्यों आवश्यकता पड़ेगी, पब्लिक सेक्टर के लिये, त्यों त्यों आपको अधिक से अधिक बजट में प्राविजन करना पड़ेगा। और देखना होगा अधिक से अधिक रुपया किस काम के लिये रखा जाय ? सवाल यह हो सकता है कि जिस बात के लिये मद होनी चाहिये, जितना रुपया हम बजट में दे रहें हैं, उस रुपये का इस्तेमाल किस प्रकार से हो। उप नेता स्वतंत्र पार्टी ने इस बात की शिकायत की कि जितना रुपया इस बजट में रखा गया है, उसमें से १० करोड़ रुपया ही किसानों के लिये रखा गया है। देखने में मोटे तौर पर यह शिकायत बहुत सही मालूम पड़ती है और दूसरी तरफ से मोटी और गढ़ी हुई मालूम होती है। इसलिये बार-बार आपने कहा कि १०५ में १० करोड़, यह बात सही है लेकिन यह विद्युत् विकास परिषद् में जो रुपया दिया जा रहा है, यह किसके लिये दिया जा रहा है और जो दूसरे उद्योग धंधों के लिये जा रहा है, यह किसके लिये जा रहा है ? उद्योग धंधों के लिये, जिसको किसान बैठायेंगे या जिसक दसरे लोग बैठायेगे, या अनइम्प्लायमेंट का प्राब्लम साल्व करने के लिये अगर आप उद्योग धंधे बैठायेंगे तो क्या उसमें बिजली वाला पैसा नहीं काउन्ट होगा ? यह बात समझने में मैं असमर्थ रहा।

कुछ और बातें भी कही गयीं। उप-नेता, स्वतंत्र पार्टी ने कहा कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों को रुपया दिया गया जो उनके पास पड़ा हुआ है और उनसे वसूल नहीं किया गया। मुझे एक बात से खुशी है,चाहे ऊपरी मन से सही, या तर्क के लिये सही,कि कम से कम उन्होंने पूंजीपतियों का नाम तो लिया। फ्रीडम फार फ्री एंटरप्राइज की थ्योरी रखने वालों ने समाजवाद की तरफ झुकने की कोशिश तो की कि इन पंजीपतियों से ब्याज या ऋण क्यों नहीं वसूल किया जाता है। मैं उनसे कहूंगा कि आज उनको भी अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये। जब औद्योगिक विकास करने का इरादा है तो उसमें अगर कोई बड़ा कैपिटलिस्ट पैसा लगाता है तो आपको कोई विशेष एतराज इस बात पर तो नहीं होना चाहिये। आज अगर बिजली कम्पनी नहीं होती तो आप न कहते कि इनका राष्ट्रीयकरण कर लो, या चीनी मिलें न होतीं तो न कहते कि इनका राष्ट्रीयकरण कर लो। और अंग्रेजों ने अगर रेल न बैठायी तो किस चीज का हिन्दुस्तान की सरकार राष्ट्रीयकरण करती। इस तरह के उद्योग अगर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे स्वत: उनको बढ़ने दीजिये और फिर आपको कहने का मौका मिलेगा और माननीय विजय सिंह जी अपनी थीसिस में इस बात को जोड़

[श्री कल्प नार्थसिंह]

लें कि इन उद्योगों को बढ़ने दीजिये और एक वक्त आयेगा जब इनका राष्ट्रीयकरण होगा। वह वक्त आने वाला है। यह सरकार जिस तरह से समाजवाद के नजदीक दिन प्रति दिन बढ़ रही है, जिससे हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों में बौखलाहट मची हुई है और समाजवाद विरोधी तत्व आपस में एक होने की बात सोच रहें हैं, हालांकि एक हो नहीं सकते,लेकिन जो रोज एक मोर्चा बना करता है मैं कहना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके सोचें, समझें और इस सरकार को धन्यवाद दें जो धीरे-धीरे ही सही समाजवाद की ओर अग्रसर हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें अब मुझे सरकार से भी कहनी हैं उद्योगों के बारे में सरकार से कहना है कि आप गृह-उद्योगों की तरफ प्रदेश को ले जायं तथा छोटे लोगों को, किसानों, मजदूरों को ऋण दे कर उनको ज्यादा से ज्यादा काम देने की व्यवस्था करें। बड़े, लघु और सहकारी उद्योगों में मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक इस ऋण को लगाने की आवश्यकता है। और अगर यह ऋण सहकारी उद्योगों में लगे और धीरे धीरे सरकारी क्षेत्र के बजाय सहकारी क्षेत्र में आये तो ज्यादा लाभ हो सकेगा। इस काम के लिये अगर कारपोरेशन बनाई जा सके तो ज्यादा अच्छा होगा।

इसकी बात यह है कि आज अगर हथकरघा उद्योग भी सहकारिता के आधार पर और सरकारी ऋण तथा सरकार की देख रेख में चलाया जा सके तो। ज्यादा अच्छा होगा। कोआपरेटिव बिल सामने आयेगा, उसकी क्या रूपरेखा होगी मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन अगर हथकरधा उद्योग या दूसरे उद्योग जो सहकारी सैक्टर में आयें उनमें अगर सरकार अपनी पूंजी लगाती है और ऋण देती है तो उनके साथ सरकार अपने को जोड़ सकेगी और उसके धन की भी हिफाजत हो सकेगी। जिससे उद्योग सही रूप में चल सकेंगे। यह बात सही है कि बहुत सा हिस्सा इस ऋण का उद्योग के नाम पर जो दिया हुआ है वह अनयूटिलाइज्ड है। मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक कोशिश होनी चाहिये जिससे यह रुपया जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके तथा जिन लोगों ने जिस काम के लिये रुपया लिया था उसको उसमें न लगाकर जो कानूनी दांव पेंच की वजह से अपनी बचत कर ले जाते हैं वह राष्ट्र के साथ विश्वासघात करते हैं। मैं समझता हूं औद्योगिक विकास आज उतना ही आवश्यक है जितना कृषि विकास की आवश्यकता है। इस देश की तरक्की के लिये उद्योग पर अधिक ध्यान दिया जाय और उसका एक मात्र रास्ता है सहकारिता का। सहकारिता के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिये। छोटे किसानों, मजदूरों तथा उनकी सहकारी संस्थाओं को अगर आवश्यकता हो तो नियम बना कर ज्यादा से ज्यादा ऋण दे कर उनको उद्योगीकरण की तरफ ले जाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

श्रीमन्, आज सदन के सामने माननीय वित्त मंत्री ने जो ग्रान्ट रखी है उसके सबन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यह १०५ करोड़ रुपया अगर सही ढंग में माना जाय और सही इसका इस्तेमाल हो सके तो इतने बड़े प्रान्त के लिये बहुत कम है। इससे ज्यादा भी रकम रखी जाती तो आपत्ति की बात न होती। लेकिन देखना यह है कि रोज़ जितना कर्जा हमारे प्रान्त के ऊपर बढ़ रहा है और जितना व्याज हमें देना पड़ रहा है हरसाल उसे ध्यान में रखते हुए वह रुपया उपजाऊ भी साबित हो रहा है या नहीं। इस बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

सबसे पहले मैं सरकार का ध्यान उस रुपये की तरफ दिलाना चाहता हूं जो लोकल बाडीज़ को ड्रेनेज के लिये और मकान, आदि बनाने के लिये दिया जाता है। कई करोड़ रुपया म्युनिसिपैलिटीज को भिन्न-भिन्न मदों में दिया जाता है मदद के तौर पर। मैं निजी तौर पर जानता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं कि जो अभी हाल में चुनाव हुए उनके अन्दर जिस तरह से एक एक वोट हासिल करने के लिये जितना चेयरमैनों ने धन खर्च किया वह भी भ्रष्टाचार का एक कारण है। म्युनिसिपलिटीज के पास अपने साधनों से जुटाया हुआ धन तो था ही पर उसके अलावा म्युनिसिपैलिटीज को ग्रान्ट्स के तौर पर, लोन के तौर पर धन दिया गया जिस पर वहां के लोगों का पूरा हाथ रहता है। कोलोनीज बनाने, ड्रेनेज बनाने के लिये और दूसरे म्युनिसिपैलिटीज के कार्य करने के लिये यह रुपया दिया जाता है पर यह सही तौर पर इस पर इस्तैमाल न होकर चन्द लोगों की जेब में चला जाता है। सहारनपुर में पिछले २ वर्षों में २ कोलोनीज बनीं। ३६ लाख रुपया कोलोनीज के लिये सरकार की तरफ से दिया गया। इसी तरह से ड्रेनेज के लिए ४० लाख रुपये की मद रखी गयी। उसके अन्दर जिस कदर धांधलेबाजी है, उसका विवरण मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री को दे चुका हूं, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ नहीं हुआ। वित्त मंत्री जी ने जो रुपया लोकल बौडीज के हाथ में दिया वह सरकार के दूसरे मंत्री के हाथ में चला गया। उस धन का सदुपयोग होना या न होना उनके अख्तियार में है। सिवाय इसके कि मंत्री मंडल की और मुख्य मंत्री की ज्वाइंट रैस्पांसिबिलिटी है पर फिर भी वह रुपये सही ढंग से खर्च नहीं होता है और चन्द लोगों की जेबों में चला जाता है।

दूसरी बात, श्रीमन्, यह है कि जितना ऋण इस प्रान्त के लोगों को देना पड़ता है उतना भी फायदा उस धन से नहीं होता है। इस ग्रांट को देखने से, मैं मानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्ष ४२ लाख रुपये का कर्जा देने के लिए रखा था। उसे घटा कर ३३ लाख कर दिया। इसे बहुत से लोग अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन मैं यह समझता हूं कि अगर यह कर्जा कोआपरेटिव्ज को दिया जा रहा है या काश्तकारों को या मिस्लेनियस नाम से दिया जा रहा है या खेतिहारों को औजार खरीदने के लिये दिया जा रहा है, उसमें से कम से कम आप मानें तो ५० फीसदी रुपया वह जिस जगह जाना चाहिये नहीं जा पाता है। तमाम लोग रुपये के लालच में जितना उन्हें मिलना होता है, उससे ज्यादा खर्च करके भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। भ्रष्टाचार के अन्दर वह रुपया सही तरीके से उपजाऊ न होकर अधिकारियों और दूसरे जरिये से बह कर निकल जाता है।

श्रीमन्, आपका ध्यान ३१-३-६४ के दिन पब्लिक डेट्स की ओर दिलाता हूं। गवर्नमेंट आफ इंडिया के जो हमारे ऊपर कर्जे थे, आटोनॉमस बाडीज के जो कर्जे थे और इस तरह के और भिन्न-भिन्न कर्जे थे, प्रान्त के ऊपर वे ५४ करोड़ रुपये थे। अगले वर्ष अर्थात् ३१-३-६५ को वह कर्जा बढ़ कर ६१ करोड़ तक पहुंच गया। अब जो हमारे सामने ग्रान्ट रखी गयी है अनुमान यह है कि यह कर्जा ६१ करोड़ से ७० करोड़ हो जायगा ३१-३-६६ को। कर्जा बढ़ता जा रहा है। परन्तु यह रुपया रेम्युनरेटिव अर्थात् उपजाऊ नहीं हो रहा है। तो उस रुपये को व्यय करने और ब्याज देने को सरकार क्यों जरूरी समझती है कि उस रुपये को जरूर बुटाया जा सके? श्रीमन्, कर्जा लेकर ब्याज देना और उसके बाद उस रुपये को ऐसे ढंग से वितरण करना जो उपजाऊ न होकर बेकारी पैदा कर देता है जिससे नैतिक बल बढ़ने के बजाय गिरता है कहां तक उचित है? एक हल किसान अगर बी० डी० ओ० के जरिये बाजार से खरीदता है तो १८ रुपये में प्राप्त होता है जिसकी असली कीमत १२ रुपये होती है। अगर वह एप्रूव्ड जगह न जाकर बाजार से खरीदता तो वही हल उसको १२ रुपये में मिलता। सरकार उसको जो लोन देती है तो एक तिहाई देती है जैसे हल जो १८ रुपये में मिलता है उसमें सरकार ६ रुपये देती है। दुकानदार जो बेचता है वह २ रुपये अपने ले लेता है और ४ रुपये अफसरों को भ्रष्टाचार के रूप में देता है। किसान ६ रुपये के लालच में अपनी जेब से १२ रुपये खर्च करता है, जगह-जगह हस्ताक्षर करता है, जमानत देता है और झूठी रसीद देता है। लेकिन उसकी जेब में एक धेला भी नहीं जा पाता है। परन्तु प्रदेश के ऊपर कर्जे का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। इसका हल हमें गम्भीरता के साथ सोचना चाहिये।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर ]

श्रीमन्, मैं बिजली के प्रोडकशन पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं जिनका विभाग सही माने में कामयाब विभाग आज के जमाने में समझा जा सकता है । हमने देखा कि वह बड़ा कोआपरेशन और मदद सबको देते हैं । कोई आदमी उनके पास पहुंच जाय तो वह सही माने में यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे उसके हितकारी हैं । इसके साथ-साथ उनकी खुशकिस्मती यह है कि माननीय बी० बी० लाल जैसा ईमानदार अधिकारी मिला हुआ है जिनके बारे में हर व्यक्ति सोचता है कि वह सही सोचेंगे, सही काम करेंगे और सही मेहनत के साथ वह आगे बढ़ेंगे । लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि आप बिजली बढ़ाते चले जा रहे है गांवों में, अच्छी बात है, काफी रुपया खर्च हो रहा है, कोई बुरी बात नहीं है ।

श्री लखीसिंह---

मेरे क्षेत्र में तो लाइन तक नहीं गई ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गांवों में जो बिजली दी जाती है तो उन लोगों से मिनिमम गारंटी का पैसा वसूल किया जाता है जो वसूल नहीं किया जाना चाहिये । जितनी बिजली वे इस्तेमाल करें उतना ही पैसा उनसे लिया जाय जैसा कि अन्य शहरों में लिया जाता है । उनको स्ट्रीट लाइट की भी सुविधा दी जानी चाहिये । आज कल गांवों में जीना बड़ा कठिन हो रहा है । एक अधिकारी, दूसरे पुलिस और तीसरे डकैतों के कारण उनका जीवन दु:खी बना हुआ है । इन हालात में किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिये । उनके गली कूचे में रोशनी होनी चाहिये । ये तमाम खर्चा अपने उपजाऊ विभाग से करें । और जनता के दुख को दूर करें । यदि ऐसा करेंगे तो यह और भी ज्यादा प्रान्त के लिये विभाग के लिये शोभा की बात है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट सदन में पेश हुआ है, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं । १०५ करोड़ का बजट देखने में तो मालूम होता है कि बहुत बड़ा बजट है, लेकिन जिस विभाग के लिये यह बजट है उसके लिये तो इस पर कई सौ करोड़ रुपये यदि होते तो हमारे प्रदेश का भी ज्यादा लाभ हुआ होता । लेकिन जिस तरह से धन इस प्रदेश में संग्रह होता है, उसके अनुसार हमें बजट मानना चाहिये । मैं सुबह से सोच रहा था कि इस बजट पर किस चीज के लिये विवाद होगा । मैं यहां यह सन् १९५२ से देख रहा हूं, शायद यह बजट कभी विवाद में नहीं रखा जाता था । हर साल यह मान लिया जाता था कि इस पर कोई बहस न हो । कुछ बहस के ऐसे अंश थे जिनमें बहस नहीं होती । इसको मैंने देखा तो सोचा यह नई चीज है और मैं भी इस सदन में इस साल नया बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसके लिये मुझे बड़ी खुशी है और मैं आपको धन्यवाद देता हूं । बजट में १०५ करोड़ में से ११ करोड़ एक है और १० करोड़ एक है । ११ करोड़ और १० करोड़ ऋण के लिये है । एक है लोकल बाडीज के लिये और दूसरा ऋण उसका है, जिसे सोसाइटियों वगैरह में दिया जाता है । यह देखने से यह भी अच्छा है कि उसके ऋण कुछ न कुछ किसानों के काम में आ जाते हैं । हां एक चीज है, वहां ३३ करोड़ और ५१ करोड़ ऐसे हैं, जिसका सम्बन्ध रिहन्द से है । रिहन्द को बिजली, पूर्वी जिले, जो बहुत गरीब हो चुके हैं, जिनकी गरीबी की तरफ सरकार का बहुत ध्यान लगा हुआ है, लेकिन वे इतने गरीब हैं कि जिस पर कई करोड़ रुपये खर्च करने पर भी अभी कोई फायदा नहीं हो रहा है, में दी जा रही है । इसलिये मैं समर्थन करता हूं । रिहन्द बिजली पर इस तरह की बड़ी-बड़ी रकम खर्च की है । और पूर्वी किसान और गांव के किसानों के लिये खेती करने के लिये और उसमें मदद देने के लिये सरकार की जो मंशा है चाहे वह जिस साधन के द्वारा हो या चाहे

छोटे-छोटे शहरों में उद्योग धंधे या मिलें वगैरह खड़ा करने का सरकार का जो इरादा है वह बहुत ही अच्छा है। पूर्व में बहुत गरीबी है वहां पुराने समय में कोई अच्छा काम नहीं हुआ था, वहां पर ८४ करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं।

मैं फिर से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन जिलों पर जहां अधिक गरीबी है, वहां पर बिजली पर अधिक पैसा खर्च किया जाये, खास कर गरीब किसानों के लिये। एक बात मैं और सुझाव के तौर पर अवश्य पेश कर रहा हूं कि बहुत से गांवों में बिजली दी जा रही है, उसकी तारीफ मैं भी करता हूं, उसमें काफी शक्ति के साथ सरकार काम कर रही है। लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा कि बिजली के रेट में कुछ असमानता है। मिर्जापुर में भी, बनारस में, जौनपुर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया और सुल्तानपुर आदि जहां उसकी बिजली मिली है कहीं उसका रेट किसान को ज्यादा देना पड़ता है कहीं कम। इसको आज तक मैं समझ नहीं पाया हूं। पहले यह कहा जाता था कि मऊ बनारस की बिजली की दर अधिक है, लेकिन रिहन्द की बिजली जो अब हो गई तो उसका रेट एक होना चाहिये। चाहे जो भी जिले हों, जिन जिलों में रिहन्द की बिजली जाती है, उनका रेट एक समान होना चाहिये। क्योंकि एक ट्यबवेल पर एक रेट हो और दूसरे पर दूसरा रेट हो या एक कस्बे में एक हो और दूसरे पर दूसरा रेट हो यह वहां के लोगों को अच्छा नहीं जंच रहा है। तो जहां तक रिहन्द की बिजली का प्रश्न है मैं उसके लिये सरकार को फिर धन्यवाद देता हूं। मैं मंत्री जी से अपील करूंगा कि गांवों में बिजली पहुंचाने में जरा जल्दी कीजिये क्योंकि पूर्वी जिले के किसानों की हालत तभी ठीक होगी जब उसके खेत में पानी शीघ्र पहुंच जाय। जौनपुर जिले में मछलीशहर-मंड़ियाहूं के बीच में १३ न्याय पंचायतें ऐसी हैं जहां २ साल से लगातार सूखा पड़ रहा है। जहां ८५ फीसदी धान की खेती होती थी वहां धान लगा तक नहीं। मछलीशहर के पूर्व और मड़ियाहूं से पश्चिम में बिजली गांवों में जल्दी पहुंचाई जाय जिससे जहां ट्यूबवेल्स, नहरें या सिंचाई के अन्य साधन नहीं हैं वहां कुओं पर बिजली के पम्प लगाकर सिंचाई करने में सुविधा हो। अगर ऐसा नहीं होता तो उस क्षेत्र में थोड़े ही दिनों में एक एक दाने के लिये किसान परेशान होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं। और आशा करता हूं कि बिजली के मंत्री महोदय जिस क्षेत्र की ओर मैंने संकेत किया है उधर अवश्य ध्यान देंगे।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)––

उपाध्यक्ष जी, जो कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। जहां तक इस अनुदान का प्रश्न है उसको देख कर एक इच्छा दिल में होती है कि ऐसे प्रदेश में जहां आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो, गरीबी अपने बीभत्स रूप में फैली हुई हो, जहां उद्योग धंधे न हों, जहां प्रत्येक आदमी के कमर की रीढ़ टूट गयी हो, जहां भूमि भी देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में बहुत कम हो और जहां पापुलेशन की डेंसिटी इतनी हो कि प्रत्येक वर्गमील आदमी इतने अधिक हों कि भोजन न मिले तो उसके लिये अनुदान पर कटौती का प्रस्ताव रखा जाय या नहीं यह एक प्रश्न उठता है। यह निर्विवाद है कि जिस प्रदेश की ८० प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर हो और उद्योग धंधे भी अधिक न हों तो सरकार ऋण लेकर काम करे, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि जो ऋण लिया जाता है उसका बटवारा ठीक से होता है या नहीं। मेरी निगाह आडिट रिपोर्ट, १९६४ की ओर जाती है। उसको देखने से ऐसा लगता है कि केन्द्रीय सरकार से १९५६–५७ में हार्टीकल्चर के लिये ९० लाख का ऋण लिया गया और उसके बाद ३६ लाख रुपये लांग टर्म ऋण लिये गये। उसी तरीके से पिछड़े क्षेत्रों यानी पूर्वी जिलों के उत्थान के लिये १९५९–६० में ४.५३ लाख और १९६०–६१ मे ५.०१ लाख लिये गये। यह ९ लाख ५४ हजार रुपया जो मिला उसमें से ५ लाख रुपया खर्च

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

किया गया मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बुलन्दशहर, और देहरादून के जिलों में। यह आपकी आडिट रिपोर्ट कहती है। जो पूर्वी जिले पिछड़े हुये हैं उनके उत्थान के लिये सरकार ने लोन दिया, कर्जा दिया ९ लाख ५४ हजार रुपया, लेकिन खर्च किया गया पच्छिमी जिलों के ऊपर। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो बजट के अन्दर एक विभाग के लिये रुपया रखा गया है उसको कहीं भी और किसी भी जिले के लिये खर्च कर सकते है और जहां चाहें वहां पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन जिस बात के लिये और जिस जगह के लिये रुपया रखा गया और दिया गया उसी काम में वह खर्च होना चाहिये। इस तरह से जो यह ९ लाख रुपया खर्च हुआ है और जिसका प्रमाण यह आडिट रिपोर्ट है वह यह बतलाता है कि किस मनमाने तरीके से यह मंत्रिमंडल काम करता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ९० लाख रुपया जो मिला था वह इसलिये खर्च नहीं हुआ कि किसान बागात लगाने के लिये तैयार नहीं हुये। ३६ लाख रुपया जो मिला था उसके बारे में मैं यह बतलाऊं कि उसमें से २६ लाख ५३ हजार रुपया इस्तेमाल हुआ और ७ लाख ८८ हजार इस्तेमाल नहीं हुआ और १ लाख ५९ हजार रुपया बिलकुल खर्च नहीं हुआ और न केन्द्रीय सरकार को वापस किया गया। एक लाख रुपया सूद का उनको दिया गया। आप सोचें कि रुपया खर्च के लिये तो आप लेते हैं, लेकिन उसका बंटवारा इस तरीके पर आप करते हैं कि वह कर्जा कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसका नतीजा यह है कि १ लाख रुपया सूद के रूप में फिर केन्द्रीय सरकार को देना पड़ रहा है। इस तरीके की बात यह है और वित्त मन्त्री जी की यह दशा है जो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश को ले डूबेगी।

उद्योग विभाग की बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा यहां पर राग अलापा जा रहा है कि उद्योग में हम बहुत उन्नति कर रहे हैं वह बात सही नहीं मालूम होती। हम लोग जानते हैं कि उद्योग पतियों से सरकार की सांठगांठ है इसमें कोई शुबहा नहीं है, लेकिन मैं इस पर अधिक नहीं कहता क्योंकि हमारे बहुत से भाई इसको बतला चुके हैं कि उद्योग विभाग की क्या हालत है। मैं तो यह बतलाना चाहता हूं कि जनवरी, १९६४ में २२ लाख ७२ हजार रुपया उद्योग विभाग को दिया गया, लेकिन डाइरेक्टर साहब की यह दशा है कि रेगुलर स्टाफ सैंक्शन नहीं किया गया जिसके कारण यह रुपया खर्च नहीं हुआ। यह कितनी शर्म की बात है? सरकार के अधिकारी, जनवरी, ६४ में रुपया देते हैं और उनके डाइरेक्टर इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं कि रेगुलर स्टाफ चूंकि सैंक्शन नहीं हुआ, इसलिये वह रुपया खर्च नहीं किया जा सका। जनवरी, १९६४ में उन्होंने खुद कहा है कि ४ लाख ४७ हजार रुपया खर्च नहीं हुआ है। इस लिये उसको वापस करना पड़ा। यह आडिट रिपोर्ट में कहा गया है और इसको आप देख सकते हैं।

खादी उद्योग को ४६ लाख २८ हजार रुपया कर्जे के रूप में दिया गया है। उसमें ३६ लाख ६४ हजार रुपया वसूल होना चाहिये था जिसमें से केवल १३ लाख ९२ हजार रुपया ही वसूल हुआ है। इसमें जो कमीशन को दिया गया वह सिर्फ ३ ल.ख ७६ हजार रुपया है। अब आप सोचें कि १३ लाख ९२ हजार रुपया ३६ लाख ६४ हजार में से वसूल हो सका है। अब नतीजा क्या होगा? जितना रुपया हम लेते हैं उसका न तो सूद देते हैं और न उसे वापस करते हैं और उसे मनमाने ढंग से बहाया जा रहा है। (व्यवधान) यह आडिट रिपोर्ट, १९६४ है। इसे मैं पढ़ना नहीं चाहता इसलिये कि समय कम है। दूसरे कोआपरेटिव विभाग में १३३ गोदाम बनने थे। इनमें हर गोदाम पर २५,००० रुपया लगने वाला था और इनके लिये ९ लाख रुपया सैंक्शन हुआ था। १९६१ में ५८ गोदाम बने और १७ और बन रहे हैं। १९ का कुछ पता नहीं लगा। तो हालत यह है कि सरकार जो रुपया दे रही है उसका पता नहीं चलता कि वह किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है। सरकार स्वयं रुपये का मिसयूज कर रही है और यह कार्य विभागों में हो रहा है। मैं प्राइवेट आदमी की बात नहीं कहता, यह सरकार के विभागों की करनी है। (व्यवधान) यह ज्यादा अच्छा होगा कि आप मुझे न छेड़ें।

माननीय हर गोविन्द सिंह जी ने बहुत सी बात उधर के लोगों को सिखा दी हैं। क्या अब न मिलेंगे आते जाते, जो कुछ कहना होगा रास्ते में छेड़ कर कह देंगे ? एक तरफ सरकार टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड को कर्ज देने जा रही है ताकि उनकी उन्नति हो सके और दूसरी तरफ आपने भूमि भवन कर लगा दिया है। वही उनकी आमदनी का एक जरिया था जिसे आपने हथिया लिया। अब अगर आप उनको लोन देते हैं तो वे कैसे उसे अदा कर पायेंगे ?

अब विद्युत विभाग का किसान का मामला है। लेखा जोखा तो किताब में रखा है, उसके डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जितने रोग हैं वे सब इसी में आते जा रहे हैं। जैसे किसान पर कर्ज लादा जाता है और आपत्ति भी उसी पर आती है। वही हाल इस विभाग का है। यह खुशी की बात है कि इसकी बागडोर लाल साहब के हाथ में है इसलिये शायद यह जहन्नुम में तो नहीं जायगा, लेकिन जितना कोढ़ है वह सब इसी के सिर मढ़ा जा रहा है। जिन कम्पनियों को आपने नेशनलाइज किया उनका सारा कर्जा इसके सिर पर आ गया है। उनकी मशीनें खड़ी हुई हैं। रिहन्द डैम का भी १०५ करोड़ रुपया इसके सिर पर जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार जो लोन दे रही है उसमें १९६०-६१ तक साढ़े ५ प्रतिशत सूद रहेगा और उसके बाद ७ परसेंट हो जायगा। आपको इसका दूसरी तरह से भी खयाल रखना चाहिये। इसे आप ट्रेड की तरह समझिये। रोजगारी इस बात की कोशिश करता है कि मुनाफे पर दूसरों को सामान दे और वह अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाना चाहता है। मैं मानता हूं कि विभाग तरक्की कर रहा है, लेकिन इसमें भी इर्रीगेशन के इंजीनियर्स इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। गाजीपुर में साढ़े ३ लाख रुपया जो सैंक्शन था उनकी वजह से ही लैप्स हो गया। हर आदमी इस बात को मानता है कि इंजीनियर्स को आफिस में रहना चाहिये, हमारे यहां के इंजीनियर के खिलाफ हमने रिपोर्ट की। वे इंजीनियर साहब आफिस में रहते थे। और जब वहां सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियर गये तो उन इंजीनियर साहब ने एक वकील से लिखा दिया कि १८ रु० के मकान में रहते थे, श्रीमन्, जबकि वह मकान एक एक्स एम० पी० का था। मैं कहता हूं कि, श्रीमन्, इतनी छोटी सी बात पर अगर सुपरिंटेन्डिग इंजीनियर ऐसा कर रहे हैं तो यह बड़ी गलत बात है और इस तरह से जो करप्शन फैल रहा है उसमें सतर्कता की बड़ी जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अब समाप्त कीजिये।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, थोड़ी और देर के लिये.....श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि मार्च १९६३ में दिखाया गया कि विद्युतीकरण हो गया है परन्तु मालूम यह हुआ कि वहां पर सामान भी नहीं गया था। जब मैंने रिपोर्ट की तो दिखा दिया गया कि वहां पर माल पहुंच गया है। श्रीमन्, इस प्रकार लाखों रुपये का गड़बड़ घोटाला है। और अगर स्टाक देखा जाय तो स्टाक में भी गड़बड़ी है। इस विभाग में इतनी गड़बड़ी है कि यहां पर एक रजिस्टर मैन्टेन होना चाहिये जिसमें सब चीज एन्टर हों जैसा कि इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट में है। अगर इनके अधिकारियों के खिलाफ कोई ऐसी बात आ गई तो विजिलैन्स को वह मामला सुपुर्द किया जाय। अगर, श्रीमन्, इस तरह दो एक गजटेड अफसर चले जावेंगे तो बहुत कुछ सुधार हो जावेगा। तो, श्रीमन्, इन अधिकारियों की गड़बड़ी को खयाल रखते हुए इसमें कटौती अवश्य मंजूर होनी चाहिये।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाई माननीय हरीसिंह को आश्वस्त कर देता हूं कि मैं पूर्व पर कुछ नहीं बोलूंगा। वे घबड़ायें नहीं। श्रीमन्, मैं ऐसा अनुभव कर रहा था कि

[श्री कृष्णानन्द राय]

यह जो मांग है इस पर इस सदन के जितने जन-प्रतिनिधि बैठे हैं, सब इसका स्वागत करेंगे क्योंकि धनराशि लम्बी होते हुए भी यही एक मांग है जिसको कि सरकार ने अपने ही व्यय करने के लिये नहीं मांगा है, वरन् जनोपयोग कार्यों में सहयोग देने के लिये इस मांग को उपस्थित किया है। श्रीमन्, आप जानते है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के जो प्रगतिशील कानून बने हैं, उसके अनुसार अब किसी को खुले बाजार में ऋण प्राप्त करना बहुत कठिन है। कोई भी खुले बाजार में महाजनी का कार्य नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार को भी निरुत्साह करें कि वह ऋण न दे तो किसानों को या और लोगों को जो अपने उद्योग धन्धे करना चाहते हैं, रुपया प्राप्त करने में कठिनाई होगी। यदि ऐसी कोई भी मांग जिसको खेती की उन्नति के लिये और लोगों को उद्योग बढ़ाने के लिये या कारपोरेशन, म्युनिसिपल बोर्ड, जिला परिषद आदि से अपनी सेवाओं को बढ़ाने के लिये रुपया देने के हेतु मांगा हो उसका समर्थन हम लोगों को करना एक कर्त्तव्य सा हो जाता है। परन्तु मैं फिर भी इतना तो माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि हर प्रदेश एक निजी व्यक्ति की तरह अर्थ-व्यवस्था की तरफ ध्यान देता है। जो ऋण व्यवस्था हमारे प्रदेश में चल रही है, जितना ऋण प्रदेशीय सरकार जनता को देती है या जनता को संस्थाओं को देती है उससे २२ करोड़ रुपया ब्याज प्रतिवर्ष प्राप्त करती है और जितना ऋण केन्द्रीय सरकार से प्रदेशीय सरकार प्राप्त करती है या जनता से लेती है उसमें प्रदेशीय सरकार को अपनी ओर से ब्याज का रुपया देना पड़ता है। वह ३३ करोड़ के करीब होता है। तो एक तरफ केन्द्रीय सरकार से या जनता से ऋण लेकर ३३ करोड़ रुपया व्याज दिया जाय और दूसरी तरफ विभिन्न मदों में २२ करोड़ रुपया प्राप्त किया जाय, इनमें से कौन अच्छी बात है? ११ करोड़ रुपया इस ऋण व्यवस्था के व्याज के सम्बन्ध में घाटा पड़ा तो इसको बहुत ही स्वस्थ आर्थिक परम्परा नहीं कहा जा सकता। इस वर्ष के बजट में १४ करोड़ का घाटा है। यदि इस ११ करोड़ व्याज के रुपये की कमी न हुई होती और उसकी ठीक प्रकार से व्यवस्था की गई होती तो बजट का घाटा सम्भवतः पूर्ण हो गया होता।

किसानों को विगत वर्ष ९ करोड़ रुपया ऋण देने के लिए मांग की गई थी। इस वर्ष वह धनराशि ८ करोड़ रुपया कर दी गई है और वह सम्भवतः इसलिए कि किसानों को ऋण देने में सरकार को कुछ कठिनाइयों का अनुभव होता है और श्रीमन्, उसमें कठिनाइयां हैं। जो ऋण देने के नियम हैं, उनमें अब परिवर्तन की आवश्यकता है। ३ लाख रुपया हमारे गाजीपुर जिले में भेजा गया था उद्योगों को खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने के लिये, वह तीन लाख रुपया वहां के अधिकारी नहीं दे पाये और केवल ८० हजार रुपये का वितरण किया जा सका। इसका कारण यह है कि जो ऋण देने के नियम हैं उनमें किसान इस सरकार से ऋण ले नहीं सकता क्योंकि शहरों में जो ऋण दिया जाता है उसमें उनको जो जायदाद होती है उसकी मार्केट वेल्यू पर ऋण की जमानत की जाती है। यदि एक व्यक्ति के पास छोटा-सा भी मकान हो तो २८ हजार या ५० हजार रुपया उसका मूल्य हो जाता है। लेकिन गांव में खेत की जमानत पर ऋण दिया जाता है। माननीय कृषि मंत्री भी यहां बैठे हैं, वह जानते हैं केवल ६० गुना लगान का जो होता है उसके बराबर किसान के खेत का मूल्य लगाया जाता है। यानी यदि दस बीघा किसी किसान के पास खेत है तो आज के जमाने में उसकी वह दस या बीस हजार रुपये की सम्पत्ति होगी, लेकिन ६० गुना लगान के हिसाब से मुश्किल से १२ सौ या १५ सौ उसका मूल्य होगा। अब श्रीमन्, आप चाहते तो यह हैं कि आपकी ऋण व्यवस्था के माध्यम से देहातों में किसान उद्योग खोले और कृषि की उन्नति करें। लेकिन उनके पास एक ही सम्पत्ति है खेत, उसका मूल्य अगर लगान का ६० गुना या २० गुना कर देते हैं तो स्वाभाविक है कि वह ऋण ले नहीं सकता यद्यपि उसी को सबसे ज्यादा ऋण लेने की आवश्यकता है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि देहात में दिये जाने वाले ऋण के जमानत के नियमों में आप अवश्य परिवर्तन कर दें और जिस प्रकार से नगरों में सम्पत्ति की मार्केट वेल्यू को जमानत के रूप में माना जाता है उसी प्रकार से खेतों को भी मार्केट रेट से मानकर के ऋण आप दें।

श्रीमन्, इस १०५ करोड़ रुपये की मांग में जैसा कि वित्त मंत्री जी ने बताया ९४ करोड़ रुपया विद्युत् परिषद् को दिया जा रहा है और हमारे माननीय मायर साहब ने विद्युत् मंत्री को बधाई भी दी कि उनके विभाग का बड़ा अच्छा काम हो रहा है लेकिन मैं विद्युत् के कार्य को राजकीय सेवा का कार्य समझता हूं। मैं समझता हूं कि आज जिस स्टेज पर विद्युत् के प्रसार का कार्य प्रदेश में है उसे देखते हुये राज्य उसे राजकीय स्तर पर रखे तो ज्यादा अच्छा होगा। यह विद्युत् परिषद् उसी प्रकार से है जैसे कि कारपोरेशन या परिषदें होती हैं और यह एक आटोनामस संस्था सी है जिसे हम ९४ करोड़ रुपया दे रहे हैं। लेकिन उस विद्युत् परिषद् की योजनाओं के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हमारी विधान सभा को भी इस पर उसी प्रकार से नियंत्रण नहीं है जैसा कि कारपोरेशन और म्युनिसिपल बोर्ड पर नहीं है। अब श्रीमन् हो क्या रहा है ? जैसा कि हमारे आदरणीय साथी ने बताया यह परिषद् इस बात का खयाल नहीं करती कि रेट किस तरह से हम रियलाइज करें। श्रीमन्, किसानों के लिये दूसरे तरह के रेट्स रखे जाते हैं, छोटे उद्योग वालों के लिये दूसरे रेट रखे जाते हैं और बड़े उद्योग वालों के लिये दूसरे रेट रखे जाते हैं, इस विद्युत् परिषद् में यह बड़ी भारी अव्यवस्था मालूम पड़ती है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जब वे सारे प्रदेश की विद्युत् की व्यवस्था उनको दे रहे हैं तो कुछ न कुछ इस प्रकार का प्रबंध उनके ऊपर होना चाहिये ताकि रुपये की वसूलयाबी में कुछ सामंजस्य हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

*श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि १५ वर्ष पहले हमारे देश और प्रदेश की यह अवस्था थी कि वह सोने की चिड़िया कहलाता था। तहसील और कलेक्टरी के खजाने चांदी के रुपयों से भरे रहते थे। बाजारों में भी चांदी के सिक्के चलते थे। लेकिन अब कर्जा देने और लेने की व्यवस्था से यह असर पड़ा है कि जो आपके सामने मौजूद है। सरकार भी कर्जा लेने में कम नहीं है और पब्लिक को भी अगर सरकार रोज कर्जा बांटे तो उसका कर्जा लेना भी पूरा नहीं हो सकता है। कर्जा लेने से किसी आदमी की तरक्की नहीं हो सकती। कर्जा लेने वाला आदमी हमेशा कमजोर निगाह से देखा जाता है। लेकिन अब सरकार दूसरों से कर्जा लेती है और वह दूसरों को देती है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस कर्जा लेने से कोई फायदा नहीं है। काश्तकारों को कोआपरेटिव से कर्जा दिया गया, तहसील से कर्जा दिया गया, सरकार हर तरफ से खूब कर्जा बांट रही है, शायद ही कोई गांव ऐसा बचा हो जिसके ३५ प्रतिशत काश्तकार कर्जदार न हों। उनकी हस्ती ही खत्म हो गयी है। आज से १५ वर्ष पहले तहसीलों की हवालातों में साल में ५-१० किसान ही दिखाई पड़ते थे। लेकिन आज रोज भरी रहती हैं। किसी से पूछो तो वह कहता है कि हमारे नाम फर्जी खाद चढ़ा दिया गया था, दूसरा कहता है कि आबपाशी का रुपया अमीन ले गया था और कहा था कि रसीद दे देंगे, लेकिन रसीद नहीं दी, १८ रुपया बाकी निकाला है और यहां बन्द कर दिया गया है। न जाने यह सरकार कब तक कर्ज देती रहेगी, ४-६ वर्षों में काश्तकार कर्जे से बिलकुल बंध जायगा।

काश्तकारों, बड़े और छोटे आदमियों के लिये कर्जे की दरों में बहुत फर्क है। मिल वालों को कम दर पर दिया जाता है और काश्तकारों को ज्यादा पर, जबकि इससे उल्टा होना चाहिये। कोआपरेटिव विभाग कर्जे में गल्ला वसूल कर रहा है, साहूकार की तरह से सवाया लिया जाता है। कर्जे की वजह से उसके पास खाने को भी अनाज नहीं रहता है। अब तो सरकार यह कानून भी बनाने जा रही है कि आबपाशी और मालगुजारी अनाज के रूप में वसूल की जाय। मेरा निवेदन है कि सरकार काश्तकार को कम रेट पर कर्जा दे। इसके अलावा जो छोटे लोग शहरों में रहते हैं जैसे रिक्शे वाले या ५०-१०० रुपया तक के धंधा करने वाले, उनको भी सरकार कर्जा देने की व्यवस्था करे। रिक्शा वाले और चना मटर बेचने वाले भी अपनी जमानत दे सकते हैं, उनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरवरप्रसाद]

भी सरकार कर्जा देने की व्यवस्था करे। शहरों के बड़े-बड़े आदमियों ने कर्जे ले रखे हैं और जितने लोगों ने कर्जे ले रखे हैं उनकी मैंने एक लिस्ट ली और उसमें मुझे उन लोगों के नाम दिखायी पड़े। मैंने देखा कि सरकार पर जो कर्ज था शायद २० प्रतिशत लोगों से भी वह कर्जा वसूल नहीं हो सका है। या तो उन लोगों ने सरकार के पास अपनी पहुंच लगा कर गवर्नमेंट से कर्जा माफ करा लिया और ऐसे लोगों की संख्या बहुत है। अब देखना है कि काश्तकारों की हालत क्या रहेगी उनको इस कर्ज से लाभ हुआ है अथवा नहीं। इसका पता तो साल दो साल बाद लगेगा, किन्तु मैं तो इतना ही चाहता हूं कि सरकार किसानों को कर्ज दे और शहर में भी ऐसे लोगों को कर्ज दे कि जो वहां रहते हैं और छोटे उद्योग धंधे करते हैं।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं काफी देर से मांगों पर चल रहे विवाद को ध्यान पूर्वक सुन रहा था। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि मांगों के विवरण पर तो पर्याप्त प्रकाश डालने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ उसूली बातों की ओर माननीय मित्रों ने ध्यान नहीं दिया। समालोचना की इस पद्धति में दिखाई पड़ता है कि आलोचक के मस्तिष्क में ऋण की व्यवस्था में कोई ऐसी पुरानी प्रथा है, परम्परा है जिसके आधार पर वे इस मांग की आलोचना, प्रत्यालोचना कर रहे हैं। प्रायः ऐसा कहा गया कि ऋण जो भी दिया जाता है उसे ठीक से सरकार वसूल नहीं करती। उसमें काफी रियायत करती है और उसके बारे में अनेक तरह की बातें जो अनेक मित्रों के मन में थीं वह उन्होंने कह डालीं। इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि विकास के युग में नियोजन के लिये समाजवादी अर्थ व्यवस्था में ऋण का एक महत्वपूर्ण स्थान है और विशेषतया पिछड़े देश या प्रदेश में यह आवश्यक होता है। हमारा प्रदेश कितना पिछड़ा रहा है और आज भी पिछड़ा है, हमारे प्रदेश का अतीत में किस प्रकार से शोषण हुआ है इसके इतिहास में न तो जाने का समय है और न मैं समझता हूं कि माननीय मित्रों को उसकी जानकारी कराने की आवश्यकता है। यह निर्विवाद है कि यह एक बैकवर्ड एरिया है और सभी जानते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिये किन-किन उपादानों की आवश्यकता पड़ती है। किस-किस उपाय से कौन-कौन कार्य करने पड़ते हैं। अर्थ शास्त्रियों का स्पष्ट मत है कि जैसे इसके लिये अनुदान का एक स्थान है, जैसे इसके लिये लोगों में एक प्रेरणा उत्पन्न करने का स्थान है वैसे ही लोगों की आर्थिक व्यवस्था ठीक करने के लिये उसमें ऋण का भी एक स्थान है जिससे कि हमारे यहां की आर्थिक नींव मजबूत हो सके। हमारे मित्रों ने इस मांग का जो विरोध किया उसके दो नतीजे निकलते हैं। या तो वे इस प्रकार की समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की तरफ से अपनी आंख मूंद लिये हैं क्योंकि यह कहने का तो मैं साहस नहीं कर सकता कि उन्हें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस तरफ से उन्होंने अपनी निगाह हटा ली हो या उनकी दृष्टि में कोई दूसरी प्रकार की चीजें हों। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि समाजवादी अर्थ व्यवस्था में ऋण का स्थान है।

देखने की बात यह है कि इसकी उपयोगिता की तरफ कितना ध्यान दिया गया है। यदि हम इन मांगों की तरफ ध्यान दें तो स्पष्ट हो जायगा कि ऋण की व्यवस्था जो कर्जे की ९० प्रतिशत है कारपोरेटेड बाडीज को ऋण देने की व्यवस्था की गयी है, जैसे राज्य विद्युत् परिषद् के लिये काफी रकम रखी गयी है और लोकल बाडीज के लिये भी काफी रकम रखी गयी है, लेकिन व्यक्तियों के लिये केवल १०—११ करोड़ रुपया ही रखा गया है। आज जिस स्टेज में हम चल रहे हैं, उसकी तरफ अगर हम ध्यान दें तो आज की अवस्था में हमारे लिये यह आवश्यक है कि संगठित संस्थाओं के ऊपर हम अधिक बल देना चाहिये। हम समझते हैं कि उसी पर बल देकर समाजवादी अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाने की ओर हम कदम उठा सकते हैं। इसके लिये निश्चित रूप से सरकार की सराहना करनी चाहिये कि व्यक्तियों को भी ऋण देकर उनकी आर्थिक शक्ति और उत्पादन शक्ति को बढ़ाने का ही प्रयास किया गया है। कहा गया है कि छोटे उत्पादन कार्य

पर कम खर्चा किया गया और बड़े उद्योगों पर अधिक खर्चा किया गया, इसके बारे में बहुत शिकायतें सुनाई देती हैं। प्रायः कहा जाता है कि भूमि पर से आबादी का भार कम करने के लिये उद्योगों की ओर हमें बढ़ना चाहिये। यह निर्विवाद बात है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब उद्योगों की ओर बढ़ने का प्रयास किया जाता है तो कहा जाता है कि किसानों को कम दिया जाता है। उद्योगों के लिये अगर ऋण की व्यवस्था होगी और किसानों के लिये कम व्यवस्था होगी तो यह स्पष्ट बात है कि अगर उद्योगों की ओर लागत अधिक लगेगी तो इस तरह से कृषि पर भार कम होगा और यह भी एक सराहनीय कदम होगा। किसानों के पास अनेक प्रकार से रुपया पहुंचता है, अनेक प्रकार की सहायता और किसानों से सम्बन्धित अनेक विकास के कार्य हैं जिन में किसानों के पास पैसा पहुंचता है इसलिये यह कहना भी कि उद्योगों के लिये अधिक और किसानों के लिये कम पैसा दिया जाता है उचित नहीं है।

जो रुपया दिया जाता है उसके विषय में शिकायत की जाती है कि उस की वसूली में सख्ती नहीं होती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसी चीज हमारे मित्रों के दिमाग में है कि जैसे भादों और माघ के मास में पुराने साहूकार किसानों को रूपया देते थे और जेठ बैसाख में उन सारी सम्पत्ति वसूली में ले लेते थे। सरकार का उस तरह का काम नहीं है। सरकार अनुदान या सहायता देकर कोई मनीलेन्डर का सा कार्य नहीं करती कि अधिक से अधिक सूद के साथ मूलधन शीघ्र से शीघ्र वसूल कर ले। कल्याणकारी और समाजवादी अर्थ व्यवस्था में जरूरतमंद किसान की सहायता करना एक लक्ष्य होता है और यदि किसी कारण से कोई व्यक्ति पैसा लौटाने में असमर्थ है, किसी की फसल मारी गई या उद्योग को चलाने में कोई असमर्थ रहा, मशीन वक्त से नहीं मिली या बिजली नहीं मिली या कोई और ऐसी परिस्थिति आई कि जिसके कारण रुपया लौटाने में असफल रहा तो सरकार उस उधार देने वाले साहूकार की भांति सख्ती से वसूली का प्रयास नहीं कर सकती। हमारी जनकल्याणकारी, समाजवादी सरकार है, विकासवादी सरकार है, प्रगतिशील सरकार है, इसलिये उस रूप में वह वसूल का कोई कदम नहीं उठा सकती जिस रूप में हमारे मित्र कहते हैं। जब वह कहने लगते हैं तो यह भूल जाते हैं कि हम किस सिद्धांत पर जा रहे हैं और किस से वसूली की बात कह रहे हैं, धोखे से पूंजीपतियों के खिलाफ बात कह जाते हैं क्योंकि उन के माध्यम से उन्हें सरकार के खिलाफ बात कहने का मौका मिलता है। मंत्रियों ने बार-बार बताया है और अब भी बतायेंगे कि वसूली के लिये कितनी सख्ती की गई है और कितना रुपया वसूल भी किया गया है और इस का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास भी मंत्रियों ने किया है, मेरे पास इस समय वह डेटा नहीं हैं और न इतना समय ही है, लेकिन जब सरकार रुपया देती है तो उसका दृष्टिकोण अलग रहता है, वह शोषक साहूकार के दृष्टिकोण से एकदम भिन्न रहता है, सरकार का कदम समाजवादी और जनकल्याणकारी दिशा में उठता है इसलिये वसूली और व्यवहार के ढंग में निश्चय ही अन्तर होता है और भिन्न बात होती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि रुपया जो दिया गया, वह वसूल न किया जाय। रुपया देकर अवसर उनको दिया जाय कि जिससे वह उद्योग धंधों में लगे। यह भी समाजवादी व्यवस्था का एक अंग है। इस रुपये की वसूली में सतर्कता बर्ती जाय। हर व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह वसूलयाबी का वातावरण प्रस्तुत करे। आप वास्तविकता की ओर देखें। हम लोग इस विधान सभा के सदस्य हैं। हम लोग, लोगों को रुपया दिलाते हैं ऋण दिलाते हैं, इंडस्ट्रीज वाली कमेटी में हम लोग सिफारिश करते हैं और जब वह रुपया नहीं लगाता है, तब मौका दिया जाय। जब वह रुपया नहीं दे पाता है, तो वह अपने विधायक के पास जाता है, सिफारिश कराने के लिये, वह उसे संबंधित अधिकारी से कहता है। वह अपने चुने हुये विधायक से गलत से गलत काम कराने के लिए कहता है। हम सभी माननीय सदस्य अपने व्योहार का एक ढंग बना लें कि अगर हम किसी की सिफारिश नहीं करते है, तो इसका नाजायज फायदा कोई मित्र न उठाये, इसलिए इसको स्वयं कोड आफ कन्डक्ट बनाना होगा और हमें एक वातावरण उपस्थित करना होगा, उन सभी कार्यों के सम्पादन के लिये। इतनी सी बात कहकर मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

हम किसान के प्रतिनिधि हैं और हम यह ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को इस बिजली का फायदा पहुंचे, बनिस्बत जो शहर में रहते हैं। अब मैं एक शेर ही कह दूं, किसान ही के बाबत, इधर मैं बहुत खामोश भी रहा हूं, बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त कर दूं या और आगे चलूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

जैसी आपकी इच्छा हो ।

श्री प्रेमसिंह—

'बस अब इंतिहा हो चुकी जब्ते गम की'
कि रोने को जी चाहे, और मुस्कराये ।

हम और हमारे भाई हंसे, लेकिन जो गरीब की दशा है, वह बड़ा ही दर्दनाक है। २० प्रतिशत जो शहर में रहते हैं, उनको तो बिजली का फायदा हो और जो ८० प्रतिशत गांवों में रहते हैं, उनको बिजली का फायदा न हो। इतनी कोशिश के बाद भी हमारा क्षेत्र जो बार्डर एरिया है, मैं शांति प्रपन्न जी से यह चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र को दरअसल शांति पहुंचा दें और और उन गरीब किसानों को जो झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पास तक बिजली पहुंचा दें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने कि मेरे समर्थन तथा विरोध में, केवल इतनी बात कही कि हम इस अनुदान का समर्थन करते हैं। मैं यह समझता हूं कि कृष्णानन्द राय जी का यह भ्रम था जहां उन्होंने कहा कि काश्तकारों को और कहीं से रुपया नहीं मिल सकता। उनके साथ-साथ कोई एक और सदस्य कांग्रेस दल के बोले और उन्होंने यह भ्रम व्यक्त किया कि कदाचित समाजवादी अर्थ व्यवस्था में यह आवश्यक है कि जो धन हमने व्यय किया है उसका पूर्ण रूपेण लाभ सरकार को हो सके। श्रीमन्, तीन बातें विशेष रूप से हैं। एक तो यह कि जो ऋण दिया उसका उपयोग। इसके सम्बन्ध में मैं पहले कह चुका हूं। दूसरी बात यह है कि जो विद्युत् परिषद् बीच में आती है इस अनुदान के कारण उसके सम्बन्ध में २,४ बातें कहना है। पहली यह, जिसका माननीय ब्रह्मदत्त मायर ने समर्थन किया कि कृषि में भी, जिस प्रकार उद्योग में बिजली देते हैं तो कोई अधिक खर्चा नहीं पड़ता, इसी तरह से कृषक को जब बिजली दें तो जहां आवश्यक हो अपने खर्चे से लाइन बनावे सरकार।

दूसरे यह कि सरकार जब अपने कर्मचारियों के वेतन के सम्बन्ध में पुनर्विचार करने जा रही है तो विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों की तरफ वह ध्यान दे और उनको उपयुक्त वेतन वृद्धि दिलाये। मैंने रिहन्द आदि जगह देखा है कि यह कर्मचारी अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा कुछ भिन्न परिस्थितियों में काम करते हैं। और जहां-जहां विद्युत् परिषद् के आस्थान हैं वहां मंहगाई कम नहीं है। इसलिये सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे।

मैंने यह भी देखा है कि जब सरकार किसी आस्थान को अपने अन्तर्गत लेती है तो उस आस्थान का प्रबंध अवश्य खराब हो जाता है। हमारे समस्त विधायक यहां रहते हैं और वह जानते हैं कि जब से मार्टिन बर्न कम्पनी सरकार के अधीन आयी है तब से बिजली पहले की बनिस्बत खराब होने की संख्या कई गुना बढ़ गयी है। पहले अगर १ बार ब्रेक डाउन होता था तो अब १० बार होता है ।

जो रिपोर्ट माननीय शांतिप्रपन्न शर्मा जी ने विद्युत् परिषद् की रखी है उसको देखने से पता लगा कि सरकार ने अभी तक निश्चित नहीं किया है कि जो रुपया उसने परिषद् को दिया है उस पर क्या सूद लेगी। इसके पहले जो असेट्स परिषद् को ट्रांसफर किये हैं उनकी सूद की दर तय नहीं की है। मैं समझता हूं इसको तत्काल तय करना प्रदेश और परिषद्, दोनों के हित में है क्योंकि

परिषद् के सामने समस्या है कि इस समय जो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं उनमें छीजन आ रहा है। अगर ३० साल में कोई मशीन खराब होती है तो उसको बनाये रखने के लिये एक प्रकार की निधि की आवश्यकता होती है ताकि समय पर उसको रिप्लेस कर सके, और बढ़ती हुई कीमतों के कारण भी अधिक मूल्य रखने की आवश्यकता होती है। इसलिये परिषद् से सूद की दर, तय होना चाहिये।

मैं समझता हूं माननीय वित्त मंत्री का इस ओर भी ध्यान होगा कि हम कभी-कभी सरकारी अधिकारियों पर अनुचित व्यय की कुछ जिम्मेदारी तय करते हैं। लेकिन अधिकतर मैंने देखा कि जब तक जिम्मेदारी फिक्स करने की नौबत आती है उस समय तक या तो वह अधिकारी सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाता है या सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे देता है। अक्सर समितियां इस तरह की बातें सरकार के सामने लाती हैं, लेकिन उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं रहता क्योंकि वह सरकारी नौकरी में नहीं रह जाता है। एक बात का और अनुभव हुआ है। शायद माननीय मंत्री जी लोक लेखा समिति की रिपोर्टों की ओर जो समय-समय पर सदन के सामने प्रस्तुत होती हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ बातें तो बार-बार दोहराई जाती हैं, वर्षों से दोहरायी जाती हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। एक बात तो उसमें विशेष रूप से यह है कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट, जो अनुदान स्वीकार होते हैं, उनकी सूचना संबंधित विभागों को भेजने में बहुत देर करता है और केन्द्रीय सरकार से भी अनुदान आते हैं, वे भी बहुत देर में आते हैं। जब इतने युद्ध स्तर पर योजनाएं चलाने की घोषणा करते हैं तो जो मशीनरी अनुदानों की सूचना देती है उसमें हम गति लायें जिससे अनुदानों का सम्यक रूप से व्यय हो। अनुदान मार्च या अप्रैल में स्वीकृत हो जाते हैं परन्तु इन अनुदानों की स्वीकृति की सूचना नवम्बर और दिसम्बर तक नहीं पहुंचती। नतीजा यह होता है कि प्रति वर्ष लोक लेखा समिति की रिपोर्टों में यह बातें आती हैं। हमारे माननीय वित्त मंत्री तो एक पाकिट नाइफ की तरह से हैं जिसमें १२ चाकू लगे होते हैं और जो अलीगढ़ में बिकता है। उनकी जिम्मेदारी तो कोई नहीं। दूसरे वे यह भी सोचते हैं कि वे कभी भी झटक सकते हैं। इसलिये भी वे ज्यादा इन्टरेस्टेड नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता हूं कि अलग से एक विभाग बनाया जाय जो इस १०५ करोड़ रुपये की रकम को.....

(लाल बत्ती होने पर)

अभी मुझे ५ मिनट का समय और दिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष**—

अभी २ मिनट का समय है। आप बोल सकते हैं।

**श्री टम्बेश्वरप्रसाद**—

तो मैं श्रीमन्, कह रहा था कि एक विभाग बने और उसके द्वारा जितन भी लोन्स या अनुदान हों, दिये जायें और जो वित्त विभाग के अन्तर्गत हो, एक अधिकारी इस बात को देखे कि जो लोन या कर्जा सरकार दे रही है, उसका उपयोग हो रहा है या नहीं क्योंकि उपयोग न होने से शुद्ध हानि होती है।

दूसरी बात मैं यह निवदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार और समितियां हैं, एक विशेष समिति का निर्माण हो और वह यह देखे कि जिन योजनाओं में हमने करोड़ों रुपया खर्च किया है, लाखों रुपया लगाया है, वह सही प्रकार से खर्च हो रहा है कि नहीं। यह एक ही विभाग का काम नहीं है। वह एक समिति सदन की भी बने।

श्रीमन्, देखा यह गया है कि बिना एस्टीमेट्स के करोड़ों रुपया सैंक्शन हो जाता है और खर्च हो जाता है। बाद में या तो अनुपूरक अनुदानों के द्वारा यहां लाते हैं। या बाज वक्त ज्यादा

[श्री टम्मश्वरप्रसाद]

भी हो जाता है। केन्द्रीय सरकार ने एक ऐसी समिति बनाई है जो पता चलाती है कि केन्द्रीय सरकार ने जिन बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिये रुपया दिया है वह ठीक ढंग से उपयोग हो रहा है या नहीं। हमें चाहिये कि इसी प्रकार की एक समिति यहां भी बने जो देखे कि जब तक पूर्ण योजनाओं का पुनरीक्षण न कर लिया जाय तब तक लाखों करोड़ों रुपया हम खर्च न करें। विद्युत् की सन् १९४८ से ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनमें हमारा करोड़ों रुपया फंस चुका है। अतः मेरी प्रार्थना है कि हमारे विद्युत् मंत्री और उनका विभाग योजनाओं को अच्छी तरह देखे और फिर उनको योजनाओं में सम्मिलित किया करें। इस वर्ष की भी, जैसा कि माननीय कमलासिंह जी ने कहा कि ७-८-९ वर्ष से विभागीय अधिकारियों ने लोक लेखा समिति के प्रश्नों के उत्तर तक नहीं दिये हैं, आडिट रिपोर्ट से ऐसा ज्ञात होता है। मेरा कहना यह है कि जब कहा जाता है कि ऐसी बात आपके विभाग में है तो उसकी जानकारी मंत्री जी को भी और सचिव महोदय को भी नहीं रहती है। अगर माननीय वित्त मंत्री जी रुचि लेंगे और समिति को दिये जाने वाले उत्तरों को देखते रहेंगे और जानकारी रखेंगे तो समिति का काम सुचारु रूप से चलेगा।

यह ठीक है कि यह अनुदान जो कर्जे के रूप में देने का निश्चय किया गया है उससे प्रदेश में योजनाओं को बल मिलने वाला है, लेकिन इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ती चली जा रही है। अगर हमने उन उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं किया जो वित्त विभाग पर हैं। अगर मैं उन उत्तरदायित्वों का जिक्र करूं जो बजट मैनुअल में हैं तो यकीन रखिये कि आपके राजस्व की प्राप्ति पर इतना बड़ा भार पड़ने वाला है कि आपके यह सारे काम पड़े रह जायेंगे। आप कर्जा ही देते रह जायेंगे और कोई लाभ होने वाला नहीं है।

**श्री कैलाशप्रकाश**—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभार प्रदर्शित करता हूं कि इस अनुदान पर उन्होंने चर्चा की। माननीय सदस्य जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया है उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जो मद इस अनुदान के अन्तर्गत रखी गई हैं उनसे हमारी योजनाओं को बल मिलेगा और वे मद होनी चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि जो धनराशि इन मदों में रखी गई है वह कम है, इससे अधिक होनी चाहिये थी। किन्तु इसके साथ-साथ कुछ और बातें भी कही गई हैं।

एक निवेदन मैं करना चाहता हूं कि पारिवारिक अर्थ व्यवस्था के सिद्धान्त और सार्वजनिक अर्थ व्यवस्था के सिद्धान्त भिन्न-भिन्न होते हैं। पारिवारिक अर्थ व्यवस्था में आंकड़े लगाकर देखा जा सकता है कि किसी काम में कितना नफा हुआ या कितना नुकसान हुआ। किन्तु सार्वजनिक अर्थ व्यवस्था में कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनमें यदि आप शुद्ध लाभ आर्थिक रूप में देखने की कोशिश करें तो वह प्राप्त नहीं होगा। जैसे कुछ सार्वजनिक कार्य करने पड़ते हैं जिनसे समाज की प्रगति हो, आर्थिक व्यवस्था की प्रगति हो और वे काम इस दृष्टिकोण से आवश्यक नहीं हैं क्योंकि उनमें आर्थिक रूप से कोई लाभ होने वाला नहीं है किन्तु वे आर्थिक व्यवस्था को बढ़ोत्तरी देने के लिये आवश्यक होते हैं। इसलिये चीजों को केवल इस दृष्टि से देखना कि उनमें आर्थिक लाभ हुआ या नहीं, वह सार्वजनिक अर्थ व्यवस्था के सिद्धान्त से ठीक नहीं होगा। माननीय सदस्य ने प्रस्ताव उपस्थित करते हुये और उत्तर के समय यह कहा कि चूंकि कर्जा बढ़ता चला जाता है कहीं ऐसा खतरा प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर पैदा न हो जाय कि हम मर जायें और सूद देते-देते परेशान हो जायं और उन्नति का रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध हो जाय। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस प्रदेश की अर्थ व्यवस्था और आर्थिक स्थिति बहुत दृढ़ और बहुत अच्छी है और वह कहने से ही नहीं, मैं माननीय सदस्यों के सामने उस पुस्तिका से जो दी गई है, बताने का कुछ प्रयास करूंगा। प्रदेश की अर्थ व्यवस्था का पता चलेगा जो भाग या खंड दो है उससे कि हमारे ऊपर कितना कर्जा है और हम उस कर्जे को किस तरीके से चुका

सकते हैं, क्या हमारी स्थिति है कर्जे की। कर्जे को ४ भागों में बांटा जा सकता है, जैसे इसमें बांटा भी गया है। एक भाग वह है जो बाजार से ऋण लिया जाता है। बाजार से जो ऋण लिया गया है उसमें माननीय सदस्य देखेंगे कि ७९.७८ करोड़ लिया गया है। एक दूसरा ऋण है जो भारत सरकार से या कुछ और संस्थाओं से लिया जाता है। उसमें माननीय सदस्य देखेंगे ४८१.५४ करोड़ है। तीसरा एक ऋण है जो कि बन्धों का ऋण हैं, जो बांड लिये जाते हैं, वह ७८.७६ करोड़ है और एक चौथा ऋण है जो इसी में लिखा हुआ है जो कि अनुवाधित, अग्रिम इत्यादि के रूप में लिया जाता है और यह है ६०.३३ करोड़। पूरा जो प्रदेश के ऊपर भार है ऋण का वह ७००.४१ करोड़ है। इसमें माननीय सदस्य यह देखेंगे कि एक और दो यानी ७९.७८ और ४८१.५४ करोड़ के ऋण ऐसे हैं जिन्हें बिलकुल सीधे साधे चुकाने की जरूरत पड़ती है। चौथे नम्बर का जो ऋण है जो ६०.३३ है यह तो स्पष्ट है जिसमें शासन बैंकों के रूप में काम करता है यानी यह आते रहते हैं और जाते रहते हैं।

अब श्रीमन्, जरा दूसरी तरफ दृष्टि डालें। यह तो हमारे ऊपर ऋण का भार हो गया। हमारे पास क्या है? इसी में देखेंगे कि जो हमने, शासन ने ऋण को दे रखा है, प्रदेश में बांट रखा है, वह है ३३०.५३ करोड़। इसके अतिरिक्त इसी पुस्तिका में नत्थी ३ के पृष्ठ १३९ जिसमें निधियां बनाई गई हैं, जिसमें इसलिये रखा जाता है कि कर्जे को किस तरीके से चुकायेंगे। इसमें जो धन हमने रखा है वह ८८.०५ करोड़ है। ३३०.५३ और ८८.०५ इस तरीके से यह हो जाता है, यह शुद्ध ऐसा है। इसमें यह नहीं है कि इतनी चीजें बनी हुई हैं यह मान लिया जाये और जो चीजें बनी हुई हैं, जिसमें पूंजी लगी हुई है, उसकी इसमें चर्चा नहीं है। और ३१ मार्च, ६६ तक जो पूंजीगत चीजें हैं, इसमें ३८२.४६ करोड़ रुपय हो जायगा। तो इन धनराशियों से यह बिलकुल स्पष्ट है कि प्रदेश की स्थिति बहुत दृढ़ है। जितना ऋणभार प्रदेश के ऊपर है, वह चाहे वर्ष प्रति वर्ष बढ़ गया हो और बढ़ेगा भी, लेकिन प्रदेश की अर्थ व्यवस्था का इस बात से पता चलेगा कि जो यहां पर ऋणभार लिया है उसको अदा करने को हम समर्थ हैं या नहीं। एक बात और मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य ने यह चर्चा की कि हमें ब्याज बहुत देना पड़ता है और हमें मिलता कम है। ऐसी बात नहीं है। पृष्ठ ८ को यदि हम देखें तो यह रकम जो ब्याज से मिलती है वह २२,७९,७५,३०० रुपये है और पृष्ठ ११ पर है जो रकम हमें देनी होगी वह है २१,५७,५६,६०० रुपये। ३३ करोड़ की जो संख्या है वह तो सिंकिंग फंड जैसी धनराशियों को मिलाकर होती है। शुद्ध ब्याज को अगर देखा जायगा तो जितना ब्याज हमको मिलता है करीब-किरीब उतना ही हमें देना पड़ता है। इस दृष्टि से भी हमारी अर्थ व्यवस्था बिलकुल दृढ़ है। किसी देश या प्रदेश की अर्थ व्यवस्था अच्छी है या नहीं इसको इससे भी देखा जा सकता है कि प्रदेश या देश पर जितना देय है वह किस्तों में दे देता है या नहीं, जितना कर्ज लेता है उसको अदा करता है किस्तों में या नहीं। मैं अन्य प्रदेशों से तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन अन्य प्रदेशों के मुकाबले में इस प्रदेश की अर्थ व्यवस्था बिलकुल साउन्ड है। इसलिये माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस बात को प्रदर्शित करना कि अर्थ व्यवस्था अच्छी नहीं है या हमारे ऊपर ऋण बढ़ता चला जाता है ठीक नहीं है क्योंकि उससे नुकसान भी पहुंच सकता है। जब हम उन्नति के पथ पर हैं और आज के समय में जो टेकनालाजी और विज्ञान का युग है पूंजी लगाना बहुत आवश्यक है और उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई भी गरीब देश अगर पूंजी नहीं लगा सकता तो उसके लिये अच्छी व्यवस्था हो सकती है और होती भी है कि वह कहीं से कर्जे में रुपया ले, पूंजी के रूप में उसको लगाये कि उत्पादन बढ़ता चला जाय और वह होता चला जाता है।

श्रीमन्, यहां एक बात कही गयी कि इसमें जो ऋण रखे गये हैं उनमें किसानों के लिये ऋण की रकम घट गयी है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जो धनराशि ऋण के लिये रखी गयी थी वह खर्च नहीं हो सकी क्योंकि वह विशेष रूप से उर्वरकों और रासायनिक खादों के लिये थी। रासायनिक खादों की भी एक सीमा है उपलब्ध होने की। तो

[श्री कैलाशप्रकाश]

अनुभव से प्रतीत हुआ कि वह उपलब्ध नहीं हुआ और अब भी यही प्रतीत होता है कि शायद वह उपलब्ध न हो। किन्तु यदि उपलब्ध होगा और अगर इस दिशा में कर्जे की आवश्यकता होगी तो उसको बढ़ाने में हमें कोई संकोच नहीं होगा क्योंकि किसानों की कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये सहायता तो करनी ही है। यह तो केवल इसलिये कम रखा गया कि अगर हम ज्यादा पैसा रख लें तो माननीय सदस्यों को आपत्ति हो सकती है कि ज्यादा पैसा क्यों रख लिया गया है इसलिये अनुभव के आधार दोनों जोड़ों को मिलाते हुये कि अधिक पैसा भी न हो जाय और कम भी न रहे। अनुमान ऐसा लगाया गया कि वह खर्च हो जाय और बहुत अधिक भी न हो ऐसी रकम रखी गयी है, लेकिन यदि अधिक की आवश्यकता होगी तो वह उपलब्ध हो सकता है।

एक चर्चा यहां पर की गयी सूद की। सूद की दर भिन्न-भिन्न है और यह जो इस अनुदान के अन्तर्गत धनराशि दी जाती है यह २, ३ धनराशि की प्राप्ति से खर्च की जाती है। एक तो केन्द्रीय सरकार से कुछ अनुदान मिलता है। एक बाजार से हम ऋण लेते हैं और एक जो ऋण दिया हुआ है उस ऋण की वापसी से होती है। इन तीन साधन से यह खर्चा होता है। बाजार से ऋण लेने में केन्द्र का हाथ रहता है क्योंकि जितनी मात्रा में अर्थ का संबंध रहता है वह रिजर्व बैंक से रहता है और रिजर्व बैंक इस बात को निर्धारित करता है कि सीमा क्या हो। कितना कर्जा लेना है, कितना कर्जा एक प्रदेश ले सकता है वह इस बात की सीमा निर्धारित करता है प्रतिवर्ष कि इतनी धनराशि इस प्रदेश को चाहिये। इतना केन्द्रीय सरकार देगी और इतना वह बाजार से ले सकती है। इस तरीके से यह धन आता है। दूसरे जितना वसूल हो जाय, वह है। केन्द्रीय सरकार जब यह धन देती है तो उसकी अपनी भी कुछ योजनायें होती हैं। कुछ कामों को वह प्रोत्साहन देना चाहती है और कुछ कामों को वह दूसरी दृष्टि से देखती है। इसलिये जो भिन्न-भिन्न योजनायें हैं उनके लिये भिन्न-भिन्न सूद की दर रखी गई हैं। यहां पर यह प्रश्न उठाया गया कि किन्हीं सूद की दर थोड़ी हैं और किन्हीं की अधिक हैं। बहुत अधिक सूद की दर वे हैं जो सहकारी समिति के द्वारा ऋण दिया जाता है और विशेषकर जो किसानों को दिया जाता है। उसके सूद की दर अधिक हैं। करीब-करीब ७।।। या ८।।। हैं। एक बात माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि जैसा मैंने पहले कहा था कि अर्थ व्यवस्था में बहुत कुछ हाथ रिजर्व बैंक और केन्द्र का रहता है। प्रश्न यहां पर यह उठाया गया कि शासन को सीधे-सीधे किसानों को ऋण देना चाहिये या कोआपरेटिव सोसाइटीज के मारफत देना चाहिये और इस तरह की नीति बरतनी चाहिये कि वह कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये दिया जाय क्योंकि कोआपरेटिव आन्दोलन को बढ़ाने की आव यकता है। मैं सारी बात में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि माननीय सदस्यों को आगे मौका मिलेगा जब भिन्न-भिन्न मांग यहां पर पेश होंगी, लेकिन इस समय इस सिलसिले में केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह जो सूद की दर है वह कोआपरेटिव बैंक के जरिये से और कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये से रखी जाती है और कोआपरेटिव बैंक उसको निर्धारित करता है कि किस दर पर लेना है और किस दर पर देना है और जो खर्चा होता है वह सब मिलाकर जो बैठता है वह रखते हैं। कुछ योजनायें ऐसी हैं जो केन्द्रीय सरकार की बनाई हुई हैं जिनमें वह कहती है कि कम सूद पर दो और उससे कम सूद पर दो जितना हमें पैसा मिलता है। सामान्यत : इस बात का प्रयास किया जाता है कि जिस सूद पर पैसा मिले उस काम के लिये उसी सूद पर पैसा दिया जाय। इसमें कोई लाभ की वृत्ति नहीं रहती। लेकिन कुछ योजनायें ऐसी हैं, जैसा मैंनें अर्ज किया कि जिस दर पर सूद देना पड़ता है उस दर से कम पर ऋण दिया जाता है। वे योजनायें केन्द्रीय सरकार द्वारा पोषित होती हैं और केन्द्र उन योजनाओं के अन्तर्गत उतना पैसा अनुदान के रूप में देता है जिससे वे योजनायें पोषित हो सकें और चल सकें, प्रदेश को उससे विशेष हानि नहीं हो सकती। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक किसानों को ऋण मिलने का प्रश्न है वह केवल इस मद के अन्तर्गत नहीं मिलता है। किसानों को ऋण कोआपरेटिव बैंक के जरिये से मिलता

है और कोआपरेटिव बैंक का सीधा सम्बन्ध रिजर्व बैंक से रहता है। वहीं से कोआपरेटिव बैंक का ऋण आता है। वह किसानों को थोड़ी अवधि के लिये देते हैं। किसानों को जितना ऋण दिया जाता है वह उनके काम के लिये दिया जाता है। इसलिये इसको इस तरह से आंकना उचित नहीं होगा। इससे कहीं अधिक धन कोआपरेटिव बैंक के द्वारा उनको मिलता है जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। किस तरीके का उसका प्रशासन है उसे मैं जानबूझ कर छोड़ रहा हूं।

श्री टम्बेम्वरप्रसाद---

कोआपरेटिव बैंक सरकार से संबंधित नहीं है। इसी प्रकार और उद्योगों को भी बाहर से रुपया मिल जाता है।

श्री कैलाशप्रकाश---

यहां यह बात कही गयी थी कि धनराशि बहुत कम रखी गयी है इस अनुदान में और इस के लिये मैंने बतलाया कि जिस चीज के लिये वह धनराशि रखी गयी है यदि वह अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जायगी तो हमें धनराशि बढ़ाने में कठिनाई न होगी। लेकिन दूसरी तरफ मैंने यह भी कहा कि इसलिये हमें ऐसा अनुमान न लगाना चाहिये कि केवल इतनी ही धनराशि है।

श्री कमलासिंहयादव---

कृषि विभाग जब साढ़े ५ परसेंट पर खाद के लिये देता था तो वह आपने बंद करवा दिया और अब कोआपरेटिव बैंक के जरिये ज्यादा सूद पर उनको कर्ज दिला रहे हैं इसका क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश---

मैंने निवेदन किया था कि जो बातें और दूसरे अनुदानों में आ सकती थीं उनके अधिक ब्योरे में मैं नहीं जा रहा हूं। उनके लिये आपको अधिक समय मिल सकता है और आप अधिक चर्चा भी उन पर कर सकते हैं। मैंने केवल उन चीजों को लेने का प्रयास किया है कि जिनका चर्चा दूसरे अनुदानों में नहीं किया जा सकता ताकि समय का पूरी तरह से उपयोग हो सके।

श्री कमलासिंह यादव---

हम लोग दस मिनट और ज्यादा बैठने के लिये तैयार हैं, आप बतला तो दीजिये।

श्री कैलाशप्रकाश---

मैंने थोड़ा सा संकेत कर दिया है। यह भी एक प्रश्न ह और यह केन्द्र से संबंधित है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज पुष्ट करनी चाहिये या नहीं। अगर उनको पुष्ट करना है तो उनको कोई काम देना होगा और किसान या देहात के क्षेत्र को उससे संबंधित करना इसके लिये आवश्यक होगा। यह प्रश्न एक नीति का प्रश्न बन जाता है और हमको सोचना है कि इस सिलसिले में हमको क्या नीति बरतनी है। शासन के साथ सीधा संबंध तकावी की तरह हो सकता है। एक राय इस किस्म की है कि जैसे तकावी बंटती है उस किस्म को बंद करके इन संस्थाओं द्वारा ही रुपया बांटना चाहिये।

श्रीमन, एक सवाल यहां और उठाया गया और सम्भवतः इस पर पहले भी चर्चा हुई थी कि बड़े उद्योगों को बहुत सहूलियतें दी जाती हैं। इस पर भी ब्योरे में चर्चा उद्योग विभाग के अनुदान के समय हो सकती है, किन्तु मैं संकेत मात्र में निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अपने प्रदेश में उद्योग बढ़ाने की ओर भी दृष्टि रखनी होगी। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हमारे प्रदेश में कृषि के साथ-साथ अन्य उद्योग भी लगने चाहिये, बड़े उद्योग भी और छोटे उद्योग भी। बड़े उद्योग दो क्षेत्रों में लग सकते हैं, एक है सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा है प्राइवेट।

[श्री कैलाशप्रकाश]

हमारी आर्थिक नीति यह है कि पूर्णतया उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न हो। प्राइवेट उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया जाय। मैं निवेदन कर दूं कि केरल में जब हमारे कम्युनिस्ट भाई शासन में आये तो उन्होंने अपने प्रदेश में उद्योग बढ़ाने की बात सोची। उन्होंने भी यह महसूस किया कि बड़े-बड़े उद्योगधंधे होने चाहिये। बड़े-बड़े उद्योग राज्य चला नहीं सकता था, केन्द्र से मिल नहीं सकते थे। यदि मैं गलत नहीं तो उस समय बड़े-बड़े उद्योग वाले जो लोग थे उनको आमंत्रित किया गया था कि हमारे प्रदेश में वे लगावें। अगर हम चाहते हैं तो फिर इस तरह के उद्योग लगाने वालों को सुविधा प्रदान करनी पड़ेगी कि वे उद्योग बढ़ा सकें। कई उद्योगों के बारे में इस तरह की बात होती है। दूसरे प्रदेश वाले इस तरह की बात करते हैं जो बैठाते हैं उनके यहां, वे उनको पहले ही बता देते हैं कि हम फलां-फलां सुविधायें देंगे। इसके अलावा केन्द्र की ओर से भी सुविधा दी जाती है। आपके यहां जो बड़े-बड़े यूनिट आ गये हैं उनमें भी यही चर्चा हुई थी कि प्रदेश हमको क्या सुविधा देगा तो वे भी एक सुविधा मांगते हैं अपने उद्योग धंधों को बैठाने के लिये। अब सवाल यह है कि सुविधा दो या उद्योग धंधे बैठा लो।

(इस समय ४ बजकर ४१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए।)

इसीलिये हमें अपनी नीति को स्पष्ट रखना चाहिये, आवश्यकताओं को साफ रखना चाहिय कि हमें यहां उद्योगों को बैठाना है और अपने प्रदेश में उद्योग आ सकें। जो केन्द्र की ओर से आते हैं या जो प्राईवेट उद्योग आ सकें जो हमारे प्रदेश में चल सकते हैं, उनको लाने का प्रयास करना चाहिये जिनसे एम्प्लायमेन्ट मिल सकती है।

श्री ऊदल—

माननीय वित्त मंत्री जी चाहते हैं कि जो नियम हैं उनका पालन न किया जाय।

श्री कैलाशप्रकाश—

हम नहीं चाहते हैं। जो धन कर्जे के रूप में दिया गया है तो वह कर्जा तो जरूर आना चाहिये। जिस बात के लिये कर्जा दिया गया है वह उसी काम के लिये इस्तेमाल होना चाहिये।

एक बात माननीय टम्बेश्वरप्रसाद जी ने बताई कि हमारा एम्प्लायमेंन्ट ७% घट गया है और उत्पादन पांच प्रतिशत घट गया है। सम्भवतः उनको जहां से आंकड़े मिले हैं वे आंशिक होंगे। मुझे कुछ आंकड़े प्राप्त हुए हैं—प्रोग्रेसिव रेव्यू—डेवलेपमेन्ट आव् इन्डस्ट्रीज....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये उद्योग विभाग के लेटेस्ट आंकड़े हैं, जो माननीय मंत्री जी....

श्री कैलाशप्रकाश—

मैं भी वही दे रहा हूं।

श्री कमलासिंहयादव—

ये आंकड़े हम लोगों को नहीं मिले हैं, क्या बात है ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

यह किस तिथि की छपी हुई है ?

श्री कैलाशप्रकाश---

यह प्रोग्रेसिव रेव्यू १९६४-६५ डेवलेपमेन्ट आव् इन्डस्ट्रीज है। इससे बिलकुल सिद्ध है कि हमारा जो एम्प्लायमेन्ट है, वह भी बढ़ा है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मैं भी बता दूं, अधिष्ठाता महोदय, ....

श्री कैलाशप्रकाश---

आंकड़े तो मेरे भी सुन लीजिये....

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्यों को और भी अवसर मिलेंगे जब वह आंकड़ों का प्रयोग कर सकेंगे।

श्री कैलाशप्रकाश---

कहा गया कि उत्पादन घटा है। श्रीमन्, इस क्षेत्र का उत्पादन ६० में ३९ करोड़ का था वह ६३ में ९६ करोड़ का हुआ। एक बात यह कही गई कि ग्रामीण क्षेत्र के लिये भी कोई आवास योजना गृह-निर्माण की होनी चाहिये। तो एक योजना है ग्रामीण क्षेत्र के लिये, वह छोटी है, यह बात सही है। उस योजना के अन्तर्गत २ हजार रुपये तक ऋण दिया जाता है और इस ऋण की ब्याज की दर भी बहुत नहीं है। जो आजकल साधारण और सामान्य ब्याज की दर है वही है ५ ३/४ प्रतिशत।

एक सदस्य---

यह बहुत बड़ी ज्यादती है....

श्री कैलाशप्रकाश---

ज्यादती तो एक ही तरफ से देखने से मालूम होती है। एक तरफ तो यह कहा एक सज्जन ने कि दो ओर दो चार करो, यह पूंजीगत का मामला है, रेवेन्यू वाला तो है नहीं, इसमें तो फिर आप यह कहेंगे कि पूंजी में भी आप इतना टोटा करते चले जा रहे हैं, तो ज्यादा सूद पर लेंगे और कम सूद पर देंगे तो टोटा अपने आप होगा। तो आप यह देखिये कि यह है किसके अन्तर्गत? यह रेवेन्यू के अन्तर्गत होता तो वहां तो ऐसी बात हो सकती थी, लेकिन यहां जो योजना बनेगी वह इसी आधार पर बनेगी कि जिस सूद पर लेते हो उसी सूद पर दो। क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो फिर आप कहेंगे कि पूंजीगत में भी आप यह करते जा रहे हैं जिससे कि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था खराब हो रही है। बस, और मुझे कुछ विशेष बात निवेदन करनी नहीं है। वैसे तो इस अनुदान पर सदन में कोई खास चर्चा होती ही नहीं थी।

हां, एक बात बड़ी भारी रह गई। ३३ और ५१ यानी ८४ करोड़ रुपया जो इसमें सम्मिलित है वह है विद्युत् परिषद् का। उसके बारे में भी कुछ बात कही गई। माननीय सदस्यों को विद्युत् परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट आज ही मिली है और क्योंकि वह अभी थोड़ी देर पहले ही मिली है इसलिये माननीय सदस्यों को उसे देखने का अवसर नहीं मिला। माननीय सदन का यह अधिकार है कि वह वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा करें, तो आप इत्मीनान से बैठकर उसको खूब अच्छी तरह से अध्ययन करके उसके ऊपर चर्चा करियेगा। सब बातें समझ में आ जायेंगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदन और माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी को जो उत्पादन के आंकड़े बढ़े हैं, उनसे सन्तोष हैं ? या जितना एम्प्लायमेंट हुआ है उससे संतोष है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

संतोष तो मुझको हो नहीं सकता। अगर कहें कि चलो तो हम कहेंगे कि दौड़ो, अगर दौड़े तो कहेंगे कि रपट की स्पीड से दौड़ी। तो संतोष तो कभी नहीं हो सकता।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत १,०५,९१,२८,८०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२४ फरवरी, १९६५।

# नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३६ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१५ पर)

सुल्तानपुर जिले में ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत वर्ष १६६३–६४ तथा १६६४–६५ में गांवों को ऊंचा करने तथा सड़कों को पक्का कराने की स्वीकृत योजनाओं तथा प्रत्येक कार्य की प्रगति का ब्लाक वार विवरण।

जिला सुल्तानपुर

| | | | दिसम्बर, सन् १६६४ तक प्रगति | |
|---|---|---|---|---|
| ब्लाक का नाम | काम का नाम | अनुमानित लागत (लाख रु० में) | धनराशि जो व्यय की गई (लाख रु० में) | काम का भाग जो पूरा हुआ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १—धनपतगंज | १२ गांवों का ऊंचा करना | ०.६६ | शून्य | शून्य |
| | नहर सर्विस रोड ५ मील | ०.५० | ,, | ,, |
| २—बल्दीराय | १७ गांवों का ऊंचा करना | १.३६ | ,, | ,, |
| | नहर सर्विस रोड ५ मील | ०.५० | ,, | ,, |
| ३—कादीपुर | नहर सर्विस रोड ७.५ मील | ०.७५ | ०.०६ | काम आरम्भ हो गया है। |
| | लखनऊ-बलिया रोड १० मील | ०.७८ | शून्य | शून्य |
| ४—कूरेभार | १२ गांवों का ऊंचा करना | ०.६६ | ,, | ,, |
| | नहर सर्विस रोड ४ मील | ०.४० | ०.०६ | काम आरम्भ हो गया है। |
| ५—जयसिंहपुर | नहर सर्विस रोड ५ मील | ०.५० | ०.०३ | ,, |
| | १ गांव को ऊंचा करना | ०.८० | शून्य | शून्य |
| | दोस्तपुर, विर सिंहपुर रोड ४ मील। | २.०० | ,, | ,, |
| ६—अखंड नगर | अखंडनगर–दोस्तपुर रोड १४ मील। | ७.६० | २.८४ | लगभग १/३ काम पूरा हो चुका है। |
| ७—भादर | दुर्गापुर-भादर रोड ६ मील | ३.०० | २.४७ | लगभग आधा काम पूरा हो चुका है। |
| | अमेठी-भादर रोड ३ मील | १.५० | शून्य | शून्य |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ८—दोस्तपुर | नहर सर्विस रोड ७.५ मील | ०.७५ | ०.०१ | काम आरम्भ हो गया है। |
| | विरसिंहपुर-दोस्तपुर रोड ६ मील। | ३.०० | १.१५ | लगभग १/३ काम पूरा हो चुका है। |
| | अखंड नगर-दोस्तपुर रोड ७ मील। | ४.०० | शून्य | शून्य |
| | लखनऊ—बलिया रोड ६ मील | ०.४७ | शून्य | शून्य |
| ९—अमेठी | अमेठी—भादर रोड ७ मील | ३.५० | २.१८ | काम लगभग समाप्ति पर है। |
| १०—लम्बुआ | १५ गांवों को ऊंचा करना | ०.४० | शून्य | शून्य |
| | लम्बुआ-दुर्गापुर-भादर रोड ६ मील। | २.७० | १.५६ | काम लगभ समाप्ति पर है। |
| | सुल्तानपुर-सूरजपुर—मऊ रोड ७ मील। | ०.३५ | शून्य | शून्य |
| ११—गौरीगंज | १३ गावों का ऊंचा करना | ०.५५ | ,, | ,, |
| | गौरी गंज-सैंठा रोड | ३.०० | ,, | ,, |

## नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ २२० पर)

### विवरण (क)

| क्रम संख्या | जिला | | वित्तीय वर्ष १९६२–६३ | | वित्तीय वर्ष १९६३–६४ | | वित्तीय वर्ष १९६४–६५ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्वीकृत | व्यय | स्वीकृत | व्यय | स्वीकृत | व्यय |
| १ | २ | | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| | | | रु० | रु० | रु० | रु० | रु० | रु० |
| १ | दवरिया | .. | ६,१६,५०० | ४,९२,६०४ | ११,३१,१४६ | ११,१७,८५० | १४,८८,०४० | ८,०३,०२० |
| २ | गोरखपुर | .. | .. | .. | ११,३१,०२० | ११,०२,८९४ | ९,५८,००० | ७,७५,०८४ |
| ३ | बस्ती | .. | ९५,००० | ९३,४५,५३६ | ८,३६,६०० | ८,३७,३३,६२४ | १२,०२,००० | ६,६६,५५७ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२४ पर)

क्षेत्र विकास समिति, जहांगीराबाद की बैठक दिनांक १५-२-६४ के प्रस्ताव संख्या २, जिसमें मुख्यावास का प्रश्न निर्णय हुआ, की प्रतिलिपि

---

प्रस्ताव संख्या २--अजेन्डा के अनुसार क्षेत्र विकास समिति के सम्मुख विकास क्षेत्र के मुख्यावास का प्रश्न निर्णय हेतु रक्खा गया ।

(अ) श्री साहब सिंह, प्रधान, गांव सभा चरौरा ने प्रस्ताव रखा, कि विकास क्षेत्र का मुख्यावास जहांगीराबाद रक्खा जावे ।

श्री मुजफ्फर खां, प्रधान, गांव सभा सांखनी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया ।

श्री हिम्मत गिर, प्रधान, गांव सभा रूठा ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

(ब) श्री बुन्दू खां, प्रधान, गांव सभा ईलना ने प्रस्ताव रक्खा कि विकास क्षेत्र का मुख्यावास जाडोल ग्राम में रक्खा जावे ।

श्री किशन सरूप, प्रधान, गांव सभा भर्रा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया ।

श्री सुग्रीव सिंह, प्रधान, गांव सभा सिकरी ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

मुख्यावास हेतु दो स्थानों के प्रस्ताव आने के फलस्वरूप समिति ने आपस में विचार विमर्श किया । और श्री बुन्दू खां, प्रधान, गांव सभा ईलना ने स्वंय अपना प्रस्ताव वापस ले लिया इस भांति सर्व सम्मति से मुख्यावास का स्थान जहांगीराबाद निश्चय हुआ ।

---

प्रतिलिपि

कार्यवाही मीटिंग क्षेत्र समिति, जहांगीराबाद,

दिनांक---१५-२-१९६५,

स्थान---सहकारी बीज भंडार भवन, जहांगीराबाद,

प्रस्ताव नं० ११---श्री फूल सिंह, प्रधान, ग्राम सभा जगराउ ने प्रस्ताव किया कि भोपुर व जहांगीराबाद की, जहां सड़क मिलती है वहां काफी जमीन पड़ी हुई है और विकास क्षेत्र भवन के निर्माण के लिये जमीन निःशुल्क दी जाये ।

श्री समर्थसिंह, प्रधान, ग्राम सभा टिटौरा ने समर्थन किया ।

काफी विचार विमर्श होने के बाद सर्व सम्मति से पास हुआ ।

# नत्थी 'घ'

(देखिय तारांकित प्रश्न संख्या २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२४ पर)

## सूची

| क्रम-संख्या | पद नाम | १९:७५ सर्वेलेन्स इकाइयों की समाप्ति के परिणाम स्वरूप बेकार हो जाने वाले कर्मचारियों की सं० |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| १ | ऐन्टी मलेरिया अफसर .. .. .. | १७ |
| २ | असिस्टेन्ट यूनिट अधिकारी .. .. .. | १७ |
| ३ | सीनियर मलेरिया इंसपेक्टर .. .. .. | ७९ |
| ४ | मलेरिया इन्सपेक्टर .. .. .. | ७९ |
| ५ | सर्वेलेन्स इन्स्पेक्टर .. .. .. | ४९२ |
| ६ | लेबोटरी टैक्निीशियन .. .. .. | ७९ |
| ७ | हाऊस विजिटर .. .. .. | १,९६८ |
| ८ | हेडक्लर्क .. .. .. | १७ |
| ९ | सीनियर क्लर्क .. .. .. | १७ |
| १० | जूनियर क्लर्क .. .. .. | ३९ |
| ११ | मैकेनिक .. .. .. | १७ |
| १२ | ड्राइवर .. .. .. | ९६ |
| १३ | क्लीनर .. .. .. | ७९ |
| १४ | सुपीरियर फील्ड वर्कर .. .. .. | ७९ |
| १५ | फील्ड वर्कर .. .. .. | १९२ |
| १६ | चपरासी .. .. .. | ६८ |
| १७ | जमादार .. .. .. | १७ |
| १८ | चौकीदार .. .. .. | १७ |
| | योग .. | ३,३९६ |

## नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३० पर)

जिला प्रशिक्षण तथा सेवायोजन समिति, फर्रुखाबाद के सदस्यों की शैक्षिक योग्यता।

| सदस्यों का नाम | शैक्षिक योग्यता |
|---|---|
| १—श्री रमेश्वर नरायण सेठ .. | मेट्रिक स्तर तक, लगभग १ दर्जन बार विदेश यात्रा, आनरेरी मैजिस्ट्रेट। |
| २—श्री आर० बी०एल० माथुर स्टेशन इनचार्ज, गवर्नमेंट रोडवेज, फर्रुखाबाद। | हाई स्कूल |
| ३—श्री तेज बहादुर सक्सेना .. | एम० ए० (राजनीति शास्त्र), डिप्लोमा एल० एस०जी० (इलाहाबाद)। |
| ४—श्री श्रीधर गुप्ता .. | ४थे दर्जे के स्तर तक, अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, सर्राफी का ज्ञान। |
| ५—डा० उमराव सिंह, अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, डी एन० डिग्री कालेज, फर्रुखाबाद। | एम०ए०,पी-एच०डी० (अर्थ शास्त्र) |
| ६—श्री जगदीश्वर दयाल अग्निहोत्री, चेयरमैन, टाउन एरिया, जिला फर्रुखाबाद। | मैट्रिक तक (ऐसा बताया गया) |
| ७—श्री ब्रह्म प्रकाश, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफीसर। | एम० एस०-सी० (ऐग्रीकल्चर), पी० ए० एस० |
| ८—श्री यशपालसिंह, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज आफीसर। | एम०ए० (शोसियोलाजी), एम०ए० (फिल०) |
| ९—श्री पी० एन० टंडन, जिला सेवायोजन अधिकारी। | एम०ए०, बी०काम० |
| १०—श्री आर०एन० रस्तोगी, प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था। | इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त |

इसके अलावा समिति के सदस्य श्री पातीराम, एम० एल० ए०, श्री सियाराम, एम०एल०ए० तथा श्री चिरंजीलाल, एम० एल० सी० हैं। श्री महराम सिंह, एम० एल० ए०, समिति के सभापति हैं।

## नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ २४२ पर)

# रेवन्यू रिकवरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५

(जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

ऐक्ट, संख्या १, १८९०

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में रेवेन्यू रिकवरी ऐक्ट, १८८० का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम रेवेन्यू रिकवरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

धारा दो का संशोधन

२—रेवन्यू रिकवरी ऐक्ट, १८९० (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के खण्ड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(२) कलेक्टर का तात्पर्य किसी जिले के राजस्व प्रशासन के मुख्य प्रभारी अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये ऐसे अधिकारी द्वारा अधिकृत कोई सहायक कलेक्टर भी है; और"

धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(२) प्रमाण-पत्र तैयार करते समय कलेक्टर उस पर हस्ताक्षर करेगा, और, इस अधिनियम द्वारा अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये, वह प्रमाण–पत्र उसमें वर्णित विषयों के लिये निश्चायक प्रमाण होगा ।"

धारा ५ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

कलेक्टरों द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों तथा स्थानीय प्राधिकारियों के प्रमाण-पत्रों पर मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल होने योग्य धनराशियों की बसूली

"५—(१) यदि कलेक्टर से भिन्न किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा, अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मालगुजारी की बकाया के रूप में कोई धनराशि वसूल होने योग्य हो तो, ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी उस जिले के जिसमें उक्त अधिकारी या प्राधिकारी का कार्यालय स्थिति हो, अथवा उत्तर प्रदेश के किसी जिले के कलेक्टर को, जहां बाकीदार हो अथवा उसकी संपत्ति हो, ऐसे प्रपत्र में जो तदर्थ बनाये गये नियमों द्वारो नियत किया जाय, एक प्रमाण-पत्र भेज सकता है ।

(२) इस अधिनियम द्वारा अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये, प्रमाण-पत्र उसमें वर्णित विषयों के लिये निश्चायक प्रमाण होगा ।

(३) कलेक्टर, उपधारा (१) के अधीन प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर उस में उल्लिखित धनराशि वसूल करने की कायवाही करेगा मानो वह धन उसको देय हो ।

(४) धारा ४ के उपबन्ध ऐसे प्रमाण-पत्र के संबंध में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानों वह धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन भेजा गया। प्रम.ण-पत्र हो ।"

५––ऊपर यथा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा ५ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय अर्थात्––

सार्वजनकि अधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उन बाकीदारों से जो उत्तर प्रदेश के बाहर हों अथवा जिनकी संपत्ति उत्तर प्रदेश के बाहर हो, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल होने योग्य धनराशियों के संबंध में प्रमाण-पत्र

"५-क––यदि कलेक्टर से भिन्न किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल होने योग्य कोई धनराशि हो, और बाकीदार उत्तर प्रदेश के बाहर किसी जिले में हो अथवा उत्तर प्रदेश के बाहर किसी जिले में उसकी संपत्ति हो तो, उस जिले का कलेक्टर जिसमें उक्त अधिकारी या प्राधिकारी का कार्यालय स्थित हो, अधिकारी या प्राधिकारी के अनुरोध पर, वसूल की जाने वाली धनराशि का एक प्रमाण-पत्र उस जिले के कलेक्टर को इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन भेज सकता है जिसमें बाकीदार हो अथवा उसकी संपत्ति हो, मानो वह धनराशि उसे ही देय रही हो ।"

धारा ११ का बढ़ाया जाना ।

६––मूल अधिनियम की धारा १० के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्––

"११––(१) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, वे गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किंतु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

## उद्देश्य और कारण

रेवन्यू रिकवरी ऐक्ट, १८९० (१८९० ई० का ऐक्ट संख्या १) के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार (कलेक्टर से भिन्न) किसी सार्वजनिक अधिकारी अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी को अपने वैभागिक देयों को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल कराने के लिये उस जिले के कलेक्टर से ही अनुरोध करना पड़ता है जिसमें उक्त अधिकारी या प्राधिकारी का कार्यालय स्थित हो, भले ही बाकीदार या उसकी संपत्ति किसी अन्य जिले म हो। सावजनिक अधिकारी या वभागिक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त होने पर जिले के कलेक्टर को उस अन्य जिले के कलेक्टर के पास एक प्रमाण-पत्र भेजना पड़ता है तब उस अन्य जिले का कलेक्टर वसूली की कार्यवाही करता है। इस प्रकार पूर्वोल्लिखित जिले के कलेक्टर को व्यर्थ ही बीच में आना पड़ता है तथा देयों की वसूली में भी विलम्ब होता है। अतएव, प्रस्ताव यह है कि सार्वजनिक अधिकारियों तथा स्थानीय प्राधिकारियों को यह अधिकार दे दिया जाये कि वे अपने देयों को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली कराने के लिये इस राज्य के किसी भी जिले के कलेक्टर से सीधे अनुरोध कर सकें और वसूली की वर्तमान प्रक्रिया को सरल बना दिया जाये। तदनुसार यह विधेयक जिसका अभिप्राय उपर्युक्त केन्द्रीय अधिनियम का संशोधन उस स्थिति में वसूली करने के संबंध में है, जबकि मांग की संभूति तथा उसकी वसूली के स्थान दोनों ही उत्तर प्रदेश में स्थिति हों, प्रस्तुत किया जा जा रहा है।

हुकुमसिंह विसेन,
राजस्व मंत्री।

## रेवन्यू रिकवरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५ के उपबन्धों के स्पष्टीकरण के ज्ञापन-पत्र, जिसमें विधायी अधिकार के प्रतिनिधान के प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त हैं

मूल अधिनियम की धारा ५ में, जो इस विधेयक की धारा ४ के अनुसार प्रतिस्थापित की जा रही है, राज्य सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह बाकीदार से किसी धनराशि को, जो मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने योग्य हो, वसूली के लिये (क्लेक्टर से भिन्न) किसी सार्वजनिक अधिकारी अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस जिले के कलेक्टर को, जहां बाकीदार या उसकी संपत्ति हो, भेजे जाने वाले प्रमाण-पत्र के प्रपत्र नियमों द्वारा नियत करें।

मूल अधिनियम की नई धारा ११ में, जो विधेयक की धारा ६ द्वारा जोड़ी जानी है, राज्य सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह सामान्यतः उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाये।

उपर्युक्त प्रस्ताव सामान्य प्रकार के हैं।

हुकुमसिंह विसेन,
राजस्व मंत्री।

---

रेवेन्यू रिकवरी ऐक्ट, १८९० (ऐक्ट संख्या १, १८९०) की संगत धाराओं का उद्धरण जिनका संशोधन विधेयक द्वारा होना है

2. In this Act, unless there is something repugnant in the subject, or context,— Definitions.

xxx xxx xxx

(2) "Collector" means the chief officer in charge of the land-revenue administration of a district; and

xxx xxx xxx

3. xxx xxx xxx

(2) The certificate shall be signed by the Collector making it (or by any officer to whom such Collector may, by order in writing, delegate this duty), and, save as otherwise provided by this Act, shall be conclusive proof of the matters, therein stated. Recovery of public demands by enforcement of process in other districts than those in which they become payable.

xxx xxx xxx

5. Where any sum is recoverable as an arrear of land-revenue by any public officer other than a Colle ctor or by any local authority, the Collector of the district in which the office of that officer or authority is situate shall, on the request of the officer or authority, proceed to recover the sum as it if were an arrear or land revenue, which had accrued in his own district, and may send a certificate of the amount to be recovered to the Collector of another district under the foregoing provisions of this Act, as if the sum were payable to himself. Recovery by Collectors of sums recoverable as arrears of revenue by other public officers or by local authorities.

FOR PRIVATE USE

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २२६ एल०ए०—१९६५—८६२।